राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4 विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सत्रहवां दिवस संख्या 11

बुधवार,

दिनांक 12-3-1969.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

[गृह, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, राजस्व, समाज कल्याण, शिक्षा, नगर विकास न्यास, खनिज, जनस्वास्थ्य]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न! श्री महेन्द्रकुमार।

ग्राम करियाना में डकैती की घटना

256. श्री **महेन्द्र कुमार** (पाडवा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1967 में डूंगरपुर जिले के गांव करियाना में कोई डकैती हुई ? यदि हां, तो कब तथा उसमें कितने जान माल की हानि हुई ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस डकैती की रिपोर्ट यथासमय पेश होने पर भी स्थानीय पुलिस ने कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं की? यदि नहीं, तो कितनी गिरफ्तारियां हुई व केस की क्या प्रगति है ?

(3) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1968 में व जनवरी, 1969 में भी डूंगरपुर जिले में कोई डकैतियां हुई ? यदि हां, तो कहां कहां तथा उस पर पुलिस ने क्या क्या कार्यवाही की ?

राज्य मंत्री, गृह विभाग (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) दिनांक 14/15 जनवरी, 1967 की दरमियानी रात को ग्राम करियाना (डूंगरपुर) में एक डकैती की घटना हुई थी जिसमें 28412) रु. का माल चोरी गया था। किसी भी व्यक्ति की जान का नुकसान नहीं हुआ।

(2) जी नहीं। स्वयं अधीक्षक डूंगरपुर व स्थानीय पुलिस घटना का पता चलते ही घटना स्थल की ओर रवाना हो गए थे और तत्परता से तफतीश प्रारम्भ कर दी थी। इस अभियोग में 15 मुलजिम नामजद किए गए जिनमें से 13 की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। 1 अपराधी मर गया व 1 अभी तक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयत्न जारी हैं। पुलिस माल बरामदगी के लिए भी प्रयत्नशील है।

(3) जी हां, सितम्बर, 1968 में ग्राम बोडीगामा व जनवरी 1969, में ग्राम पाडला इटीवाला में डकैती पडी। इन दोनों डकैतियों के अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दोनों ही अभियोगों के मुलजिमों का पता चल गया ह और अधिकांश मुल्जिमान गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं।

श्री **नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या यह सही है कि डकैती करने वाले असली डाकुओं को नहीं पकडा गया ?

श्री **हीरालाल देवपुरा** : असली डाकुओं को पकड लिया गया है और उनसे माल भी बरामद किया गया है ।

श्री **महेन्द्रकुमार** : जो लोग पकडे गए हैं वे किन किन गांवों के हैं और किस किस जाति के हैं और जो मेले वाले गांव में चोरी हुई थी उसका पता अभी तक क्यों नहीं लगाया गया है ?

श्री **हीरालाल देवपुरा** : जो मेले वाले गांव के अन्दर चोरी हुई, वह प्रश्न अलग है जिसका पूछा मैंने उसका उत्तर दिया है कि 13 को गिरफ्तार किया गया ।

श्री **अध्यक्ष** : नाम बता दीजिए ।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : 3 मुलजिम पुलिस स्टेशन पारसोली के हल्के के हैं बाकी दूसरे नढावा पुलिस स्टेशन के हैं ।

श्री **रतनलाल रौत** (चौरासी) : वहां के लोगों को जिन लोगों पर शक था, पुलिस ने उन लोगों को पूछा कि किन किन पर शक है तो वहां के लोगों ने बताया कि अमुक अमुक पर शक है इस पर पुलिस वालों ने उन लोगों को डराया धमकाया कि कैसे इन लोगों का नाम लेते हो, उन मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं करके केवल वहां के आदिवासियों को पीटा गया और गिरफ्तार किया गया ।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : किनके लिए शंका है, किन किन को गिरफ्तार किया, यह प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि जिन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया उनके पास से 23 किलो चांदी, 385 ग्राम सोना और फुटकर बरतन वगैरह बरामद किये गये हैं ।

श्री **रतनलाल रौत** : क्या कारण है कि उसी जगह इतनी चोरियां होती हैं? ऐसी खतरनाक जगह है, उस जगह चोरों को खत्म करने के लिए क्यों नहीं पुलिस द्वारा कोशिश की गई है?

श्री **हीरालाल देवपुरा** : पूरा प्रबन्ध कर दिया गया है, यह डकैतियां बरामद हुई हैं उसके बाद वहां कोई घटना नहीं हुई है ।

श्री **नाथूराम (बागीडोरा)** : वहां के लोगों ने बताया कि जिस जगह डकैती हुई, उस वक्त डकैती करने वाले हिंदी भाषा बोल रहे थे, ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ?

श्री **हीरालाल देवपुरा** : मैंने अर्ज किया कि मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और माल बरामद कर लिया गया है ।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट । 257 ।

किशनगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की मांग

257. **श्री सुमेरसिंह** (किशनगढ) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सह है कि किशनगढ में छोटे व बडे उद्योग काफी मात्रा में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि किशनगढ में दिनों दिन नए उद्योग बढ रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि किशनगढ वालों की तरफ से किशनगढ को औद्योगिक

Page No 3

(श्री सुमेरसिंह)
क्षेत्र घोषित करने की मांग काफी दिनों से की जा रही है ?

(4) यदि हां, तो अब तक किशनगढ को औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं करने का क्या कारण है व अब कब तक घोषित कर दिया जायगा ?

उप मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन): (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। लिखित में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(4) शीघ्र ही।

श्री **विजयसिंह** (मकराना) : क्या यह सही है कि आपने जब माना है कि किशनगढ में जब छोटे बडे उद्योग दिनों दिन बढ रहे हैं तो उसे औद्योगिक नगर घोषित करने में आपको क्या आपत्ति है जबकि आप मान रहे हैं कि किशनगढ में उद्योग पनप रहे हैं।

श्री **भीमसेन** : प्रश्न 4 के उत्तर में मैंने कहा है कि जल्दी कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री **भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या यह सही है कि किशनगढ में 5 से 10 तक विजली बन्द करने के सरकारी आदेश पहुंच चुके हैं, जो पावर लूम का काम करते हैं उनको कितना धक्का इससे लगेगा....

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री **भगवानदास शास्त्री** : अलग से प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, वहां पर 1600 पावर लूम्स हैं और 1400 और शुरू होने वाले हैं तो उस हालत में 5 घन्टे तक विजली बन्द करेंगे 500 मजदूर बेकार हो जायेंगे ?

श्री **हरिदेव जोशी** (उद्योग मंत्री) : माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं कि वहां 1600 पावर लूम हैं और 1400 और शुरू हो रहे हैं यह सही नहीं है। जो वहां हैं उनमें से ही बन्द हो रहे हैं। जहां तक इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित करने का सवाल है वह विचाराधीन है। वह संभवत: मई के महीने में घोषित हो जायगा।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

केकडी मालपुरा सडक पर डामर कार्य

258. श्री **देवीलाल बुरासिया** (केकडी-सु.) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केकडी से मालपुरा आवागमन के लिए जो पक्की सडक है उस पर कितने मील तक डामर हो चुकी है और अब कितने मील का हिस्सा डामर करना शेष है ?

(2) क्या यह सही है कि जो हिस्सा डामर का बन चुका है वह भी नहीं के बराबर है और उसकी मरम्मत काफी अर्से से नहीं हुई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सडक पर डाई नदी पडती है ? अगर हां, तो राज्य सरकार मोटरों से आवागमन व सवारियों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए इसकी रपट बनायेगी ?

Page No 4

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(4) बाकी सडक को डामर की करने का कब तक का विचार है और इसके व रपट के बन जाने में कितना समय लगेगा ?

उप मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह भैंसवाडा) : (1) 9 मील 6 फर्लांग में डामर हो चुकी है, 17 मील 7 फर्लांग में डामर शेष है ।

(2) यह सही नहीं है ।

(3) जी हां । यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(4) टोंक जिले में मील 2 से 8 का कार्य प्रगति पर है शेष मीलों का अर्थाभाव के कारण समय निश्चित करना संभव नहीं है ।

श्री देवीलाल बुरासिया : क्या यह सही है कि 9 मील तक डामर की सडक बनी हुई है उसकी मरम्मत कभी नहीं की गई ?

श्री **माधोसिंह** (भैंसवाडा) : हर साल मरम्मत होती है ।

श्री **विजयसिंह** (मकराना) : राज्य सरकार के पास डामर का स्टाक कितना है ?

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

श्री **विजयसिंह** : डामर का प्रश्न है डामर की इनके लिए जरूरत पडेगी ।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

पशु हाट का ठेका

259. श्री **पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में जो साप्ताहिक पशु हाट लगता है इसका ठेका पिछले 10 साल से किन व्यक्तियों को दिया गया है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ठेकेदार द्वारा की जाने वाली अनियमितता के बारे में सरकार को जानकारी है या नहीं ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठाना चाहती है ?

(3) सन् 1968-69 में जिस व्यक्ति को ठेका दिया गया है वह कितने में हुआ है ? हायर बिडर को ठेका क्यों नहीं दिया गया ?

(4) इस पशु मेला में प्रति सप्ताह कितने पशु आते हैं और कितनी बिक्री होती है ?

(5) मेले में आने वाले पशुओं के लिये समुचित चारा-पानी की व्यवस्था है या नहीं ?

(6) मेले में रोशनी व पानी की क्या व्यवस्था है ?

(राज्य मंत्री श्रीमती सुमित्रा जब प्रश्न का उत्तर देने के लिये खडी हुई)

श्री **पी. क. चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मुझे ओब्जेक्शन है। इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने पर्सनली मन्त्री महोदय से कहा थी जिस बेसिस पर कि सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन आते हैं मन्त्री महोदय खुद क्यों नहीं मौजूद रहते हैं, मैंने पर्सनली उनसे कहा था ।

Page No 5

(श्री पी.के. चौधरी)
मैं चाहता हूं कि Minister must come himself and reply.

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा) : आप जो पूछेंगे, उसका मैं जवाब दूंगी।

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि ठेकेदार निर्धारित दर से अधिक रकम वसूल करता है। इस पर प्रशासक, नगरपरिषद्, जयपुर को यह आदेश दिया गया कि वह देखरेख की समुचित व्यवस्था करें ताकि ठेकेदार निर्धारित दर से अधिक रकम वसूल नहीं करे, और यदि ठेकेदार निर्धारित दर से अधिक रकम वसूल करे तो ठेका समाप्त करने की कार्यवाही करें।

(3) वर्ष 68-69 का ठेका जो 31-3-69 को समाप्त हो रहा है 80,500) रुपये में दिया गया। इसके पूछे जाने पूर्व नीलामी की कार्यवाही में प्रथम व द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्तियों ने बोली समाप्ति के समय चौथान रकम जमा नहीं करवाई। अतः उनके द्वारा बोली लगाने हेतु जमा की गई अर्नेस्ट मनी की राशि जब्त की जा कर दुबारा नीलामी की कार्यवाही की गई जिसमें उच्चतम बोली श्री दीन-मोहम्मद अब्दुल शकूर की 80,500) रु. की हुई।

(4) हटवाडा में आने वाले एवं बिकने वाले पशुओं की गणना नगरपरिषद द्वारा नहीं रखी जा कर ठेकेदार द्वारा रखी जाती है इसलिये सूचना दिये जाने में असमर्थता है।

(5) मेले में आने वाले पशुओं के लिये पानी इत्यादि की व्यवस्था है। आवश्यकता अनुसार फायर ब्रिगेड की टंकियों के द्वारा भी पानी पहुंचा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पानी की ओर अधिक सुविधा देने हेतु वर्क आर्डर भी दिया जा चुका है।

चूंकि पशुओं के मालिक स्वयं चारा साथ में लाते हैं तथा मेले में लगने वाली चारे की दुकानों से खरीद सकते हैं, नगरपरिषद् द्वारा अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जाती।

(6) मेले क्षेत्र में सडकों के किनारे बिजली लगी हुई है। सडकों के अलावा अन्य क्षेत्र में बिजली लगाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रश्न 5 में उत्तर दिया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री **पी. के. चौधरी** : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 6 साल से एक ही कुनबे को अलग अलग नामों से यह ठेका क्यों दिया जा रहा है ?

श्रीमती **सुमित्रा** : ओपन टेन्डर्स जारी होते हैं, बोली लगती है। एक ही व्यक्ति को बराबर बोली नहीं दी गई है, सूचना संलग्न है।

श्री **पी. के. चौधरी** : क्या यह सही है कि पिछले साल जो हाइएस्ट बोली थी वह 1.40 लाख की थी, उसको ठेका न देकर 80 हजार वाले को दिया है ?

श्रीमती सुमित्रा : बोली 1.40 लाख की थी। जिसकी सबसे ऊंची बोली होती है उसको एक चौथाई रकम बोली छुटने पर जमा करानी पडती है, उसने नहीं कराई दूसरे ने भी नहीं करवाई। अतः दूसरी बार बोली लगवाई और वह 80,500) की ही लगी।

श्री पी. के. चौधरी : आपके पास जो अनियमितता की शिकायत आई उसमें क्या बात थी?

श्रीमती सुमित्रा : अनियमितता की शिकायत नहीं थी लेकिन यह जरूर शिकायत आई कि ठेकेदार एक रुपये के बजाय तीन-तीन, पांच-पांच रुपये मवेशियों के ही नहीं परन्तु कभी कभी 5% भी ले रहा है। इसी आधार पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि ठेका प्रथा समाप्त कर म्यूनिसिपैलिटी स्वयं इस काम को हाथ में ले या पशुपालन विभाग को दे।

श्री पी. के. चौधरी : आदेश कब गए हैं म्युनिसिपैलिटी को?

श्रीमती सुमित्रा : 10-3-69 को।

श्री पी. क. चौधरी : तो यह मानकर चलें कि 1 अप्रेल, 1969 से यह ठेका म्युनिसिपैलिटी खुद चलाएगी या सरकार का पशुपालन विभाग चलाएगा और किसी को ठेका नहीं दिया जायगा?

श्रीमती सुमित्रा : जैसे आपने सुना होगा, 31 मार्च तक इसकी अवधि है और चूंकि 10-3-69 को नये आदेश दे दिए गए हैं इसलिये अगले वर्ष का ठेका किसी को देने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि वहां पानी पीने के लिए एक ही 1–1/2×2 फीट की खेली है और जो मेले में पशु आते हैं वे 7-8 हजार होते हैं, तो क्या इतनी संख्या के लिए 1-1/2 × 2 फीट की खेली पर्याप्त है?

श्रीमती सुमित्रा : पानी की खेलियां बनाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी ने वर्क्स आर्डर दे दिए हैं, काम जल्दी प्रारम्भ हो रहा है।

श्री पी. के. चौधरी : यह महत्वपूर्ण सवाल है। 8 हजार पशु आते हैं हटवाडे म और पानी पीने के लिए सिर्फ 1-1/2 × 2 फीट की खेली है। मन्त्री महोदय ने यह कहा कि फायर ब्रिगेड जाती है, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं जाती है, सिर्फ एक बार दिन में जाती है।

श्रीमती सुमित्रा : 2988 रु. पानी की व्यवस्था के लिए म्यूनिसिपैलिटी ने मन्जूर कर दिए हैं।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि वहां जो मेले में लोग आते हैं वे दो-दो पैसे देकर पानी पीते हैं?

श्रीमती सुमित्रा : यह शिकायत आने पर ही तो ठेका प्रथा समाप्त की।

श्री पी. के. चौधरी : म्यूनिसिपैलिटी प्याऊ बनाने के लिए परमिशन नहीं देती और लोगों को वहां दो-दो पैसे देकर पानी पीना पडता है, औरतें वहां मटके लेकर बैठ जाती हैं।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य को भविष्य में ऐसी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लाभचन्द।

ग्राम चाडवास के तालाब के पायतन की भूमि

260. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चूरू जिला स्थित चाडवास ग्राम में पीने के पानी का सम्बल एक मात्र वहीं का तालाब है ?

(2) क्या उस तालाब के पास नमक के प्लाट हैं ?

(3) क्या उन नमक के प्लाटों का पानी तालाब के पायतन में निकाल दिया जाता है जिसके कारण तालाब का पानी खराब होता जा रहा है ?

(4) उस तालाब के पायतन के लिए कितनी बीघा भूमि निश्चित की गई है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) प्लाटों का पानी तालाब के पायतन में जानबूझ कर नहीं निकाला जाता है एवं प्रत्येक मौसम में ऐसा नहीं होता है। केवल वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने की सूरत में ही प्लाटों का पानी स्वाभाविक रूप से बह कर जोहड के पायतन में आ जाता है एवं पायतन के पानी के साथ बहकर जोहड में आ जाता है जिससे जोहड के पानी में कुछ खारापन रहता है।

(4) इस तालाब के लिए ग्राम चाडवास में 881)3 बीघा भूमि पायतन के लिए छोडी हुई है।

श्री लाभचन्द वैद : क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में नमक की क्यारियों में बरसात का पानी भर जाता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां।

श्री लाभचन्द वैद : क्या यह सही है कि बरसात के बाद उस पानी को पंपिंग-सैट्स द्वारा पायतन में फेंक दिया जाता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : नमक की क्यारियां जो वितरित हुई हैं उद्योग विभाग के द्वारा हुई हैं, राजस्व विभाग को इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है कि पंपिंग सैट्स द्वारा किस तरह पानी फेंका जाता है।

श्री लाभ चन्द वैद : आप मानते हैं कि पानी नमकीन हो जाता है ? क्या नमकीन पानी पीने के काम में आ सकता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्व विभाग का सम्बन्ध तो उस भूमि से है जो रेकार्ड में दर्ज है। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत है तो माननीय सदस्य उद्योग विभाग से निवेदन कर सकते हैं।

श्री लाभचन्द वैद : आपने यह प्रश्न उद्योग विभाग को क्यों नहीं भेजा ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री लाभचन्द वैद : यह विचार करने की चीज है कि जनता खारा पानी कैसे पी सकती है, एक ही स्थान है वह भी नमकीन हो जाय तो जनता कहां से पानी पीए?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो महत्व का है।

श्री गंगाराम चौधरी : यह बात उद्योग विभाग से सम्बन्ध रखती है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि राजस्व विभाग की पायतन में उद्योग विभाग खारा पानी डालता है और राजस्व विभाग ऐतराज नहीं करता?

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्थान सेलाइन लैण्ड एलाटमेन्ट रूल्स के अन्तर्गत उद्योग विभाग को अधिकार है कि कहीं भी ऐसी भूमि जहां पर नमक बहता हो

श्री भैरोंसिह : यह काम तो राजस्व विभाग का है। लेकिन पायतन में उद्योग विभाग द्वारा एलाटेड प्लाट्स में से पानी निकाल कर पीने के पानी में डाल दिया जाता है, राजस्व विभाग आपत्ति नहीं कर सकता।

श्री गंगाराम चौधरी: पायतन की जो भूमि है वह राजस्व विभाग से सम्बन्धित पंचायतों को सौंप देते हैं, उनसे कहिये कि ऐतराज करें।

श्री लाभचन्द वैद : क्या यह सही है कि पायतन की भूमि नमक के प्लाटों में दबी हुई है?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री लाभचन्द वैद : यह तो राजस्व मन्त्री से सम्बन्धित है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि जो नमक के प्लाट्स का वितरण किया गया है, वह नमक के प्लाट्स आज भी एग्रीकल्चरल लैण्ड हैं और इन्डस्ट्रियल लैण्ड के नाते एलाटमेन्ट नहीं हुआ?

श्री गंगाराम चौधरी : सेलाइन लैण्ड एटलामेन्ट रूल्स के अन्तर्गत जो एग्रीकल्चरल लैण्ड होती है उसको भी हमारा विभाग एलाट कर सकता है।

श्री भैरोंसिह : मैं समझता हूं, आपको जानकारी नहीं है।

उद्योग मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : राजस्व मन्त्री ने मुझे बताया था। मेरे खयाल से सेलाइन एरिया के लिए जो नियम लागू हैं उनके तहत यह होना चाहिये किन्तु यदि कोई गैरकानूनी कार्यवाही इस पर की जाती है तब भी उसको देख लेंगे और पानी का जो एक ही सोर्स है हमने कोई इस बात का आग्रह नहीं किया कि वहीं पर नमक बनाया ही जाय और पानी डाला जाय। अगर जरूरत होगी तो ड्रेन रखने की कोशिश करेंगे।

श्री भैरोंसिह : मेरा प्रश्न दूसरा है। यह कहा गया है कि एग्रीकल्चरल लैण्ड है और राजस्व विभाग का सम्बन्ध इसलिये नहीं रहता कि वह सेलाइन लैण्ड एलाटमेन्ट रूल्स के अन्तर्गत आता है तो क्या यह सही है कि जो लैण्ड है, अभी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की है और उद्योग विभाग को सेलाइन लैण्ड एलाटमेन्ट रूल्स के तहत प्लाट्स एलाट करने के लिए ट्रान्सफर नहीं की गई है?

Page No 9

श्री हरिदेव जोशी : क्योंकि मुझसे सम्बन्ध नहीं है इस बारे में मैं तैयार नहीं हूं किन्तु जांच करवायेंगे कि जो लैण्ड एलाट की गई है वह नियमों के तहत है या नहीं अथवा ट्रेसपासिंग उसके अन्दर है, क्या पोजीशन है।

श्री लालचन्द वैद : तालाब में पानी बरसात के समय आता है या और भी आता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम गंगाराम।

थाना पीलवा में दर्ज मामले

261. श्री **परसराम गंगाराम** (परबतसर-सु.) की अनुपस्थिति में [श्री विजय सिंह (मकराना) द्वारा पूछा गया : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) थाना पीलवा, तहसील परबतसर में 1967 व 1968 में अब तक कितनी चोरियों के केस दर्ज हुए और किस किस ग्राम में ? उनमें से कितनी चोरियां बरामद हुई ? जो बरामद नहीं हो सकी है उनके क्या कारण है ?

(2) उक्त अवधि में थाना पीलवा में कत्ल व डकैती के केस कितने दर्ज हुए और चालान कितनों में हुआ और परिणाम क्या रहा ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) थाना पीलवा, तहसील परबतसर में 1967-1968 में अब तक क्रमशः 9 व 20 चोरियां हुई हैं (ग्रामवाइज लिस्ट संलग्न है)। सन् 1967 की कुल 9 चोरियों में से 5 अदम वकुआ रही, 1 अदम पता रही व 3 में चालान दिया गया। जिसमें से एक 512 सी. आर. पी. सी. का चालान है। 1968 की कुल 20 चोरियों में से 12 चोरियां चालान हुई हैं, 3 में एफ. आर. अदम वकुआ, 5 में एफ. आर. अदम पता में पेश की गई हैं। अदम पता चोरियां बावजूद अजहद कोशिश के बरामद नहीं हो सकीं। जिनकी पतारसी आइन्दा सुराग मिलने पर की जायगी।

(2) सन् 1967 व 1968 में थाना पीलवा में कोई डकैती नहीं हुई। सन् 1967 में कत्ल के दो मुकदमात दर्ज हुए। जिनमें एक का चालान दिया जा चुका है व दूसरा केस बावजूद पुलिस की कोशिश के बरामद नहीं हुआ। 1968 में कोई कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री रामसिंह कुडी।

नागौर जिले की धार्मिक जागीरों की एन्यूटी के मामले

262. श्री **रामसिंह कुडी** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले की धार्मिक जागीरों के कितने एन्यूटी के बिल अकाउन्टेन्ट जनरल के पास प्री आडिट के लिये पेन्डिंग है ?

(2) ये बिल कब तक पास होकर रकम का भुगतान हो सकेगा ?

(3) नागौर जिले की धार्मिक जागीरों के एन्यूटी के कितने मामले तय हो गये हैं ? कितने मामलों में रकम का भुगतान हो गया

Page No 10

(श्री रामसिंह कुर्डा)
है ? कितने मामले तय होने बाकी हैं एवं कितने मामले अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी):
(1) दो बिल।

(2) बिल महालेखाकार से पास होकर आते ही भुगतान कर दिया जायगा।

(3) एन्यूटी के 3301 मामले तय कर दिये गये हैं। 806 मामलों में रकम का भुगतान हो गया है। 233 मामले तय होना बाकी है। ऐसा कोई मामला नहीं है जो शुरू नहीं हुआ हो।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 263

श्री मजलिस खां।

अनुपस्थित (कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 264

श्री रामानन्द अग्रवाल

अनुपस्थित (कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल।

परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र

265 श्री **श्रवण लाल** (हिन्डौन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1961-62 में बेसिक एस. टी. सी. करौली की परिक्षा में कितने व्यक्ति बैठे थे ? और उनमें से कितने उत्तीर्ण हुए ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों को उक्त परीक्षा में बैठने से रोका गया था? यदि हां, तो किन कारणों से और उन्हें परीक्षा में बैठने से रोके जाने की सूचना कब दी गयी थी ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों को उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी उनकी उपस्थिति कम बता कर उनके प्रमाण-पत्र रोक लिये गये और उन्हें आज तक प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये ? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं ? उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इस मामले में गलती किसकी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) उपरोक्त प्रमाण-पत्र जिनके रोके गये हैं उन्हें कब तक दे दिये जावेंगे ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री वीरसिंह):
(1) इस परीक्षा के लिये 120 छात्राध्यापकों ने फार्म भरे उनमें से 113 ने पूरी परीक्षा दी जिनमें से 98 उत्तीर्ण हुए।

(2) जी हां। 7 छात्राध्यापकों को उपस्थिति कम होने के कारण रोका था। स्कूल के कार्यालय के रेकार्ड से यह प्रतीत होता है कि परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही कम उपस्थिति की सूचना दे दी गई थी, परन्तु उन्हें उनके उत्तरदायित्व पर परीक्षा में सम्मिलित किया गया। दो पर्चे देने के बाद उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी गई।

(3) जी हां। 2 छात्राध्यापक श्री अनूपचन्द जैन व श्री अब्दुल समद सिद्दीकी हैं। इनमें से श्री अनूप चन्द जैन बाद

Page No 11

(श्री धोरसिंह)
2 माह की उपस्थिति देकर एवं पुनः परीक्षा देकर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुके हैं ।

(4) जांच के पश्चात् इसके लिये तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाध्यापक तथा कार्यवाहक कक्षा अध्यापक श्री अजीजुद्दीन कुरेशी उत्तरदायी पाये गये। अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर को उनका एक ग्रेड इन्क्रीमेंट क्युम्युलेटिव इफेक्ट से रोकने हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

(5) श्री अब्दुल समद सिद्दीकी भी अब दो माह की उपस्थिति देकर पुनः परीक्षा दे लेंगे तब ही प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे ।

श्री श्रवण लाल: यह आपने 17 छात्रों की अनुपस्थिति की सूचना कब भेजी ?

श्री धोरसिंह: उनके लिये सूचना दो इन्स्टालमेन्ट में भेजी गयी । एक तो 6 अध्यापकों की 10-4-62 को और 1 अध्यापक की 16-4-62 को भेजी ।

श्री श्रवणलाल : अब्दुल समद सिद्दीकी और अनूपचन्द इनको भी विभाग के द्वारा अनुपस्थिति की सूचना भेजी ?

श्री धोरसिंह: उनको नहीं भेजी । अब्दुल समद और अनूपचन्द को सूचना कतई नहीं भेजी गयी । कारण कि दो इम्तिहान में बैठ गये । जब मालूम हुआ तो कुरेशी ने नहीं भेजी । उनको परीक्षा में बैठने दिया जाय तब तक परीक्षा समाप्त हो गई क्यों कि कोरेस्पोन्डेन्स में समय लगा । उनका रिजल्ट रोक लिया गया ।

अनूपचन्द ने अटेन्डेन्स पूरी करवा कर थ्योरी में एक्जामिनेशन दिया तब उसको प्रमाण-पत्र मिला । अब्दुल समद सिद्दीकी ने दुबारा इम्तिहान देने की कार्यवाही नहीं की ।

श्री श्रवणलाल : प्रधानाध्यापक को मालूम कब पडा कि उपस्थिति कम है ? जब कि दो पर्चे दिये जा चुके थे, कैसे मालूम पडा कि उपस्थिति कम है इसलिये परीक्षा में न बैठने दिया जाय ?

श्री धोरसिंह : मुख्य अध्यापक को अटेन्डेंस भेजी गयी । लेट भेजने के कारण दो परीक्षा दे चुके थे । लेट स्टेटमेन्ट भेजा इसलिये एक्जामिनेशन में बैठ गये ।

श्री श्रवणलाल : जिस प्रकार आप मानते हैं कि कुरेशी की गलती थी उसके कारण जिन अध्यापकों ने इम्तिहान दिया, रिजल्ट पेपर्स में प्रकाशित हो चुका और जब वे मार्कशीट लेने गये तो वह भी उनको कार्यालय से मिल गयी आपको दुबारा कब मालूम हुआ कि उपस्थिति कम थी इसलिए प्रमाण-पत्र नहीं दिये जा सकते ?

श्री धोरसिंह : उपस्थिति कम थी ।

श्री श्रवणलाल : परीक्षा में बैठ गये, पास हो गये, लिस्ट भी उनके पास पहुंच गयी । फिर उनको अनुपस्थिति का कब मालूम पड़ा कि अनुपस्थिति थी इसलिये उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाना चाहिये था, यह प्रधानाध्यापक को कब मालूम पड़ा ?

श्री धोरसिंह : 10 ता. को 6 के नाम भेजे और 16 को एक का नाम और भेज दिया रजिस्टार ने आर्डर दिया तब तक एक्जामिनेशन

(श्री धीरसिंह)

में बैठ चुके थे। कोरेस्पोन्डेन्स में देर लगी तब तक एक्जामिनेशन में बैठ चुके थे अनूपचन्द और अब्दुल समद के नाम नहीं एड किये गये बाद में मालूम पड़ा तो रिजल्ट रोक लिये गये अनूपचन्द ने बाद में सरकुलर के तहत इम्तिहान दिया।

श्री **श्रवणलाल** : अध्यक्ष महोदय सवाल इस बात का है कि अध्यापक को यह मालूम नहीं था कि उनकी उपस्थिति कम है। बाद में परीक्षा हो चुकी थी, मार्क लिस्ट मिल चुकी थी प्रमाण पत्र लेने के लिये दरख्वास्त दी तब उनके खिलाफ भावना को लेकर कि अध्यापकों में सोसाइटी मेन्टेन करके चलते थे; आरोप लगाया कि पांच पांच दस दस रुपया लेकर ऐसा किया।

श्री **अध्यक्ष**: ऑर्डर प्लीज !

श्री **श्रवणलाल** : मैं यह पूछना चाहूंगा कि सन् 62 में परीक्षा दी। माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रधानाध्यापक और दूसरे लोगों की गलती के कारण यह घटना हुई उनको दंड दे दिया 62 में जब यह परीक्षा हुई और 62 में जब यह मालूम हो गया कि सर्टिफिकेट रोक लिये जाय तो क्यों नहीं इस प्रकार के आदेश उनको दिये जाने चाहिये थे कि इस प्रकार प्रमाण-पत्र रोके गये हैं, आप दो महीने के लिये किसी विद्यालय में हाजरी पूरी करवा कर इम्तिहान दें ताकि प्रमाण–पत्र दिये जा सकें।

श्री **धीरसिंह** : फर्स्ट अगस्त 62 में जारी हो चुका था। अब्दुल समद नहीं बैठा तो प्रमाण-पत्र कैसे दें ?

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

श्री **श्रवणलाल** : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि 62 में परीक्षा हो गयी प्रमाण-पत्र के लिये 68 तक उनको घसीटते रहे। दो बार यह असेम्बली में आ चुका है। उसको घसीटते जा रहे हैं।

श्री **अध्यक्ष**: कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। दूसरे कई प्रश्न हैं।

पानी के कनेकशन काटने की घटनाएं

266. श्री **भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपरिषद् अजमेर द्वारा गृह कर (हाउस टेक्स) के मामलों को लेकर पानी के कनेक्शन काटे जाते हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने केसेज हैं जिनमें कनेक्शन्स काटे गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि हाउस टेक्स व प्राइवेट पानी के कनेक्शन का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है ? यदि हां तो सरकार प्रशासक एवं आयुक्त नगरपरिषद् अजमेर को ऐसी अनियमितता को शीघ्रातिशीघ्र कब तक निर्देश देने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि ऐसे मुकदमों में नगरपरिषद् अजमेर का काफी धन बर्बाद होता है ? यदि हां, तो जनवरी 1967 से दिसम्बर 1958 तक ऐसे केसेज पर कितना धन व्यय किया गया ?

राज्य मंत्री स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा):
(1) जी नहीं।

Page No 13

(श्रीमती सुमित्रा)

(2) जी हां। आगे का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(3) जी नहीं । प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री भगवान दास शास्त्री: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि अजमेर नगरपालिका में इस हाउस टैक्स के नाम पर जो कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त है, आपने कहा कि इससे सम्बन्ध नहीं है, मेरे पास अजमेर का एक विधायक होने के नाते एक केस आया है हाउस टैक्स जिसमें बकाया है जानकी लाल मकान में उपस्थित नहीं था, उसकी बुढ़िया मां वहां थी, उस बुढ़िया को कान्सटेबल ने धकेला, उनका सामान कुर्क किया अजमेर नगर-परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त है । हाउस टैक्स को असेस करने के लिये आपने वारन्ट आफिसर नियुक्त कर रखा है । पहले तो वे लोग पैसा मांगते हैं कि सौ रुपया दे दो नहीं तो बेइज्जती होगी । बुढ़िया को एक तरफ फेंक दिया ।

श्रीमती सुमित्रा: नाम आप उनका बताइये।

श्री भगवान दास शास्त्री: 30 अक्टूबर को यह नोटिस दिया है एडमिनिस्ट्रेटर ने

श्याम स्वरूप अग्रवाल :

"Under instructions from my client I have to write as under:—

1. That my client possessed the house number....

श्री अध्यक्ष: सारांश बता दीजिये ।

श्री भगवान दास शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, नोटिस की नकल हमको भेजी है । दुबारा नोटिस भेजा । बुढ़िया को धकेला ।

श्री अध्यक्ष: बुढ़िया शरीफ का नाम बता दीजिये ।

श्री भगवान दास शास्त्री: गोपी बाई । प्राचीन संस्कृति की दृष्टि से औरत का नाम नहीं बताया जाता है ।

श्री अध्यक्ष: बुढ़िया का नाम बता सकते हैं

श्री भगवान दास शास्त्री: बेटे के नाम से नोटिस आता है, राम नगर पुष्कर रोड जिसका उससे सम्बन्ध नहीं है । घर से घड़ियां उतारीं, बक्से उतारे । बुढ़िया को धकेला, वह बेहोश हो गयी । अजमेर नगर परिषद् के लोगों द्वारा जो कार्य किया गया उसकी सूचना दी ।

श्रीमती सुमित्रा: माननीय सदस्य जिस महिला की पैरवी कर रहे हैं उसका पूरा केस उन्होंने समझा नहीं है और यों ही उसकी पैरवी कर रहे हैं । इसमें हाउस टैक्स की बकाया की कोई बात नहीं है, उन्होंने पानी का बिल छः महीने से जमा नहीं करवाया था और छः महीने की बकाया उनमें रहती थी । यह जानकारी अगर माननीय सदस्य कर लेते तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और जिस दिन उस महिला ने पानी के पैसे जमा कराए उस दिन से बराबर उसको पानी मिल रहा है ।

श्री भगवान दास शास्त्री: आप यहां बैठकर सूचना दे सकती हैं और मैं वहां नगर में बैठकर सही सूचना नहीं दे सकता ? आपकी सूचना गलत है । हाउस टैक्स की

Page No 14

(श्री भगवानदास शास्त्री)
बकाया का प्रश्न था। पानी का तो कोई बिल ही नहीं आया था उसके पास जब बिल ही नहीं आया तो भुगतान किस बात का? हाउस टैक्स का ही मामला था और उन्होंने रिश्वत भी मांगी। पहले 100 रुपये मांगे, फिर 50 मांगे और बाद में 25 पर आ गये और फिर बुढ़िया को परेशान किया।

श्रीमती सुमित्रा: माननीय सदस्य का यह कहना सर्वथा गलत है कि पानी का कनेक्शन हाउस टैक्स की बकाया की वजह से काटा गया। जैसा मैंने निवेदन किया, उनमें पिछले छः महीने का पानी का बिल बकाया था इसलिए काटा गया। यदि पानी का बिल बकाया नहीं था, तो उन्होंने फिर पानी का बिल जमा कैसे कराया?

श्री भगवान दास शास्त्री: आप कृपया यह तो बतायें कि कौनसी तारीख को उसके पास बिल भेजे। जब उनके पास बिल ही नहीं आये तो पैसा कैसे दें?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री भगवान दास शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कहती हैं कि मैं झूठ बोलता हूं। मैं वहां का विधायक हूं और आप कहती हैं कि मैं झूठ बोलता हूं। इसका मतलब यह है कि आप नगर परिषद् की कार्यवाही को नजर अन्दाज करती हैं क्यों कि आपका वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर स्वागत करते हैं, इसलिये आप उनकी कार्यवाही को नजर अन्दाज कर रही हैं। इसकी एन्क्वायरी होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आर्डर 2। क्या इसकी एनक्वायरी कराने को तैयार हैं?

श्रीमती सुमित्रा: अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरा का पूरा केस स्पष्ट कर दिया। फिर भी माननीय सदस्य को सन्तोष नहीं होता है तो मैं फिर से जांच कराने को तैयार हूं, लेकिन हाउस टैक्स से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाडवार (हवा महल जयपुर): क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जब 1962 से हाउस टैक्स बकाया थी तो तीन साल का मुद्दा निकालने के बाद नोटिस क्यों दिया?

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न।

श्री दुर्गालाल बाडवार: यह बिल्कुल सही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: सही तो है पर अलग से है।

श्री दुर्गालाल बाडवार: क्या इस सारी अवधि में कभी हाऊस टैक्स के बारे में नोटिस दिया गया?

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज!

श्री भगवानदास शास्त्री: इसकी जानकारी तो होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य!

श्री भगवानदास शास्त्री: मंत्री महोदया को इसका ज्ञान भी है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री भगवान दास शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर तो आना चाहिए।

Page No 15

श्री **अध्यक्ष**: जांच का आश्वासन दे दिया उसमें यह भी सम्मिलित हो जायेगा।

नेक्स्ट, श्री दिग्विजयसिंह।

सडक सीमाओं में घास के ठेके

267. श्री **दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हाईवेज व अन्य सडकों के मार्गों पर पी. डब्लू. डी. विभाग की सडक सीमाओं की घास के ठेके दिये जाते हैं? यदि हां, तो किस किस जिले में कितने कितने के ठेके दिये गये? कृपया आंकडे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कई स्थानों पर जंगलात विभाग द्वारा यह ठेका दिया जाता है? यदि हां, तो यह कैसे और पी. डब्लू. डी. की जमीन पर उन्हें अधिकार है?

(3) क्या यह सही है कि अजमेर-ब्यावर, अजमेर-भीलवाडा जाने वाली सडकों की सीमा का ठेका गत वर्ष व इस वर्ष फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट द्वारा दिया गया? यदि हां, तो कितने में?

(4) क्या इन ठेके देने से इन हाईवेज पर जानवरों की संख्या इतनी हो जाती है कि मोटर चालकों के लिये बाधा भी करती है?

(5) क्या सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेगी जिससे हाइवेज पर इस तरह के नीलामी ठेके न दिये जायें?

उप मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह): (1) जी नहीं।

(2) अजमेर जिले को छोडकर शेष किसी भी स्थान पर सडक की सीमा में घास का ठेका वन विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है। यह नीलाम वन विभाग अजमेर इकाई के समय से करता आ रहा है।

(3) जी हां, आय के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(5) विचाराधीन है।

श्री **दिग्विजय सिंह**: आपने कहा कि केवल अजमेर में ही यह ठेका दिया जाता है, तो क्या पी. डब्ल. डी. के नियमानुसार सडक के दोनों ओर 55 फुट की बाऊंडरी का जो लेंड है वह पी. डब्लू. डी. का नहीं होता?

श्री **माधोसिंह**: पी. डब्लू. डी. का होता है, पर अजमेर राज्य में इस प्रकार की प्रथा थी कि वन विभाग ही इसकी देखरेख करता था और वन विभाग ही ठेका दिया करता था। अब इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री **दिग्विजय सिंह**: अब तो अजमेर राजस्थान का ही एक अंग बन गया है, फिर भी इस तरह की प्रथा वहां पर क्यों चल रही है?

श्री **माधोसिंह**: वही तो कह रहा हूं कि विचार किया जा रहा है।

श्री **दिग्विजयसिंह**: अध्यक्ष महोदय, यह हाइवेज है, काफी ट्रैफिक वहां चलती है लेकिन वन विभाग द्वारा सडक के पास में ठेका देने के कारण वहां मवेशी चरने को आ जाती हैं जिससे एक तो एक्सीडेन्ट

Page No 16

(श्री दिग्विजय सिंह)
होते हैं और ट्रेफिक में भी बाधा पडती है। क्या इन सब पर आप विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : क्या विचार करेंगे ?

श्री माधो सिंह : करेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने पहले तो कहा कि विचार किया जा रहा है और अब कहते हैं कि विचार करेंगे यह क्या बात है ?

श्री माधोसिंह : इस पर विचार किया भी जा रहा है, और आपने जो बातें अब कही हैं उन पर विचार करेंगे भी।

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्या उस फारेस्ट का सेटलमेंट हो चुका है ?

श्री अध्यक्ष : इससे संबंधित नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : जब अजमेर सारा राजस्थान में मर्ज कर दिया गया तो अजमेर का कानून कैसे राजस्थान के कानून को ओवरराइड करता है ? जब राजस्थान में और किसी सडक के पास ऐसी बात नहीं है तो अजमेर में ही क्यों चला रहे हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : दूसरी सब जगहों पर पी. डब्लू. डी. के कब्जे में हैं, और अजमेर में क्या किया जाये इस पर विचार किया जा रहा है। अजमेर में पहले वन विभाग ठेका दिया करता था और वही चल रहा है, पी. डब्लू. डी. कहीं ठेका नहीं देता। सवाल यह उठता है कि पी. डब्लू.डी. इस जमीन को अपने हाथ में ले या नहीं ले, तो सडक ले लेने में अभी कोई फायदा तो नजर नहीं आता।

श्री दिग्विजय सिंह : फायदा नजर नहीं आता सवाल तो यहां पर प्रिन्सिपल का है। प्रिन्सिपल यह है कि जब सारे राजस्थान में इस तरह से ठेका नहीं दिया जाता है तो यह विशेष बात केवल अजमेर में ही क्यों चला रहे हैं ? इसको समाप्त करें।

श्री माधोसिंह : यही तो सवाल का जवाब आपको दिया कि अजमेर में इस तरह की प्रथा थी और उस पर विचार किया जा रहा है

छोटी जोत पर भू-राजस्व की वसूली

268. श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ)–क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने छोटी जोत यानि छोटे काश्तकारों को सन् 1967 की खरीफ की फसल से भू-राजस्व से मुक्त किया है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने छोटे काश्तकारों से भू-राजस्व लगान बाद में वसूल कर लिया ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जो भू-राजस्व उन काश्तकारों से वसूल किया उसको वापिस दो किश्तों में लौटाने का ऐलान किया ?

(4) क्या यह सही है कि यह भू-राजस्व लगान अब भी छोटे काश्तकारों से लिया जा रहा है ?

उपमन्त्री राजस्व (श्रीगंगाराम चौधरी)

उत्तर

(1) जी हां।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

श्री नाथूलाल करोल: आपने प्रश्न दो, तीन के उत्तर में जी हां, जी हां, कहा है। तो क्या काश्तकारों को यह पैसा लौटा दिया गया है ?

श्री गंगाराम चौधरी: जी नहीं लौटाया गया है। यह मामला वित्त विभाग के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में वित्तीय आपत्तियां हैं। उनकी जांच जारी है; उनको दूर करने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री नाथूलाल करोल: काश्तकारों को वापिस करने में क्या आपत्तियां हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): यह ऐलान कर दिया गया हाउस में कि दो किश्तों में यह रकम काश्तकारों को लौटा दी जायेगी...

श्री गंगाराम चौधरी: वित्त विभाग की यह आपत्ति है कि जिस व्यक्ति से लगान लिया गया, वह लगान उसी व्यक्ति को लौटाया जा सकता है। दूसरों को लगान वापिस नहीं लौटाया जा सकता है। पंचायत समिति, जिला परिषद् को यह राशि दी जाय इसका एग्जामिनेशन चल रहा है, इसका निर्णय, होने पर आवश्यक कार्यवाही होगी।

श्री नत्थीसिंह : वित्त विभाग की यह सही आपत्ति है। परन्तु क्या आपकी इसे लौटाने की नीयत है या नहीं यह तो आप ऐसे ही चला रहे हैं। आपने जिन व्यक्तियों से लगान वसूल किया है, क्या उनको आप वापिस लौटायेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि यह राशि पंचायत समिति, जिला परिषद् को दी जाय। इसके लिये पंचायत समिति, जिला परिषद् से प्रस्ताव आयेंगे तो देंगी वरन्, राज्य सरकार अगले वर्ष उन्हीं व्यक्तियों को लगान माफी दे देगी जिनसे यह लगान वसूल किया गया है। जिला परिषद, पंचायत समिति से जो प्रस्ताव आये हैं, इस सिलसिले में जांच की जा रही है। यह निर्णय हो जायेगा कि यह राशि जिला परिषद्, पंचायत समिति को नहीं दी जा सकती तो राज्य सरकार यह निर्णय ले लेगी कि यह रकम उन्हीं किसानों को वापिस लौटा दी जाये।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): यह घोषणा की थी, इस सदन में कि जिन लोगों से माफी का लगान वसूल कर लिया गया है वह उन्हीं को लौटा दिया जायेगा। यह तो आप एडजस्टमेंट करने की बात कह रहे हैं कि यह पंचायत समिति और जिला परिषद् को दिया जायेगा, उस क्षेत्र के विकास के लिये।

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : गवर्नमेंट ने यह तय किया था कि जो रकम वसूल की गई है, वह जिला परिषद्, पंचायत समिति प्रस्ताव करे तो वह उस गांव के पेय जल व विकास के लिये दे दी जावे। यह प्रस्ताव आने पर यह रकम उनको लौटादी जायेगी। इस बीच में यह फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया तो यह टेकनीकल आब्जेक्शन आया कि जिला परिषद्, पंचायत समिति इसकी अधिकारी नहीं है। यह काश्तकार की

(श्री रामकिशोर व्यास)

सहमति से ही इनको दिया जा सकता है। जहां जिला परिषद्, पंचायत समिति प्रस्ताव न करे वहां यह रकम उन्हीं लोगों को वापिस लौटा दी जाय।

श्री नत्थीसिंह: विधान सभा में जो ऐलान किया गया था अध्यक्ष महोदय, वह यह ऐलान किया गया था, वह ऐलान वित्त मन्त्रीजी द्वारा किया गया था, वह यह था कि जो लगान वसूल कर लिया है, वह दो किश्तों में वापिस कर दिया जायेगा। यह वित्त मन्त्रीजी का ऐलान था कि अब वह उस ऐलान में अमेंडमेंट हो गया है। आप इसको वापिस करना नहीं चाहते हैं। यह तो एडजस्टमेंट करना हो गया है। यह दूसरी बात उस समय नहीं थी। यह उन्होंने दान स्वरूप नहीं दिया। यह तो टैक्स स्वरूप उन पर ही गया है। यह तो गवर्नमेंट ऐलान से मुकर रही है, यह आपकी आदत हो गई है।

श्री रामकिशोर व्यास: देन के लिये नीयत है। नहीं देने की बात नहीं है। एक पाइन्ट यह था कि यदि जिला परिषद् से प्रस्ताव पास होकर आता है तो यह रकम उस गांव के बेटरमेंट के लिये दे दी जाय। और नहीं आवे तो यह उनको वापिस कर दिया जायेगा।

श्री रामकिशन (वैर): इसमें दो मसले मिलाये जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। यह तय हुआ था कि इसके बाद जो लगान वसूल होगा वह पंचायत समिति, जिला परिषद् की मार्फत होगा और इसकी योजना बनाकर चलें और उस क्षेत्र के गांव के विकास पर यह खर्च होगा इसका अलग से हिसाब रख कर योजना बनेगी। परन्तु पहले जो रकम वसूल हो गई है, वह तो काश्तकारों को लौटायी जायेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने लगान दिया है, उससे बिना पूछे उसका पैसा किसी दूसरे को आप कैसे दे सकते हैं। इसमें उनकी स्वीकृति होना जरूरी है।

श्री नाथूलाल करोल: राजस्व मन्त्रीजी मेरा पैसा उद्योग मन्त्रीजी को कैसे दे देंगे? मेरा पैसा मेरे को ही लौटाना होगा, जिला परिषद् को नहीं। दूसरी बात यह है कि नम्बर चार के अन्दर राजस्व मन्त्रीजी ने यह फर्माया है कि उनका लगान बाद में नहीं लिया जायेगा। पंचायत समिति, जिला परिषद् में एडजस्टमेंट कर दिया जायेगा। लगान लेने का सवाल नहीं है। लगान माफ हो चुका है। छोटी जोत वालों की माफी हो गई है दुबारा वसूल नहीं होना चाहिए। उनका पैसा आप वापिस कब लौटायेंगे, इसका उत्तर आपके पास क्या है?

श्री रामकिशोर व्यास: जो आर्डर पास हुआ है, वह आज्ञा 12-3-68 की है। उसमें यह स्पष्ट किया है कि वसूली की गई रकम को निम्न विधि से प्रयोग किया जायगा:—

(1) सम्बन्धित पंचायत समिति व जिला परिषद् दोनों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधिक कृषि योजना, ग्रामीण पेय जल योजना के प्रयोगार्थ उक्त प्रकार से वसूल की गई राशि का प्रयोग किया जायेगा। (2) यदि उक्त प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते तो अगली दो खरीफ की लगानों से उपरोक्त वसूल शुदा रकम सम्बन्धित काश्तकारों को लगान में छूट कर दी जायगी।

श्री **नत्थीसिंह** : असेम्बली में वित्त मंत्रीजी ने जो कहा था, वह पढ़कर सुनाग्रो। प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि जब ऐलान हुआ तो यह कहा गया कि जिसने जमा कराया है, उसको वापिस कर दिया जायगा। यह उसी को वापिस मिलना चाहिये। उसके बाद में निर्णय लेकर यह कहें कि इसको पंचायत समिति, जिला परिषद् को दिया जायेगा। यह तो इस पैसे का एडजस्टमेंट करना है।

एक माननीय सदस्य : क्या उस ऐलान में तब्दीली करने का राज्य सरकार ने अपना अधिकार रिजर्व कर रखा है ?

श्री **दौलतराम सारण** : गवर्नमेन्ट दो बात एक साथ कह रही है। छोटी जोतों पर लगान माफ करने का ऐलान राज्यपाल महोदय द्वारा यहां कराया गया था और उनसे दुबारा वसूली कर ली गई। विधान सभा में इस पर ऐतराज उठा था, निंदा प्रस्ताव राज्य सरकार के विरुद्ध पेश हुआ था। तब वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की थी जो लगान वसूल कर लिया गया है इस साल का, वह लगान उस किसान को वापिस कर दिया जायेगा। आइन्दा जो लगान वसूल होगा, वह पंचायत समिति, जिला परिषद् के प्रस्ताव आने पर वहां की योजनाओं पर खर्च किया जायेगा। ये दोनों प्रश्न थे। इनको मिलाया जा रहा है।

श्री **रामकिशोर व्यास** : इन दोनों को बिल्कुल नहीं मिलाया जा रहा है। वित्त मंत्रीजी ने यह ऐलान किया था कि जो रकम वसूल की गई है, वह अलग खाते में जमा करायेंगे उस मद में जो रकम आयेगी, वह उस गांव के उपयोग के लिये, विकास के काम में खर्च की जायेगी, पंचायत समिति, जिला परिषद् के प्रस्ताव आने पर या वहां की पेय जल योजना पर खर्च की जायेगी। नहीं तो वापिस लौटा दी जायेगी, यह बिल्कुल साफ है।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री **नत्थीसिंह** : एक बात पूछना चाहता हूं ....

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

श्री **नत्थीसिंह** : जो हाऊस में ऐलान किया गया है, गवर्नमेन्ट उस पर क्या स्टिक रहेगी ? उसको बदलेगी नहीं बिना हाऊस की मंशा के ?

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री **जयनारायण सालोदिया** : प्रश्न संख्या 269।

निवाई के पहाड में खानों के ठेके

269. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निवाई के पहाड में किस किस प्रकार के पत्थरों व धातुओं की कितनी खानें किन किन को कब तक के लिये लीज पर दी हुई हैं ? खानों से सरकार को कितनी आमदनी हर साल होती है ?

(2) क्या यह भी सरकार की जानकारी में है कि पहाड में अन्य किसी कीमती धातु की खानें भी हैं ? यदि हां, तो किस धातु की ?

उप मंत्री खनिज (श्री भीमसेन) :

(1) चाही गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऐसी कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न नहीं उठता है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रश्न एक के उत्तर में जवाब दिया है कि चेजा पत्थर को लीज पर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं। गरीब लोग तो इसी से कमा कर खाते हैं। बडे बडे लोगों को लीज पर देते हैं। यह क्यों ?

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : गवर्नमेन्ट का रायल्टी कलेक्शन खत्म करने का निर्णय था, उसी के अनुसार वे लीजेज हैं, वे खत्म होने के बाद में एरिया ग्रोपन हो जायेगा और बगैर किसी टैक्स के आम लोगों को मिला करेगा। इसलिये लीज नहीं देते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं चेजा पत्थरों के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इस बारे में निवेदन कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजय सिंह : प्रश्न संख्या 270।

फौजी सैनिकों एवं अफसरों को जयपुर में प्लाटों का आवंटन

270. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) अब तक नगर विकास न्यास ने तीनों सेवाओं के कितने सैनिकों व अफसरों को जयपुर में आवास हेतु प्लाट दिये हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) ऐसे कितने फौजी हैं जिनकी अर्जियां आवास हेतु प्लाटों की नगर विकास न्यास में अभी तक पडी हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें तथा यह बताने की कृपा करें कि उनकी क्या स्थिति है ?

(3) क्या यह सही है कि जो फौजी दूसरे जिलों के हैं और जयपुर में प्लाट लेना चाहते हैं उनमें से कुछ की अर्जियां ही जयपुर में स्वीकृत की जाती हैं अन्यथा उनके जिलों में भेज दी जाती हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जाता है ?

राज्य मंत्री, टाउन-प्लानिंग (श्रीमती सुमित्रा):--

(1) अब तक नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा तीनों सेवाओं के सैनिकों को 281 भूखंड आवास हेतु आवंटित किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :--

जल	.. ..	4
थल	.. ..	245
नभ	.. ..	32
कुल	.. ..	281

(2) सदन की मेज पर रख दी है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के मंत्री परिषद् के निर्णय से पूर्व सभी जिलों के सैनिकों को भू-आवंटन किया गया। तत्पश्चात् जिलेवार सैनिकों को भू-खंड आवंटन के आदेश होने से जयपुर से संबंधित सैनिकों को छोड कर अन्य के प्रार्थना-पत्रों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि कुछ सैनिकों को जो दूसरे जिलों में रहते हैं उनको जयपुर में भूमि आवंटित की गई है, इसके उपरान्त भी कोई जयपुर में रहना चाहता है तो उनको क्यों नहीं भूमि दी जाती है ?

श्रीमती सुमित्रा : सन् 66 से पहले जब कि निर्णय नहीं लिया गया था तब तक सभी प्रकार के सैनिकों को यहां भी भूमि दे दी जाती थी पर बाद में मन्त्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार जयपुर में रहने वाले लोगों को ही दिया जावे और इसी के आधार पर कमेटी बनी हुई है यह निर्णय लिया गया था और इसी के आधार पर अब आवंटन होता है।

श्री विजयसिंह : तो फिर क्या उनकी अर्जियां उनके संबंधित जिलों में भेज दी गई हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हां।

श्री विजयसिंह : तो फिर उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्रीमती सुमित्रा : आपने जयपुर नगर का ही पूछा था।

श्री विजयसिंह : फिर आपने इसमें पंजाब बंगाल, बैंगलोर, पूना कानपुर का कैसे बता दिया।

श्रीमती सुमित्रा : वे पेंडिंग में पड़े हैं जयपुर नगर न्यास के पास इसलिये दे दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मवेशी लेकर पाकिस्तान गये परिवार

271. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर के कुछ मुसलमान कुटुम्ब अपने मवेशी लेकर पाकिस्तान चले गये ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उनके पाकिस्तान भागने का पहले से ही कुछ सिलसिला था ? अगर हां, तो इस बारे में सावधानी क्यों नहीं बरती गई ? उनके पाकिस्तान जाने के कितने दिन बाद सरकार को मालूम पडा और किसने सूचना दी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि वे लोग अपने साथ हमारे यहां की भी मवेशी साथ लेकर चले गये ? अगर हां, तो कितनी व किस किस की ? उस मवेशी को वापिस लाने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि पाकिस्तान बोर्डर कमाण्डर ने बोर्डर पुलिस मीटिंग में अपनी मवेशी वापिस करने का वायदा किया था ? अगर हां, तो उस वायदे को अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया है ? अब कब तक मवेशी वापिस आने की सम्भावना है ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त मवेशी व भागे हुए मुसलमान पाकिस्तान सरकार ने वापिस राजस्थान सरकार के सुपुर्द कर दिये हैं ? अगर हां, तो कब ? अब ऐसे लोगों के साथ अन्तिम कार्यवाही क्या की जावेगी ?

Page No 22

राज्य गृह मंत्री, (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, यह सत्य है कि ता. 8-11-67 की रात्रि को गांव मीठा खांगला तहसील सांचोर जिला जालोर के कुछ मुसलमान परिवार अपने कुटुम्ब व मवेशी लेकर पाकिस्तान चले गये थे।

(2) जी नहीं। उनका पहले से पाकिस्तान भागने का इरादा था। इस विषय में पहले कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली थी। इनके जाने की सूचना सर्व प्रथम श्री मंगलसिंह मुख्य आरक्षी नम्बर 45 (ए. पी.) पुलिस चौकी खेजडीयाली ने एस. एच. ओ. थाना सरवाना को दी थी। यह सूचना इनके पाकिस्तान चले जाने के चार दिन बाद यानि 12-11-67 को पुलिस थाना सरवाना को मिली थी।

(3) वह लोग जाते समय अपने साथ निम्न लिखित मवेशी ले गये थे। गाय 355, ऊंट 3, घोडा 1, घोडी 4, बैल 2 भैंस 2 कुल 367 मवेशी अपने साथ ले गये थे इनमें से 259 मवेशी लोगों के तथा 108 मवेशी उनके खुद के थे। किस किस के मवेशी ले गये उनकी सूची संलग्न है। उपरोक्त मवेशियों व भारत से भागे हुए मुसलमान परिवारों को वापस लाने के लिये ता. 16-1-68 को वृत्त अधिकारी, भीनमाल व एस. एच. ओ. थाना सरवाना ने हिन्द पाक सीमा पर पिलर नम्बर 917/2 पर पाकिस्तान सीमा अधिकारियों से बातचीत की तथा पाक अधिकारियों ने उपरोक्त हिन्दुस्तानी नागरिक व मवेशियों का उनकी सीमा में दाखिल होना मंजूर किया।

(4) जी हां। ता. 16-1-68 को पाक अधिकारियों से हुए वार्तालाप में उन्होंने जो मवेशी व हिन्दुस्तानी नागरिक उनकी [illegible] में गये थे व निम्नलिखित हिन्दु[illegible] अधिकारियों को वापिस संभला दिये।

गाय 257, ऊंट 2, घोडी 3, बैल [illegible] भैंस 2 कुल योग 265।

(5) जी हां, ता. 16-1-68 [illegible] निम्नलिखित हिन्दुस्तानी नागरिक व [illegible] पाक अधीकारियों द्वारा हिन्दुस्तानी [illegible] कारियों को लौटाये गये हैं ?

मर्द 14, औरतें 12, बच्चे 1[illegible] योग 41।

पाक अधिकारियों द्वारा लौटा[illegible] मवेशियों की संख्या उपरोक्त में बता[illegible] है। इन आदमियों के थाना सरवाना [illegible] जालोर तारीख 12-11-67 को ही अ[illegible] संख्या 80 धारा 381।406।420-[illegible] पी. सी. का मुकदमा दर्ज कर लिया [illegible] तथा इनके वापिस आने पर इनको [illegible] मुकदमे में गिरफ्तार करके तारीख 1[illegible] को इनका चालान न्यायालय में पेश क[illegible] गया है जो न्यायालय में विचारा[illegible] क्योंकि यह लोग हिन्द पाक सीमा [illegible] नम्बर 917/2 के पास से पाकिस[illegible] घुसे थे यह हल्का थाना बाखास[illegible] बाडमेर में पडता है तथा वहां पर इ[illegible] के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके [illegible] आदमी 1, गाय 98, बैल 1, घोडा [illegible] 1, ऊंट 1 कुल योग 102 मवेशियों [illegible] नागरिकों को पाकिस्तान से वापि[illegible] के लिये एस. एच. ओ. थाना बा[illegible] अधीक्षक आरक्षी जिला बाडमेर प्रयत्नशील हैं।

(कृपया परिशिष्ट : 5 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह मीठा सांगला डीयाली चौकी से कितनी दूर है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह मुझे मालूम ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने बताया खेजडियाली चौकी के पास से होकर थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अब किस से गये यह नहीं कह सकते । कई रूट सकते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पुलिस चौकी स से होकर इतना काफला लेकर निकले, पुलिस वालों को मालूम नहीं हुआ, दिन बाद मालूम पड़ा यह क्यों ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह स्वाभाविक के उसी रूट से गये हों और जब उस नहीं गये तो जानकारी नहीं मिली मिली ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो क्या यह पता ीं लगा पाये अभी तक कि वे किस रूट ?

श्री द्वारकाप्रसाद व्यास : माननीय को अगर यह जानकारी है कि वे किस से गये तो दे दें । हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जितनी मवेशी आई क्या वे उनके मालिकों को कर दी गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां, जितनी शनाख्त कर ली गई वे वापिस उनको दे दी गई जो शनाख्त नहीं हो पाई वे नहीं दी जा सकी हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कितने मवेशी और कितने आदमी वापिस आने बाकी है और उनके लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बता दिया है । उनको वापस लाने की कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो वापस आ गये हैं उनके साथ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मुकदमा चला रहे हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनके भागने के क्या कारण हैं ? मालूम है सरकार को ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मुकदमा चल रहा है कार्यवाही हो रही है, अब क्या कारण थे, बोर्डर के लोग थे । भागने के लिये क्या कह सकते हैं अभी ?

श्री अध्यक्ष : आदतन भागे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बोर्डर के लोग वे नहीं थे, बोर्डर से तो बहुत दूर रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सलूम्बर में कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन के मामले

272. **श्री दुर्गालाल बाढदार** (हवा महल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीदुर्गालाल बाढदार)

(1) सलूम्बर नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन करने के लिये गत 5 वर्षों में कितने आवेदन–पत्र प्रस्तुत हुए हैं ?

(2) इस प्रकार आवेदन–पत्रों पर कितनी भूमि किस किस की क्या क्या नजराना लेकर परिवर्तित की गई ? सूची सदन की मेज पर रक्खें।

उप राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी): (1) सलूम्बर नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन करने के लिये गत पांच वर्ष में केवल एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुआ है ?

(2) श्री चिमनलाल पिता नन्दलाल कलाल निवासी सलूम्बर-के आवेदन–पत्र पर 15840 वर्ग फीट भूमि आबादी में परिवर्तित की गई है और उनसे 4474) वर्ग फीट की कीमत 61 पैसे फी वर्ग फीट से 2729) रुपया 14 पैसे बतौर नजराना वसूल किया गया है।

श्री **दुर्गालाल बाढदार** : क्या इस से पहले कनवर्शन के नियम बने थे ?

श्री **गंगाराम चौधरी** : यह नियम के तहत की गई है। अब रेट के बारे में पहले नगरपालिका ने नीलाम की थी जमीन तो इसके आधार पर 61 पैसे प्रति फीट की दर से इसको भी दिया नजराना लेकर।

श्री **दुर्गालाल बाढदार** : इन्हीं रेट पर और भी दूसरे आवेदन-पत्र पेश हुए जिनके ऊपर कनवर्शन की कार्यवाही की गई ?

श्री **गंगाराम चौधरी** : मैंने निवेदन किया कि यही एक आवेदन-पत्र था वहां तो। जिला अधिकारी के पास और हो सकती हैं, इसकी जानकारी करा लूंगा।

श्री **दुर्गालाल बाढदार** : जिला अधिकारी ने और भी किया है क्या ?

श्री **गंगाराम चौधरी** : जानकारी में नहीं है।

जयपुर नगर की पेयजल की समस्या

273. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु बनास नदी से पानी लाने की बारह करोड की योजना का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा और इस योजना का काम कब तक पूरा हो जावेगा ?

(2) वर्तमान में जब तक इस योजना का काम पूरा न हो तब तक नगर में पीने के पानी के अभाव को मिटाने के लिये क्या योजना सरकार के विचाराधीन है ?

राज्य मंत्री, जनस्वास्थ्य विभाग (श्रीमती सुमित्रा) : (1) ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है। कार्य पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) नगर में पीने के पानी के अभाव को यथा संभव दूर करने के लिये नये नलकू बनाने एवं नई पाइप लाइन डालने का का हाथ में समय समय पर लिया जाता रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : योजना किसके विचाराधीन है और स्वीकृत कहां से होनी है। जो नहीं हुई है।

श्रीमती सुमित्रा : चतुर्थ योजना में प्रस्तावित है।

(12 मध्याह्न)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो मंजूर है न ?

श्रीमती सुमित्रा : प्रस्तावित है मैंने कहा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप राज्य सरकार ने तैयार किया है और उसमें बनास नदी से पानी लाने की योजना चालू है ?

श्रीमती सुमित्रा : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है इसलिये मैं कुछ नहीं कह सकती।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार ने जो प्रारूप तैयार किया है उसमें इसकी रूपरेखा है क्या ?

श्रीमती सुमित्रा : प्रारूप में दो करोड रुपये के कार्य को प्रारम्भ करने के लिये · · ·

श्री भैरोंसिंह : योजना में शामिल है यह सही है न ? आपने पहले कहा था यह नहीं है। क्या यह सही है कि गत वर्ष अगस्त मास में माननीय मंत्री महोदय ने इसी सदन में इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष मतलब चालू वर्ष में दो करोड का प्रावधान रखा गया है ?

श्रीमती सुमित्रा : यह मैंने नहीं कहा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्दर इस योजना को प्रस्तावित किया गया है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह जो भाषण आप देती हैं उसको पढती हैं या नहीं। आपका 28 अगस्त का भाषण है—यह चूंकि राजस्थान बनने से पहले की जल योजना है जिसके अनुसार यहां की जनता को पानी कम मिलता था। पानी का अच्छा इन्तजाम हो इसके लिये एक करोड का लम्पसम प्रावधान किया है।

28 अगस्त, 68 में है।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने प्रोविजन की बात कही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दो करोड रुपयों का सुझाव दिया जा चुका है और दुबारा कहती हूं कि एक करोड का प्रावधान कर दिया गया है–दोनों में कौनसी बात सही है ?

श्रीमती सुमित्रा : एक करोड का प्रावधान जयपुर के अन्दर आबादी बढ गई है इसलिये 63-64 में एक करोड का प्रावधान हुआ था और जयपुर जल प्रदाय योजना को आगे बढाने के लिये समुचित रूप से पानी दिये जाने का सरकार पूर्णरूपेण प्रयत्न कर रही है। इस बात के लिये एक करोड का और दो करोड का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम काल में प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री **भैरोंसिंह** : यह प्रस्ताव कौन स्वीकार करेगा ?

श्री **अध्यक्ष** : राजस्व मंत्री महोदय ।

श्री **भैरोंसिंह** : इम्पारटेन्ट प्रश्न है । स्वास्थ्य मंत्री महोदय आपके प्रस्ताव को स्वीकार कौन करेगा ?

श्रीमती सुमित्रा : गवर्नमेंट करेगी ।

श्री **भैरोंसिंह** : गवर्नमेंट जिसमें आप है । अध्यक्ष महोदय बडा इम्पारटेन्ट प्रश्न है । मंत्री महोदया गवर्नमेंट को रिप्रजेन्ट कर रही हैं फिर गवर्नमेंट स्वीकार करेगी या नहीं करेगी–यह कैसे, इस पर विचार कौन करेगा ?

श्री **अध्यक्ष** : राजस्व मंत्री महोदय ।

श्रीमती सुमित्रा : प्लानिंग कमीशन के अन्दर होगा ।

श्री **भैरोंसिंह** : उसमें छोटे छोटे मसले नहीं जाते हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

स्थगित प्रश्न

(5-3-69)

झालावाड़ में काबिल काश्त भूमि का एलाटमेन्ट

101. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :–(1) भूतपूर्व राजस्व मंत्री महोदय द्वारा जिला झालावाड में राजस्व की एवं फारेस्ट विभाग की काबिल काश्त भूमि सन 67-68 में अपने अधिकार से किन किन व्यक्तियों को कहां कहां की कितनी कितनी काश्त करने हेतु एलॉट की है ? कृपया सूची मय नाम, गांव, खसरा नम्बर सहित मय तादाद भूमि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि जिन जिन व्यक्तियों को भूमि दी गई है वे भूमिहीन काश्तकार हैं और काश्त करने वाले हैं ?

(3) यह किस नियम के अन्तर्गत एलॉटमेन्ट हुआ है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) श्री प्रभुलाल को किया गया आवंटन निरस्त किया जा चुका है । श्री नवल बिहारी आवंटिती भूमिहीन बताया गया है।

(3) यह आवंटन भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1957 के अन्तर्गत किया गया था ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये.)

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुये ।

श्री **नाथूराम** (बागीडोरा) : मेरा प्रश्न बहुत जरूरी है ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री बोहरा !

श्री **राम प्रसाद बोहरा** : राजस्व मंत्री के द्वारा किन किन को जमीन अलाट की गई है। कई अलॉटमेंट किये गये हैं परन्तु सूची में दो

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
नाम आये हैं और मेरे पास ऐसे प्रमाण-पत्र हैं कि राजस्व मंत्री जी ने और भी जमीनें अलॉट की हैं जिला झालावाड़ के कलेक्टर महोदय ने 6-9-68 को यह बताया है माननीय राजस्व मंत्री जी वहां पर अपने केम्प में श्री कुन्दनमल वैद को ......

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : राजस्व मंत्री कौन है ?

श्री **राम प्रसाद बोहरा** : उन्हें जमीन अलाट की है, उसको कलेक्टर साहब ने निरस्त कर दिया ऐसे और भी केस हैं परन्तु सूची में दो आये हैं इसलिये मैं चाहता हूं पूरी सूची मांगी जाय और इसकी जांच कराई जाय यह जो निरस्त किया गया है चरनोट की भूमि है । दूसरे राज्य के कर्मचारी हैं इसलिए इसकी दुबारा जांच करें ।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुये ।

श्री **कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या यह सही है कि दो मामलों में भूमि का अलाटमेंट राजस्व मंत्री द्वारा डाईरेक्ट बताया गया है और इसके अलावा सैकड़ों मामले हैं जिन्हें झालावाड में बिना अलाटमेंट कमेटी की राय लिये हुये बाला बाला बृजसुन्दर जी ने भूमि अलाटमेंट किया है ।

श्री **नाथूराम** : मेरा प्रश्न गये साल भी..

श्री **गंगाराम चौधरी** : मैंने निवेदन किया केवल दो ही मामले हैं–आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया था ।

श्री **मनोहरसिंह मेहता** : कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया इसमें बहुत वजन है । इस तरह पूरे राजस्थान में अलाट किये गये हैं । जिस तरह महाराणा अलाट करते थे उसी तरह से अलाट किया है । इसलिए कृपा करके कार्यवाही करवाइये ।

श्री **कृष्ण कुमार गोयल** : जो माननीय सदस्य झालावाड से आने वाले हैं उन्होंने इस केस की सही प्रतिलिपि प्राप्त की है वह इस प्रकार है–फैसला बइजलास श्री रणजीत सिंह कुम्मट, आइ. ए. एस., जिलाधीश, झालावाड मिसल नं. 3071571 रेवे. अपील मजु 11-9-67 विकास पंचायत असनावर–अपीलान्ट बनाम श्री कुन्दनमल वल्द कुन्डेरी मल महाजन साकिन असनावर व तहसील पाटन रेस्पांडेन्ट-अपील व नाराजी आज्ञा तहसील पाटन दिनांक 6-8-68 आदेश दिनांक 6-9-68 के पत्र से स्पष्ट है–

इसके अन्दर जो फैसला हुआ है उसमें यह लिखा है कि माननीय राजस्व मंत्री जी के आदेश के अनुसार किया गया है जो नियम विरुद्ध हैं ।

क्या इस प्रकार की सूचना राजस्व मंत्री जी को है । ये दो मामले हैं इसके अलावा सैकड़ों मामले हैं जिन्हें बृजसुन्दर जी ने बिना अलाटमेंट कमेटी के किये हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : क्या ऐसी जानकारी है ?

श्री **गंगाराम चौधरी** : जानकारी नहीं है ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जानकारी होना चाहिये ।

श्री **मनोहरसिंह मेहता** : इन्होंने तो राजाओं को भी पेल दिया ।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुये ।

Page No 28

श्री **मनोहरसिंह मेहता** : इस तरह काम कैसे चलेगा ?

श्री **कृष्ण कुमार गोयल** : जब अलाटमेंट कमेटी बनी है जिसके द्वारा भूमि का अलाटमेंट होना चाहिये और राजस्व मंत्री जी अपने भाई-भतीजों के लिये जमीन अलाट कर दें ।

श्री **नाथूराम** : मेरा प्रश्न · · · · · · · ·

श्री **प्रेम सिंह सिंघवी** : मंत्री महोदय जो उत्तर देते हैं वह सब · · · · · · ·

श्री **अध्यक्ष** : कई प्रश्न हैं उसके बाद । आर्डर, आर्डर !

श्री **नाथूराम** : अध्यक्ष महोदय, गरीब बच्चों का प्रश्न है · · · · · · · · ·

श्री **अध्यक्ष** : मंत्री महोदय, आपको सन्तुष्ट कर देंगे ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

श्री **नाथूराम** : अध्यक्ष महोदय, गरीब बच्चों का प्रश्न है, बहुत जरूरी प्रश्न है ।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर !

(माननीय सदस्य के बराबर बोलते रहने पर)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ! आर्डर, आर्डर [

श्री **नाथूराम** : गरीब बच्चों का सवाल है · · · · · · · ·

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ! आर्डर आर्डर !

श्री **नाथूराम** : मेरा प्रश्न ले लिया जाय ।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य । आर्डर, आर्डर ।

(बराबर बोलते रहने पर)

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें । स्थान ग्रहण करें ।

कई प्रश्न हैं महत्वपूर्ण । आर्डर प्लीज !

श्री **नाथूराम** : अध्यक्ष महोदय · · · · ·

श्री **अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं, मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(श्री नाथू राम के नहीं बैठने पर)

माननीय सदस्य ।

श्री **नाथूराम** : मेरा प्रश्न जरूरी है गरीब बच्चों का पेट काटा जाता है ।

श्री **अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें । आसन अपने पैरों पर है, स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य आसन की बार बार अवहेलना कर रहे हैं । आर्डर प्लीज । अगर एक प्रश्न लिया जाता है तो कई प्रश्न और शेष रह जावेंगे । आर्डर, आर्डर ।

श्री **नाथूराम** : कडाना डेम के लिये · · ·

श्री **अध्यक्ष** : इसको एक्सपंज किया जाय ।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर, मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं । · · · · ·

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये ।

श्री नाथूराम : गरीबों के साथ कोई न्याय नहीं है। उनकी कोई आवाज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं फिर माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं।

श्री नाथूराम : कडाना डैम के हजारों लोगों को नुकसान हुआ है·······

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य को मैं नाम से पुकारता हूं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। यह ऐसा प्रश्न है·········

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन कर सकता हूं कि इनके जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में इनको संतुष्ट करें और संतुष्ट हो जायें उसके बाद मुझसे कहें कि उन्हें संतोष हो गया।

श्री मत्थीसिंह : यह तो गरीबों की सुनते ही नहीं हैं इसलिये यहां पुकारते हैं। यह संतुष्ट कभी नहीं करेंगे यह तो असंतुष्ट ही रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह इस आसन से आदेश है कि मंत्री महोदय········

श्री मदनसिंह : (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य को काफी व्यग्रता है इस प्रश्न पर ऐसा प्रतीत होता है। माननीय सदस्य को व्यग्रता है, जो वेदना है उसका निराकरण करने के बाद मंत्रीजी मुझको भी अवगत करें।

श्री नाथूराम : गरीब बच्चों का पेट काटा जा रहा है। बच्चे भूखों मर रहे हैं···

श्री दौलतराम सारण : यह तो हरिदेव जी नहीं करना चाहते हैं। वह तो करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत दे देता तो इतनी व्यग्रता नहीं होती। इनको तो यहीं रहने दीजिये।

श्री नाथूराम : आप जांच करवा लीजिये। गरीब बच्चे भूखों मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य मेरा ख्याल है कि अब अवहेलना करते रहने का प्रश्न कांग्रेस दल का भी हो गया है। मैं कांग्रेस दल को सजग करना चाहता हूं कि जहां तक इस आसन की प्रतिष्ठा का सवाल है मेरे धैर्य को इतना न टटोला जाये।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस दल की तरफ से आपसे माफी चाहता हूं किसी सदस्य ने आपकी अवहेलना की हो और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरा दल आपके आदेशों का पालन करने में हम अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे और जो मेम्बर हमारे तैयार नहीं हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आपके हुक्म का पालन करें।

श्री अध्यक्ष : (श्री नाथूराम बागीडोरा के खड़े होने पर) : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कामां में हरिजन तथा जाटव बस्तियों में पुख्ता मकानों के निर्माण हेतु सहायता।

263. **श्री मजलिस खां**—(कामां) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका कामां ने हरिजन तथा जाटव बस्तियों में पुख्ता मकानों के निर्माण कराने हेतु सहायता के लिये मांग की है ? यदि हां, तो कब और कितने परिवारों के लिये और कितनी धनराशि के लिये ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मांग के कागजात समाज कल्याण विभाग में पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो कब और समाज कल्याण विभाग ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां। अध्यक्ष नगरपालिका, कामां ने कामां के 101 हरिजन तथा जाटव परिवारों को मकान सहायता हेतु दिनांक 30-3-68 को समाज कल्याण विभाग में आवेदन-पत्र भेजे थे। प्रति परिवार 1000 रुपये की दर से 101 परिवारों के लिये 101000 रुपये का अनुदान चाहा गया था।

(2) जी हां, फार्म्स अधूरे होने के कारण जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, भरतपुर के मार्फत नगरपालिका कामां को पूर्ति हेतु भेजे दिये गये थे जो अभी तक वापस नहीं प्राप्त हुये हैं।

निगरानियों में निर्णय

264. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स, 1958 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में गृह सचिव के अपील में फैसले की निगरानी मुख्य सचिव के पास की जाती है ?

(2) गृह सचिव के फैसलों की ऐसी कितनी निगरानियां मुख्य सचिव के पास विचाराधीन हैं और कब कब से ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या मुख्य सचिव द्वारा इन निगरानियों में निर्णय देने का कोई अधिक समय मुकर्रर है ? यदि हां, तो कितना ?

(4) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि इस प्रकार के फैसलों के शीघ्र फैसले किये जाने के लिये विभागीय तौर पर हिदायत जारी की जाय ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कपासन नगरपालिका के प्रकासक द्वारा भूमि का अलाटमेंट

157. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन 63 में कपासन नगरपालिका के प्रशासक ने भूमि एलॉट की थी ? अगर हां, तो किन किन को कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि प्रशासक ने बिना सरकार की अप्रूवल के उपरोक्त व्यक्तियों को पट्टे जारी कर दिये ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नीलाम द्वारा विक्रय किये गये थे। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। नगरपालिका से संबंधित रेकार्ड प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ताकि बेचान बाबत नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

मकराने का मास्टर प्लान

158. श्री विजय सिंह (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मकराने का मास्टर प्लान बनाने का इरादा है ? अगर हां, तो क्या कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

(2) क्या यह सही है कि मकराने के आम रास्तों को बहुत से लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर संकडा कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

(स्थगित किया गया)

झालरा तालाब (मकराना की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

159. श्री विजय सिंह (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना स्थित झालरा तालाब की काफी भूमि पर कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा करके कम्पनियां स्थापित कर ली हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रहा है ?

(2) यदि यह सरकार की जानकारी में नहीं है तो क्या सरकार खुफिया विभाग द्वारा जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिलवाने की कार्यवाही करेगी ?

(स्थगित किया गया)

नैनवा नगर, जिला बून्दी में पीने के पानी के कुओं को गहरा कराने की योजना

160. श्री केशरी सिंह हाडा (हिन्डोली): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा

Page No 32

(श्री केशरीसिंह हाडा)
करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नैनवा नगर, जिला बून्दी के लिये पीने के पानी के कुओं को गहरा कराने के प्रयोजनार्थ 20,000) रु. दिये गये हैं ?

(2) यह रकम कलेक्टर बून्दी ने अभी तक वितरित की या नहीं ?

(3) क्या नैनवा के तीनों तालाब सूखे पडे हैं ?

(4) नैनवा की वाटर वर्क्स योजना का उद्घाटन किसके द्वारा कब हुआ था ?

(5) यह काम क्यों रोक दिया गया है जब कि पानी की बहुत कमी है और नैनवा अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया हुआ है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । 20,000,00 रु. तहसील नैनवा के कुओं के लिये स्वीकृत किये गये थे, न कि केवल नैनवा नगर के लिये ।

(2) जिलाधीश बून्दी द्वारा यह रकम तहसील नैनवा में वितरित करादी गई है ।

(3) जी हां ।

(4) योजना का उद्घाटन नहीं अपितु शिलान्यास श्री बृज सुन्दर शर्मा द्वारा दिनांक 10-2-67 का किया गया था ।

(5) धनाभाव के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। अब इस योजना का काम इस वर्ष (1968-69) में जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण से शुरू कर दिया गया है । इस योजना पर इस वर्ष 0.88 लाख रु. का आवंटन किया गया है जिसमें 0.59 लाख रु. जीवन बीमा निगम का ऋण है, विशेष 0.29 लाख रु. राज्य सरकार का अंश है ।

अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों को भूमि का वितरण

161. **श्री जयनारायण खालोदिया** (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने परिपत्र संख्या एफ. 3 (66) राज. (ख) 63, दिनांक 8-12-64 के द्वारा अनुसूचित जातियों के भूमि हीन किसानों को भूमि एलॉट करने की विशेष व्यवस्था की थी ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सच है कि उक्त आदेश के पैरा नं. 5 में सन् 65 में सिर्फ अनुसूचित जातियों, जन-जातियों व स्वर्णकारों को ही भूमि एलॉट करने का प्रावधान था ? यदि हां, तो सन् 65 में टोंक जिले की किन-किन तहसीलों में इसका पालन कर कितने लोगों को भूमि एलाट की गई ? तहसीलवार, नाम वार सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) टोंक जिले की तहसीलों में सन् 65 में कुल कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र भूमि चाहने हेतु प्राप्त हुए ? उनमें से कितने प्रार्थना-पत्र अनुसूचित जातियों, जनजातियों व स्वर्णकारों के थे व अन्य लोगों के कितने

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उनमें से कितने लोगों को भूमि एलॉट की गई और कितने प्रार्थना-पत्र खारिज किये गये? इनमें से कितने पिछडी जातियों के थे? तहसीलवार सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान सरकार ने परिपत्र संख्या-एफ 3 (66) रा.-(ख) 63 दिनांक 18-12-64 द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों के भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन हेतु विशेष व्यवस्था की थी। परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त परिपत्र के पैरा 5 में सन् 65 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं स्वर्णकारों को ही भूमि आवंटन करने का प्रावधान था परन्तु इसके पश्चात् परिपत्र संख्या एफ 6 (104) राज. (ख) 64 दिनांक 18-1-65 के द्वारा अनुसूचित जाति व जन-जाति व स्वर्णकारों को प्राथमिकता देते हुए अन्य भूमिहीनों को भी भूमि आवंटन करने के आदेश दे दिये थे। टोंक जिले में वर्ष 1965 में तहसीलवार व जातिवार आवंटन किया गया जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) टोंक जिले में वर्ष 1965 में कुल 14380 प्रार्थना-पत्र आवंटन हेतु प्राप्त हुए उनमें 7780 स्वीकृत किये गये और 6960 अस्वीकृत किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

नागौर जिले में रेवेन्यू की अदालतें

162. श्री रामसिंह कुडी (जायल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में रेवेन्यू की कितनी अदालतें सिवाय सेटलमेंट के हैं एवं कितनी ऐसी अदालतें थीं जो अब बन्द हो गई हैं, तथा इन सब अदालतों में जो चालू हैं या बन्द हैं प्रत्येक में राजस्थान बनने के बाद किस-किस वर्ष में कितने-कितने फैसले किये गये एवं उन फैसलों वाले मुकदमों की फाइलें कितनी कलेक्टर नागौर के रेकार्ड में जमा हो चुकी हैं? एवं कितनी फाइलें किस किस अदालत में फैसलशुदा अब भी उसी अदालत में पडी हैं?

(2) ऐसी फाइलों को रेकार्ड में कितने समय में जमा कराना आवश्यक है? एवं जो फाइलें रेकार्ड में जमा नहीं हुई हैं, उन फाइलों को कब तक रेकार्ड में जमा कराये जाने का सरकार प्रवन्ध कर रही है?

उत्तर

(1) नागौर जिले में जो राजस्व अदालतें इस समय कार्य कर रही हैं तथा जो बन्द की गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

नागौर जिले का रेकार्ड रूम 1952 में स्थापित हुआ उसके पहिले का रेकार्ड जोधपुर में जमा कराया जाता था। सन् 1952 से जो फैसले हुए और पत्रावलियां रेकार्ड में जमा हुई, उनका मानचित्र सदन की मेज पर रख दिया गया है। इस जिले की अदालतों ने कितने-कितने फैसले किये संलग्न मानचित्र

(राजस्व मंत्री)
में अंकित हैं। इनमें से कितनी पत्रावलियां जिला रेकार्ड में जमा हुई संलग्न मानचित्र के कालम नं. 20 में अंकित हैं।

(2) नियमानुसार फैसलशुदा पत्रावलियां दूसरे माह की 25 तारीख को ही जमा हो जानी चाहिये। रेकार्ड के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। वहां नया रेकार्ड रूम बनाये जाने की स्वीकृति हो चुकी है और उसके निर्माण के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन व पथ को ताकीद कर दी गई है।

महाराजा शिवरथी द्वारा भूदान में दी गई जमीन

163. श्री **केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि लीलाखेडा गांव, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड, महाराज शिवरथी ने कोई जमीन भूदान में दी है?

उत्तर

जी हां। ग्राम लीलाखेडा, तहसील डूंगला में महाराजा शिवरथी ने आराजी नं. 1539।1 रकबा 30 बीघा को भूदान में देने की घोषणा की।

ग्राम पंचायत भाडोती को दी गई जमीन

164. श्री **हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या खसरा नम्बर 379 ग्राम भाडोती, तहसील बौंली भूमि आबादी में ग्राम पंचायत भाडोती को दे दी गई है? यदि हां, तो यह सिवाय चक भूमि ग्राम पंचायत को कब दी गई और इसका रकबा क्या है?

(2) क्या यह सही है कि इस खसरा नम्बर की अधिकांश जमीन पर अर्जुन मीणा द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लेने की शिकायत ग्राम पंचायत भाडोती ने तहसील बौंली में अर्सा करीब डेढ वर्ष पूर्व की थी। यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त अतिक्रमिक को कब तक बेदखल करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान की संस्थाओं को आर्थिक सहायता

165. श्री **हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान के बाहर की किन्हीं संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है? यदि हां, तो किन किन संस्थाओं को कब-कब कितनी-कितनी सहायता किस-किस मद से दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य के बाहर की संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के संबंध में कोई नियम बने हुए हैं? यदि बने हुए हैं तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो राज्य से बाहर की संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने में सरकार क्या प्रक्रिया अपनाती है?

Page No 35

(श्री हरजीराम बुरडक)

(3) आज तक जो भी सहायता राज्य से बाहर की संस्थाओं को दी गई है, उसके सही उपयोग के संबंध में सरकार ने क्या जानकारी की है तथा किस आधार पर इनके सही उपयोग में आने का सन्तोष किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता। जो भी सहायता-अनुदान दिया जाता है वह राज्य के अनुदान नियम के अन्तर्गत दिया जाता है।

(3) जो अनुदान स्वीकृत किया जाता है उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाकर महालेखाकार को प्रेषित किया जाता है।

लाडनूं में कालेजों के भवन-निर्माण का कार्य

166. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लाडनूं, सुजानगढ व जसवन्तगढ में बनने वाले कालेजों के भवनों का निर्माण-कार्य कब चालू हुआ और अब तक उनमें कितने रुपये खर्च हो चुके हैं ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पूर्व में किये गये एग्रीमेंट के अनुसार यह कार्य कब तक पूर्ण होना चाहिये था ?

(3) दानदाताओं द्वारा अब तक कितने-कितने रुपये जमा कब-कब कराये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि मौजूदा कार्य की प्रगति को देखते हुए एग्रीमेंट में बताये गये रुपये में कालेजों का निर्माण-कार्य पूरा नहीं होगा ? यदि हां, तो इसमें दोषी कौन है और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) लाडनूं महाविद्यालय का भवन-निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जनवरी, 69 में प्रारम्भ किया जा चुका है। इस पर अब तक 12,000) रु. व्यय हो चुका है।

सुजानगढ महाविद्यालय का भवन-निर्माण कार्य दानदाता द्वारा कराया जा रहा है इसके व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(2) इस तरह का कोई अनुबन्ध नहीं था कि भवन कब तक बनकर पूर्ण होंगे।

(3) लाडनूं व सुजानगढ महाविद्यालयों के भवन-निर्माण हेतु क्रमशः 2 लाख व एक लाख रुपये की राशि दानदाताओं से प्राप्त हुई है। यह धनराशि क्रमशः 18-8-67 व 17-3-67 को कालेज शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हुई है।

(4) दानदाताओं और राज्य सरकार के बीच हुए अनुबन्ध के अनुसार उपरोक्त महाविद्यालयों के भवन-निर्माण हेतु चार-चार लाख रु. की राशि दोनों दानदाता राज्य सरकार को देंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन महाविद्यालयों के भवनों

(शिक्षा मंत्री)

का अनुमानित व्यय निम्नलिखित आंका गया है :—

महाविद्यालय लाडनूं का भवन	6,80,300) रु.
महाविद्यालय सुजानगढ का भवन	6,20,000) रु.

राजस्थानी चित्रशैली में बने चित्रों की अनुकृतियों की मांग

167. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थानी चित्रशैली में बने चित्रों की अनुकृतियों की बाजार में बडी मांग है तथा इनकी पर्यटकों में भारी मांग होने के कारण इनसे विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस परम्परागत शैली को सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ?

(3) क्या यह सही है कि आर्ट्स स्कूल, जयपुर तक में इस परम्परागत शैली को सिखाने के लिये पूरा ध्यान नहीं दिया जाता ?

(4) क्या सरकार उक्त स्कूल में बुनियादी तौर पर इसके प्रशिक्षण पर ध्यान देने की व्यवस्था करने संबंधी आदेश देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही नहीं है।

(3) जी, नहीं।

(4) सरकार आर्ट्स स्कूल में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में है। परम्परागत शैली को बनियादी तौर पर प्रशिक्षण दिलाने के बजाय पाठ्यक्रम में विषय बनाकर ही यह प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

बूंदी के राजमहलों में प्राचीन भित्ति चित्र

168. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी के राजमहलों में प्राचीन भित्ति चित्र हैं जो कला की दृष्टि से अमूल्य हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ये काल के गाल में समा कर नष्ट नहीं हो जायं, इसके लिए संरक्षण की आवश्यकता समझी गई है और सरकार और बून्दी के भूतपूर्व नरेश के बीच बातचीत चल रही है ?

(3) यदि हां, तो बतायें कि वार्ता किस स्तर पर है ? इनका संरक्षण किया जा सकेगा या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। अनुबन्ध भारत सरकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरार्थ महाराजाओं के पास भेजे गए हैं। उनके लौटने के विषय में अभी राज्य सरकार को जानकारी नहीं है, क्योंकि

Page No 37

(शिक्षा मंत्री)

इनका सम्बन्ध भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से है।

(3) जी, हां। किया जा सकेगा।

जैसलमेर दुर्ग की रिपोर्ट

169. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भिम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले दिनों जब प्रधान मंत्री का दौरा जैसलमेर हुआ था तब दुर्ग की शोचनीय अवस्था देख पुरातत्व विभाग का एक दल वहां की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भेजा गया था ?

(2) यदि हां, तो उक्त दल ने क्या रिपोर्ट दी ? तथा दुर्ग के संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) उक्त दल ने जो रिपोर्ट दी वह भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से मंगाई जा रही है। दुर्ग राष्ट्रीय स्मारक है। अत: उसके संरक्षण का भार भारत सरकार पर है।

राज्य संस्कृत सलाहकार मण्डल

170. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबडा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य संस्कृत सलाहकार मण्डल का गठन कब हुआ और इसके अब तक कौन कौन सदस्य रहे हैं ? कृपया सदस्यों की योग्यता सहित नामावली सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस मण्डल की अब तक कितनी बैठकें कब-कब हुई हैं और उनमें संस्कृत के प्रसार एवं विकास के लिये क्या निर्णय लिये गये हैं ? कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।

(3) इन नियमों का किस किस स्तर पर किस सीमा तक पालन किया गया है ?

उत्तर

(1) राज्य संस्कृत सलाहकार मण्डल का गठन सन 1959 में हुआ। प्रारम्भ से अब तक सदस्यों की नामावली अनुसूची 1 पर संलग्न है। योग्यता भी सदस्यों के सामने अंकित है।

(2) इस मण्डल की अब तक दस बैठकें हुई जिनका तिथिवार ब्यौरा अनुसूची 2 पर संलग्न है। इसी अनुसूची में बैठकवार लिये गए निर्णयों का विवरण भी सम्मिलित है।

(3) अनुसूची 2 पर निर्णयों के सामने ही क्रियान्वयन का उल्लेख है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

भरतपुर जिले में सेवा-निवृत्त प्रधानाध्यापक

171. श्री बनवारी लाल (धौलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर जिले के कितने प्रधानाध्यापकों को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त किया गया है ?

(2) क्या सभी प्रधानाध्यापकों को सेवा-निवृत्ति के पश्चात् पेन्शन मिल रही है ?

(श्री बनवारी लाल)

(3) क्या श्री लल्लू सिंहजी सेवा-निवृत्त प्रधानाध्यापक सरमथुरा की पेंशन स्वीकृत हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले के 5 प्रधानाध्यापकों को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त किया गया है ।

(2) निम्न चार प्रधानाध्यापकों को सेवा-निवृत्ति के पश्चात् पेंशन मिल रही है :—

(1) श्री देवी प्रसाद गुप्ता ।

(2) श्री रघुनाथ प्रसाद ।

(3) श्री सुखवासी लाल दुबे ।

(4) श्रीमती लीला राव ।

(3) श्री लल्लू सिंह सेवा-निवृत्त प्रधानाध्यापक, सरमथुरा ने कुछ प्रमाण-पत्र जो उन्हें ही भरने थे नहीं भरे थे जो बाद प्रयास के उन्होंने भर दिये जिन्हें दिनांक 14-1-69 को महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को भेजे गये हैं ।

नैनवा नगर की सडक पर कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी

172. श्री **केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नैनवा नगर की सडक जो सुवान्या होकर जाती है और जिसका काम इस वर्ष चला है उसके मजदूरों की मजदूरी विभाग द्वारा नहीं चुकाई गई है? यदि हां, तो कितने मजदूरों को तथा क्यों ?

(2) क्या यह सत्य है कि ओवरसियर द्वारा खयानत कर लेने के कारण उसे मोअत्तिल कर दिया गया है ?

(3) अब सरकार मजदूरों को कब तक उनकी मजदूरी चुकाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस सडक का काम इस वर्ष नहीं चला है अतः इस वर्ष मजदूरों को काम करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(2) यह सत्य नहीं है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

सूरतगढ़–हनुमानगढ़ सड़क की मरम्मत

173. श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सूरतगढ से हनुमानगढ़ की बी सडक सालाना मरम्मत पर सन् 1964 से 1968 तक कुल कितने रुपये खर्च किए गए ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या उक्त सडक के नीचे नाली के पुल बनाकर स्थायी मरम्मत की तजवीज करने पर विचार किया गया है ? यदि हां तो वह कार्य कब तक हो जावेगा ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(3) क्या यह सही है कि इस सडक की मरम्मत बहुत देरी से शुरू की जाती है और हर साल मरम्मत पूरी होने से पहले ही नाली आ जाने से मरम्मत पर लगा हुआ धन पानी में बह जाता है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

मंगलाना से मकराना जाने वाली सडक

174. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मंगलाना से मकराना जाने वाली डामर की सडक का टुकडा केवल पांच माइल का है ?

(2) क्या यह सही है कि यह सडक बहुत ही सकडी और कमजोर बनी हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि मकराना औद्योगिक नगर होने की वजह से यहां ट्रकों का आवागमन बहुत अधिक रहता है ?

(4) क्या यह सही है कि इस सडक के सकडी होने की वजह से यहां काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं ?

(5) क्या सरकार इसे जल्दी से जल्दी अधिक चौडा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सडक 10 फीट चौडी है और ठीक बनी हुई है।

(4) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(5) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नोहर–रावतसर सडक निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

175. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नोहर-रावतसर सडक निर्माण के समय काश्तकारों की जो भूमि सडक के नीचे आई थी उसका मुआवजा काश्तकारों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? नहीं, तो कितने काश्तकारों की भूमि का मुआवजा दिया गया है ? नाम व तादाद रुपया जो मुआवजे के रूप में दिये गये हैं ग्राम वाइज तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि गांव भगवान देईदास, टोपरिया, थालडका, चाईया, रावतसर के काश्तकारों को भूमि का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जोजावर-कांवली सडक

176. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जोजावर-कांवली रोड प्लान रोड है ?

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत)

(2) इसका काम कब शुरू हुआ ?

(3) अब कितना काम बाकी है ?

(4) महत्व की सडक होते हुए भी इस साल के बजट में राशि क्यों नहीं रखी गई ?

(5) कब तक पूरी कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रेवल रोड निर्माण की स्वीकृति दी गई थी ।

(2) यह कार्य द्वितीय पंचबर्षीय योजना में आरंभ करा दिया गया था ।

(3) आधा मील का काम शेष है ।

(4) अर्थाभाव के कारण ।

(5) आशा है चतुर्थ योजना में पूरा हो जायगा ।

शिशोदिया रानी का महल

177. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शिशोदिया रानी का महल, जयपुर सैलानियों का प्रिय स्थान बनता जा रहा है तथा इस भवन की पृष्ठ भूमि या इतिहास जानने की लोगों में उत्सुकता जागृत होती है ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा की एक सदस्या के द्वारा उक्त महलों पर इतिहास पट्ट लगाने का निवेदन करने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री ने लिखित रूप में बोर्ड पर लिखाने का आश्वासन दिया था ?

(3) क्या यह सही है कि काफी समय बीत जाने पर भी ऐसा बोर्ड नहीं लगाया गया है ?

(4) यदि हां, तो क्यों तथा अब इसके लगाने का प्रबन्ध कब तक किया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां

(3) एक प्रसिद्ध ऐतिहासज्ञ से सही जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

(4) सही जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा ।

मकराने की खानों पर पानी की व्यवस्था

178. श्री **विजयसिंह** (मकराना): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मकराना की खानों पर कार्य करने वाले मजदूरों को पानी की सुविधा कब तक प्राप्त हो जायगी ?

उत्तर

खनिज विभाग के कुए से जल प्रदान करने की व्यवस्था जारी है ।

कोटा जिले में पावर लूम के लाइसेन्स

179. श्री **देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) कोटा जिले में किस किस फर्म व व्यक्ति को किस किस वर्ष में कितने कितने पावर लूम लगाने का लाइसेन्स दे रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या गोपाल इन्डस्ट्रीज कोटा में स्वयं के पावर लूम के अलावा दूसरे व्यक्ति के पावर लूम लग रहे हैं ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति के और किस नियम से लग रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिले में किसी भी बुनकर (मोमन जाति के) को पावर लूम नहीं दे रखा है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या सरकार अब बुनकर जाति या अन्य व्यक्ति व फर्मों को पावर लूम देने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

ग्राम देवपुरा का छात्रावास

180. श्री **केशरी सिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि बून्दी के पास ग्राम देवपुरा में जो पुराना अनसूचित जन-जाति का छात्रावास चल रहा था उसको बन्द किया जा रहा है ?

(2) यह छात्रावास कब से चला आ रहा था और अब इसको क्यों बन्द किया जा रहा है ?

(3) इस छात्रावास में कितने छात्र निवास करते हैं ?

(4) इस छात्रावास पर सालाना व्यय कितना किया जाता रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। स्थानाभाव के कारण बूंदी शहर में ही इस छात्रावास को अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है।

(2) यह छात्रावास बूंदी के पास देवपुरा ग्राम में 26 जनवरी, 1956 से चलाया जा रहा था। छात्रावास भवन में एक स्कूल भी चलाया जा रहा है छात्रावास में गत वर्ष में हुई वृद्धि के फलस्वरूप भवन में दोनों संस्थाओं का एक ही स्थान पर चलाना सम्भव नहीं था। अतः छात्रावास का अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया है।

(3) इस छात्रावास की स्वीकृति संख्या 30 है जिसमें से वर्तमान छात्र संख्या 24 है।

(4) इस छात्रावास में सालाना किये गये व्यय के आंकडे निम्न प्रकार से हैं:--

वर्ष	61-62,	62-63,	63-64,	64-65
व्यय	1927,	11612,	11552,	12570
वर्ष	65-66	66-67,	67-68	
व्यय	14220	15456,	18315	

विभाग एवं स्वयं सेवी संस्थाओं पर व्यय

181. श्री **गंगासहाय** (कठूमर) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग का आरम्भ कब हुआ? आरम्भ से 1967-68 तक इस विभाग द्वारा कितनी धनराशि खर्च हुई है?

(2) इस धनराशि में से स्वयं सेवी संस्थाओं (वालन्टियरी एजेन्सीज) के माध्यम से कितनी खर्च हुई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में समाज-कल्याण विभाग की स्थापना सन् 1951 में की गई थी। प्रारम्भ से अब तक इस विभाग द्वारा 10,01,51,573 रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

(2) उपरोक्त धनराशि में से 1,31,68.068 रुपये की धनराशि स्वयं-सेवी संस्थाओं के माध्यम से व्यय की गई है। स्वयं सेवी संस्थाओं की समाज-कल्याण विभाग द्वारा दी गई वार्षिक अनुदान की सूची (अ) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

(12.13 म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री **अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री चुन्नीलाल इंदलिया, सदस्य, विधान सभा ने बीकानेर जिले के कई अकाल पीडित गांवों में उल्टी और दस्त की बीमारी से सैंकडों आदमियों की मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इसके अतिरिक्त श्री दौलतराम सारण व श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने ग्राम भूणास तहसील गंगापुर जिला भीलवाडा के हरिजनों की पानीपीने की कुई को सवर्णों द्वारा भर देने से हरिजनों के लिए पानी के अभाव के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

एक स्थगन प्रस्ताव की और सूचना श्री देवीदत्त गाडिया, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने राजस्थान के मुख्य वन संरक्षक अधिकारी, कार्यालय जयपुर से वन विभाग के एक अधिकारी द्वारा बारां उप-जिला क्षेत्र के ग्राम केलवाडा महुआ उत्पादक आदिवासी सोसाइटी के महुआ के ठेके से सम्बन्धित कुछ फाइलों का गायब कर देना बतलाया है।

उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने प इन पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री श्रवण लाल व श्री गंगासहाय, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने ग्राम खेडली रेल (जिला अलवर) में हरिजन बस्ती कोलियों के मौहल्ले में दिनांक 4 मार्च, 196

(श्री अध्यक्ष)
को धूलन्डी की रात्रि को कुछ पुलिस कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाना बतलाया है तथा कुछ व्यक्तियों की मारपीट भी की गई है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इस पर आज विचार किया जाये। इसके अतिरिक्त इस विषय को बजट पर होने वाली बहस के दौरान भी उठाया जा सकता है। अतः इसको सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

(12.15 म. प.)

आय-व्ययक 1969-70 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि इसके पूर्व कि आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद हो इसके समय पर कुछ नियन्त्रण किया जाना उपयुक्त होगा ताकि वाद में इस वाद-विवाद के अवसर पर समय के संबंध में वाद-विवाद उपस्थित न हो। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सामान्य वाद-विवाद के लिए पार्टीवाइज समय का बंटवारा अस्थाई तौर पर इस प्रकार किया गया है:—

कांग्रेस	8 घंटे
स्वतन्त्र	3 घंटे
जनसंघ	2।। घंटे
बी. के. डी.	2 घंटे
संसोपा	1।। घंटा

श्री **भैरोंसिंह**: संसोपा को ज्यादा समय दे दिया।

श्री **नत्थी सिंह** : कहां ज्यादा टाइम दे दिया है ? संसोपा के सिवाय यहां है ही क्या ?

श्री **अध्यक्ष** : साम्यवादी 30 मिनट
निर्दलीय कुछ मिनट

मंत्रियों द्वारा उत्तर तथा स्पष्टीकरण हेतु––2 घंटे।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय...

श्री **अध्यक्ष** : वाद-विवाद का आरम्भ

श्री **नाथूराम** (वागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, कडाना डैम के संबंध में कल आश्वासन दिया था उसका कब जवाब दिया जायेगा मैं यह जानकारी करना चाहता हूं......

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस दल को 8 घंटे और मंत्रियों को जवाब के लिये 2 घंटे याने कुल मिलाकर उनको तो 10 घंटे दे दिये और बाकी के सब लोगों को इतना कम समय दिया गया है.....

श्री **नाथूराम** : पॉइन्ट ऑफ आर्डर सर

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** : अध्यक्ष महोदय समय का बंटवारा....

श्री **अध्यक्ष** : अब तो व्यवस्था का प्रश्न आ गया है कांग्रेस के सदस्य का।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** : मैं भी तो व्यवस्था ही चाहता हूं इस विषय में।

श्री **अध्यक्ष** : मैं एक व्यवस्था पहले दे दूं फिर दूसरी व्यवस्था का उत्तर दिया जायेगा।

Page No 44

श्री **नाथूराम** : अध्यक्ष महोदय, कढाना डैम के बारे में हजारों लोगों को असंतोष हो रहा है और निर्माण के काम पर असर हो रहा है...

श्री **अध्यक्ष** : हां तो आप मुझ से क्या चाह रहे हैं ?

श्री **नाथूराम** : यह स्टेटमेंट कब दिया जायेगा ?

श्री **अध्यक्ष** : मैं अभी इस पर नहीं कह सकता कि कब दिया जायेगा ।

श्री **नाथूराम** : मंत्री महोदय ने कल इस सबंध में आश्वासन दिया था..

श्री **अध्यक्ष** : मैंने उत्तर दे दिया कि मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ ।

हां, दूसरी व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री **दुर्गालाल बादवार** : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस प्रकार है कि समय का विभाजन जो वाद-विवाद के लिये आसन के द्वारा दिया जाता है हम उसका बिलकुल सम्मान करते हैं । लेकिन अध्यक्ष महोदय स्वयं आपने यहां कहा है कि अस्थाई रूप से मैं इसके समय का विभाजन करता हूं तो कम से कम उसमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि स्वतन्त्र दल के सदस्यों की संख्या को देखते हुए उनको अधिक समय मिलना चाहिये

श्री **अध्यक्ष** : मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं इसीलिये उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल मैंने पहले किया है ।

श्री **नत्थीसिंह** (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, बादवार साहब जितने समय में कविता पढें इनके टाईम में से उतना समय निकाल दिया जाये ।

माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को वापिस लिये जाने सम्बन्धी

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आय-व्ययक के सम्बन्ध में सामान्य वाद-विवाद प्रारम्भ हो इससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, समस्त विरोधी दलों की ओर से आपको अध्यक्ष पद से हटाये जाने के एक प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत की थी । आज प्रातःकाल सदन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व आपके आमंत्रण पर विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक में पारस्परिक वार्तालाप के दौरान हुए स्पष्टीकरण, जो प्रस्ताव के मुद्दों में उठाये गये थे और भविष्य में विरोधी दलों को इस प्रकार की शिकायतें करने का अवसर नहीं आयेगा, इस प्रकार के आश्वासन की पृष्ठभूमि में हमने जो प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है, उसकी सूचना प्रस्तुत की है उसको हम वापिस लेते हैं । यही सूचना मुझे देनी है ।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी ने राज्य विधान सभा के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसको वापिस लेने की उन्होंने सूचना दी है । मेरी बातचीत हुई है विरोधी दल के माननीय सदस्यों से कुछ भ्रांतियां हो जाना स्वाभाविक है उनका निराकरण पारस्परिक बातचीत से हुआ ।

(श्री अध्यक्ष)

इस प्रश्न पर मैं कुछ अधिक निवेदन नहीं करना चाहता। यह आसन बड़ा दुरूह है। जहां तक इसके कर्तव्यों का प्रश्न है, उसमें प्रति दिन इस आसन को सहयोग की अपेक्षा रहा करती है। सहयोग टू वे ट्रैफिक है। फिर भी जो कुछ इस आसन पर बैठकर परम्पराओं को, सदन की प्रतिष्ठा को, निष्ठा को, सम्मान को इसको निभाना पड़ता है, और उसके अनुरूप कार्य करना अपेक्षित है।

मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक मेरा प्रश्न है पहले भी मेरी ओर से सहयोग मिलता रहा है, पूरी सहृदयता से, उदारता से। ऐसी भ्रान्ति कभी पैदा न हो इसका प्रयास किया गया है। दुर्भाग्य है कि इस आसन पर बैठने के पश्चात् कठिन समस्या उपस्थित हो जाती है, माननीय सदस्यों की भावनाओं का कभी कभी आदर करने में, उद्विग्नता के समय में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि व्यक्ति विशेष को देखकर आसन के प्रति व्यवहार करने का प्रश्न नहीं होना चाहिये। व्यक्ति आते हैं और जाते हैं। यह आसन संविधान का है, मान्यताओं का है, परम्पराओं का है और नियमों-उपनियमों की अभिव्यक्तियों का है? इसलिये यह महत्व का विषय है। व्यक्ति तो इस पर बैठा करता है। कभी कभी व्यक्ति को देखकर उग्रता आजाती है, लेकिन आसन व्यक्ति का है ही नहीं। इसलिये मैं विशेष रूप से आपको निवेदन करता हूं, सभी माननीय सदस्यों को, इधर बैठे हुए और उधर बैठे हुए। इधर के माननीय सदस्य भी उद्विग्न होते हैं और उधर के भी उद्विग्न होते हैं। इस आसन पर बैठने वाला व्यक्ति ही केवल ऐसा है जो उद्विग्न होते हुए भी उद्विग्नता को निभाता है, उसका निराकरण करके उसको चलना पड़ता है। बाकी सदन ऐसा प्रांगण है जिस पर कई सफर करते हैं, कई आते हैं और कई जाते हैं। और "क्या खबर इस मुकान से गुजरे हैं कितने कारवां।" इतना ही कहकर मैं आपको अपना विश्वास दिलाता हूं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, कल जौहरी बाजार में फायरिंग के सिलसिले में वाद-विवाद के दरमियान जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने आर. ए. सी. के और यू. पी. ए. सी. के जवानों के सम्बन्ध में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। मैं चाहता हूं कि वे उन आपत्तिजनक शब्दों को वे वापस लें और उसके लिये सदन के प्रांगण में क्षमा-याचना करें। वे शब्द क्या थे अगर आप चाहें तो बता दूं। तीन बजे के बाद 144 धारा हटाये जाने के बाद वहां पर न तो कलेक्टर मौजूद था, और न एस. पी. मौजूद था न डी. एस. पी. मौजूद था और न थानेदार मौजूद था।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न की अगर पूर्व सूचना होती तो मैं चिन्तन कर सकता था। अगर आपका प्रश्न यह है कि कुछ शब्द जो आप सम्मुख रख रहे थे वे आपत्तिजनक हैं तो उनको एक्सपन्ज करें।

श्री पी. के. चौधरी : एक्सपन्ज नहीं, मैं चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : अगर इसको क्षमायाचना के लिए उठाना है तो आप नियमों के अन्तर्गत मुझे सूचित कर देते तो मैं निर्णय दे पाता। दूसरा मैं चाहता हूं कि आप नियम और उपनियमों के अन्तर्गत आ रहे हैं क्या। अगर मान लीजिये कि उन्होंने वापस नहीं लिया तो एक स्थिति पैदा होती है। इस सन्दर्भ में प्रक्रिया के अन्दर जो नियमों का सहारा लेकर दें तो इस प्रश्न पर विचार कर लिया जाय। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह उपयुक्त समय नहीं है। अगर आपके विचार में वे आपत्तिजनक हैं और आप अगर उठाना चाहते हैं तो नियमों का सहारा लेकर उठादें। इसके ऊपर बात होगी तो वाद-विवाद छिड जायगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : उठाने दें।

श्री अध्यक्ष : यह सीधा सा प्रश्न नहीं है और इस पर वाद-विवाद का जो समय है वह उस बहुमूल्य समय में से निकाला जायगा जो कि बजट के वाद-विवाद के लिये है। इसलिये यह सरलता का प्रश्न नहीं है। समय का व्यय-अपव्यय जो कुछ है वह होगा।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों को आपत्तिजनक मानता हूं, लेकिन नियमों के अनुसार सतीशचन्द्रजी को पूरा अधिकार है कि अपनी राय बताने का वे अगर यह बात मानते हैं तो कहदें मानते हैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस लिये मैं उनके दिल की राय जानना चाहता हूं। अगर नहीं है तो वापस ले लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी नहीं लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जहां तक विथड्रा करने की बात है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं इस प्रश्न को अभी नहीं ले रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक चीज रेकार्ड में आगई है वह प्रेस में जायगी और जनता के सामने यह आयेगा कि मैंने पता नहीं कि क्या आपत्तिजनक बात कही है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अभी है ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इन्होंने ऐतराज किया है तो या तो पर्सनल एक्स्प्लेनेशन का मौका दिया जाय या इनकी बात को और इनके शब्दों को प्रोसीडिंग में से एक्सपन्ज किया जाय बगैर आपकी सूचना के खडा कर दिया है और एक सदस्य पर एक्सपरशन कर दिया है।

श्री पी. के. चौधरी : रिपोर्टर्स से 7 और 7॥ बजे के बीच का रेकार्ड मंगाकर देखलें। उसमें लिखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो कुछ कहा है ठीक कहा है। फिर वाद-विवाद होगा तो फिर कहूंगा और इस बात की फिर आवश्यकता पडी तो फिर कहूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : आप देखिये भेडियों की जो बात कही है····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे भूखे भेडिये हैं जिन्होंने मासूम बच्चों को जान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
से मार दिया। वे भूखे भेडिये हैं, भूखे भेडिये हैं और आप जितना ज्यादा कहेंगे मैं कहूंगा और 10 बार कहूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : ठीक है आपने कन्फर्म कर दिया है कि पी. ए. सी. के और आर. ए. सी. के जो जवान हैं वे भेडिये हैं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : पी. ए. सी. के भूखे भेडिये हैं, कलेक्टर भूखा भेडिया है, एस. पी. भूखा भेडिया है, सुखाडिया भूखा भेडिया है···

श्री **रोशनलाल** (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं कहूंगा और कहूंगा···

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री **मूलचन्द डागा** : पाइंट आफ आर्डर, सर। इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसके नियम क्या है? अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया था उसको विथड्रा किया गया तो उसके बाद में जो कुछ भी स्पीचेंज दी गई हैं मेरे ख्याल से उनको एक्सपन्ज कर दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : तो क्या कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उसको डिसकस किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमने अध्यक्ष महोदय के खिलाफ···

श्री अध्यक्ष : उसको मैं आपत्तिजनक नहीं मानता हूं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जो प्रस्ताव था उसको मूलचन्द जी डागा वापस नहीं लिवाना चाहते हैं और इस आसन की परम्पराओं के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय से सम्बन्धित सारी बातें सदन के सामने आयें और उनका यह विचार हो तो···

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह कांग्रेस पार्टी का मेद···

श्री **हरिदेव जोशी** : कांग्रेस पार्टी का विचार क्या है इसको हम जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं अच्छी तरह से। हमको किसी को कोई गलतफहमी न हो, गैलेरीज को कोई गलतफहमी न हो, मेम्बर्स को नहीं हो और अध्यक्ष महोदय आपको गलतफहमी रह सकती है इस बात पर कि क्या एक्सपन्ज किया जाय। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं कह रहे हैं एक्सपन्ज करवाने के लिए। माननीय सदस्यों का.

श्री **मूलचन्द डागा** : अध्यक्ष महोदय.

श्री **हरिदेव जोशी** : प्लीज। अध्यक्ष, महोदय, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रोसीजर है उसमें यह जरूर नहीं होगा कि जो प्रस्ताव हाउस की प्रापर्टी हो चुका है उसको विथड्रा कर लिया जाय हाउस की इजाजत के बगैर ही इसको खत्म कर दिया जाय, यह जरूरी नहीं होगा क्या?

श्री **पी. के. चौधरी** : वह भी नहीं हुआ।

श्री **अध्यक्ष** : यह प्रश्न विवाद का नहीं है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वह विवाद का प्रश्न नहीं है। मैं आपको निवेदन यह करना चाहता हूं कि मोशन मूव नहीं हुआ है। हमने मोशन का नोटिस दिया है ....

श्री **हरिदेव जोशी** : ठीक है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह समझ लें कि क्या प्रस्ताव है। नोटिस दिया है। मोशन मूव किया गया होता तो ऐतराज करते। गवर्नमेंट अगर इसको नहीं चाहती है और कांग्रेस नहीं चाहती है तो उस समय खडे नहीं हुए। इनको ऐतराज है .....

श्री **हरिदेव जोशी** : हमें क्या करना है उसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि वह माननीय सदस्य जो खडे हुए थे वे अपनी ओर से खडे हुए थे। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इनको बुलाकर कहा उसको मैं रिजेक्ट करता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : मैं इस प्रश्न को उठने नहीं देना चाहता हूं। आय-व्ययक पर वाद-विवाद।

विरोधी दल के नेता, मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री के सदन में उपस्थित न होने पर आपत्ति।

विरोधी पक्ष के नेता भाषण प्रारम्भ करें स्वतन्त्र पार्टी के। उठिये साहब, श्री बाफना।

श्री **हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह परम्परा रही है कि बजट पर वाद-विवाद विरोधी दल के नेता यहां उपस्थित होकर पहले दिन उसको प्रारम्भ करें, और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे आज उपस्थित नहीं हैं तो उनके कर्त्तव्य के प्रति आपके मार्फत कुछ कहना चाहता हूं ....

श्री **दौलतराम सारण** : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमारी भावना यह व्यक्त की गई है।

श्री **दुर्गालाल बाढदार** : यहां से जब विरोधी पक्ष के नेता महारावल साहब पधारे तो कम से कम आसन को उन्होंने यह सूचित कर दिया है कि वे अपने निजी कार्य से बम्बई जा रहे हैं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह तो ऐतराज कर दिया है कि विरोधी दल के नेता हाजिर नहीं हैं, लेकिन जब बजट पर बहस हो रही है तो भी सदन के नेता हाजिर नहीं हैं, वित्त मंत्री हाजिर नहीं हैं।

श्री **दुर्गालाल बाढदार** : मुख्य मंत्री नहीं हैं।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मुझे ज्ञान है जिस बात का उसको ही दोहराते चले जा रहे हैं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री भी नहीं हैं।

श्री **दुर्गालाल बाढदार** : श्री सुखाडिया जी हाउस से अनुपस्थित रहते हैं, गायब रहते हैं क्या उनके बारे में भी कभी माननीय मंत्री कहते हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : सदन के नेता ने मुझको अवगत किया है कि अत्यंत आवश्यक कार्य

Page No 49

(श्री अध्यक्ष)

होने से उन्हें बाहर जाना पड रहा है अतः वे उपस्थित नहीं होंगे।

विरोधी दल के नेता ने भी मुझे संकेत दिया था कि वे आज उपस्थित नहीं हो सकेंगे। दोनों नेताओं की सूचना है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : वित्त मंत्रीजी ने कहां हैं ? बजट पर बहस हो रही है। हम किसके आगे बातें कहें।

श्री अध्यक्ष : श्री बाफना।

श्री दुर्गालाल बाढदार : उनको घर की जलती हुई नजर नहीं आती दूसरों की जलती नजर आती है।

श्री अध्यक्ष : क्या आप अपने ही माननीय सदस्य को बोलने देना नहीं चाहते।

श्री दुर्गालाल बाढदार : वित्त मंत्री जी कहां हैं यह तो बता दें ?

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइंट आफ आर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 1967 से पहले विधान सभा में जिस समय बजट प्रस्तुत किया गया था उस समय विरोधी दल की तरफ से ऐतराज किया गया था कि बजट के भाषण पर वाद-विवाद के समय निश्चित रूप से तारीख तो मुझे याद नहीं है, थोड़े से समय बाद में आपको वह रूलिंग निकाल कर दे दूंगा जिसमें आसन की ओर से व्यवस्था दी गई थी कि बजट भाषण के दौरान जो बहस होती है उस समय वित्त मंत्री जी उपस्थित रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा समय वे सदन में बजट पर होने वाले वाद-विवाद के समय उपस्थित रहेंगे।

आज वित्त मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिये विरोधी दल की ओर से भाषण शुरू कराया जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले वित्त मंत्री को यहां उपस्थित होने दिया जाय उसके बाद इस पर वाद-विवाद शुरू करवाया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो चार मिनिट में ही उपस्थित हो जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बजट पर बहस शुरू हो रही है और वित्त मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं यह उनका हाउस के प्रति कंटेम्प्चुअस एटीट्यूड है वित्त मंत्री का यह डिसग्रेसफुल एटीट्यड है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री बी. एन. जोशी के खडे होने पर) आपका कब वित्त मंत्री के पद पर प्रमोशन हो गया ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं माननीय अध्यक्ष, यह पूछना चाहता हूं कि जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया उसके बारे में आसन की ओर से क्या निर्देश दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री भैरोंसिंह जी ने जो व्यवस्था का सवाल उठाया है कि ऐसी पूर्व व्यवस्था है उस ओर संकेत किया है यह भी संकेत दिया है कि मैंने ऐसी कोई व्यवस्था दी है, वह मेरी व्यवस्था क्या है उसकी जानकारी करनी है।

श्री भैरोंसिंह : नई व्यवस्था देदें।

श्री अध्यक्ष : नई व्यवस्था देने पर पुरानी व्यवस्था चली जायगी........

श्री भैरोंसिंह : यानि दोनों ही तरफ से खतरा है..........

श्री अध्यक्ष : इसलिये में उस व्यवस्था को देख रहा हूं, प्रतीक्षा को भी देख रहा हूं।

श्री नत्थीसिंह : तब तक 15 मिनिट के लिये हाउस को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : पर में माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा इस व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय देना चाहता ·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन ····

श्री अध्यक्ष : लेकिन इसमें नहीं है परन्तु में यह निवेदन करूंगा माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है उस पर विवशता भी है, व्यग्रता भी है और आग्रह भी है। आग्रह के साथ जो दूसरा शब्द आता है उसको प्रयोग नहीं करूंगा ·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आग्रह के साथ धमकी भी है ·········

श्री अध्यक्ष : उन्होंने दी है इसलिये में निवेदन करना चाहूंगा व्यवस्था तो पहले दी हुई है उसको बदलने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन मुझ को यह सूचना दी गई है कि वे पहुंच ही रहे हैं ·······

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी आज्ञा से ···········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय अभी खडे ही हैं ··········

श्री अध्यक्ष : मैं अभी निवेदन कर ही रहा हूं वित्त मंत्री अनुपस्थित हैं वे इरादतन हैं ऐसी स्थिति नहीं है ·······

एक माननीय सदस्य : क्या वे बाहर हैं ············

श्री अध्यक्ष : आ ही रहे हैं सिर्फ सवाल दो चार मिनिट का है ········

श्री भैरोंसिंह : तब तक आप भाषण दे ही रहे हैं ······

श्री अध्यक्ष : थोडी सी उग्रता आ गई इसलिये यह प्रश्न आ गया वैसे विरोधी दल बडी उदारवृत्ति रखता है। आप उग्रता समाप्त करें। वे आ गये हैं।

(श्री मथुरादास माथुर का सदन में प्रवेश)

श्री नत्थीसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जब अध्यक्ष महोदय पैरों पर हों उस समय कोई भी सदस्य सदन में प्रवेश नहीं कर सकता। आप जब भाषण कर रहे थे माननीय मंत्री सदन में प्रवेश किया है ?

श्री दुर्गालाल बाददार : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं आपकी तरफ से जब यह आदेश हुआ कि अब बजट पर सामान्य वाद-विवाद प्रारम्भ होगा। उस समय पाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया कि आसन के आदेश के बावजूद भी वित्त मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। वे अब सदन आये हैं मैं विशेषाधिकार का प्रश्न रखता हूं उनके 15 मिनिट तक अनुपस्थित रहने के कारण सदन का समय जाया हुआ है यह मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह से उग्रता पैदा कर रहे हैं। आप यह चाहते हैं कि माननीय श्री बाफणा ठीक तरह से नहीं बोलने पावें। आप उनके साथ सहयोग करें।

Page No 51

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा व्यवस्था का सवाल है। बजट पर सामान्य वाद-विवाद प्रारम्भ हो रहा है मैं इस संबन्ध में निवेदन करना चाहता हूं पहले जब भूतपूर्व अध्यक्ष थे इसी प्रकार की आपत्ति उनके सामने भी उठायी गई थी। जो आडिट रिपोर्ट होती उस साल की वह बजट अधिवेशन प्रारम्भ होने से पहले, बजट पर सामान्य वाद-विवाद से पहले सदन में वितरित की जानी चाहिये इसमें राज्य सरकार को क्या आपत्ति है ? इसी प्रकार आडिट रिपोर्ट जो 67 की है वह आनी चाहिये ताकि हमें वाद-विवाद में सहायता मिल सके। जो आडिट रिपोर्ट आपको मिल गई है बजट पर वाद-विवाद में सहूलियत मिल जाय इस दृष्टि से वह सदस्यों को अवेलेबल क्यों नहीं करते ? आडिट रिपोर्ट के अभाव में वाद-विवाद में जो सहायता मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पावेगी और वाद-विवाद का स्तर भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो भूल की है, उसके लिये आसन ताडना दे और निदेश दें कि आडिट रिपोर्ट अविलम्ब सदस्यों को मुहैया की जाय। जिससे वाद-विवाद आगे चल सके।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आयी है।

एक माननीय सदस्य : डिपार्टमेन्ट में है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने खुद ने आडिट रिपोर्ट नहीं देखी है। इसलिये आडिट रिपोर्ट, वाद-विवाद में वेग प्वाइंट है। मैंने जानकारी कराई है। कल सतीशचन्द्र जी से मैंने कहा था कि आडिट रिपोर्ट आयेगी तो सदन की मेज पर रख दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए प्वाइंट आफ आर्डर।

वित्त मन्त्री ने बजट स्पीच में कई स्थानों पर आडिट रिपोर्ट...

श्री रघुनाथ विश्नोई : व्यवस्था नहीं हुई है, उसके पहले ही आप बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य ने महत्वपूर्ण बात रखी है। उस पर मैं यह निवेदन कर रहा था...

श्री रघुनाथ विश्नोई : आसन की व्यवस्था क्या है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने मान लिया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि बजट स्पीच में फाइनेंस कमीशन का उल्लेख आया है। फाइनेंस कमीशन के सामने राज्य सरकार ने अपने प्रतिवेदन में क्या आशाएं लगाई है। राजस्थान के बजट पर विचार करने से पहले मैं यह चाहूंगा कि फाइनेंस कमीशन के सामने राज्य सरकार ने किस प्रकार का मेमोरेन्डम रखा है। वह हमें बताया जाय। सरकार फाइनेंस कमीशन के सामने अपने क्या वियू प्वाइंट रख रही है। वह सदन के सामने भी रखती तो विचार करने

(श्री भैरोंसिंह)
का अवसर होता। पिछले फाइनेंस कमीशन ने नहीं दिया। फोर्थ में राज्य सरकार ने क्या विचार किया है। इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं सदन को अवगत कराया जाये हमें इस बारे में डार्क में रख कर बजट पास करवाना चाहते हैं। हमारा यह निवेदन है कि फाइनेंस कमीशन के सामने क्या रखा है। राजस्थान के बजट पर विचार होने से पहले वह सरकुलेट कर दिया जाये। इसलिए मेरी मांग है कि कमीशन के मेमोरेंडम के सम्बन्ध में बजट स्पीच में बार बार उल्लेख आया है, उसके ऊपर बजट को आधारित किया गया है। वह फाइनेंस कमीशन के सामने प्रस्तुत किया गया मेमोरेंडम इस सदन में पेश किया जाना चाहिए।

श्री **मथुरादास माथुर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें कोई ऐतराज नहीं है। फाइनेंस कमीशन को जो मेमोरेंडम हमने दिया है, उसको सदन की मेज पर हम रख सकते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उसकी वोल्यूम बहुत बडी बडी हैं। सभी मेम्बर्स को देनी पडेगी तो खामखाह बहुत खर्चा होगा। हम इतना कर सकते हैं, एक एक पार्टी को एक एक कापी दे देंगे। उसको सदन की मेज पर रख देंगे। उससे जो भी देखना चाहें, देख सकते हैं।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय श्री बाफना।

श्री **फूलचन्द बाफना** : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री **लादूराम सुलाकियां** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने फरमाया कि सभी सदस्यों को वह एक एक कापी नहीं दे सकेंगे। मेरा निवेदन है कि हर सदस्य को उसकी प्रतियां दी जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी बिजनेस सदन में वित्त मन्त्री महोदय की तरफ से दिया जाता ह, वह भी विशेष कर अंग्रेजी में होता है। वह हिन्दी में प्रतियां साथ ही साथ दिलादी जायें।

श्री **अध्यक्ष** : मैं समझ गया आपकी बात।

माननीय श्री बाफना।

श्री **श्रवणलाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने यहां के सूचना केन्द्र में जाकर मालूम किया तो बताया गया कि दो-चार प्रतियां हैं। वह भी अंग्रेजी में हैं। हिन्दी की कापी आज तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्री **अध्यक्ष** : नहीं हुई है तो आज हो जायगी।

श्री **श्रवणलाल** : जब तक आय-व्ययक भाषण की प्रतियां सदन में नहीं दे दी जायें तब तक वाद-विवद नहीं होना चाहिए।

श्री **अध्यक्ष** : प्रतियां उपलब्ध हो जायेंगी।

श्री बाफना।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री **फूलचन्द बाफना** : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अनुमान पत्र पर विचार हो रहा है। यह आय-व्ययक रखा है। मेरी निश्चित राय है कि राज्य आम जनता के लिए बजट बनाता है। राज्य के

(श्री फूलचन्द बाफना)

लिए नहीं होता है। आम जनता के लिए होता है। अगर उससे आम जनता के कष्टों का निराकरण नहीं होता है तो उसी परिमाण में वह कम अच्छा होता है। जिस परिमाण में जनता के कष्टों का निराकरण होता है, उसी परिमाण में वह सफल बजट होता है। एक युग था जिसे हम ला आफ जंगल का यग कह सकते हैं, सर्वाइवल आफ दी फिटेस्ट का युग कह सकते हैं। जो जबरदस्त होता था वह चाहे जो कर सकता था। आज भी हम वह देख रहे हैं जो कमजोर हैं वह बिल्कुल पीछे हैं। उसको सुविधाएं नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्दा रहने के लिए हवा बिल्कुल मुफ्त है। उस पर कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद पानी है। पानी कई जगह केवल मुफ्त में मिलता है। पानी की सुविधा हम 20 वर्षों में भी उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। कई लोगों को पानी के लिए कितनी कितनी दूर जाना पड़ता है। ऐसे कई जिले राजस्थान में हैं जहां पानी आसानी से नहीं मिल पाता है। वहां पानी की भीषण समस्या है। उसे जल्दी से जल्दी हल किये जाने की आवश्यकता है। पानी के बाद अनाज का नम्बर आता है। ऐसा मानते हैं कि जिस प्रकार कुदरत ने हवा व पानी आदमी के लिए मुफ्त जुटाये हैं। उसी तरह से रोटी रोजी भी उसके कब्जे में आनी चाहिए। वह यह है कि जो भूमि है, उसकी सीलिंग की बात की जाती है परन्तु हमारा विचार है कि भूमि की फ्लोरिंग होनी चाहिए। पांच दस बीघा जमीन हर आदमी के पास हो। वह मेहनत करे अनाज पैदा करने में। अनाज पैदा करने में टैक्स नहीं होना चाहिए। हम उस वक्त तक स्वराज्य नहीं मानते हैं जब तक रोटी के लिए आदमी गुलाम है। एक बार सरकार ने न्यूनतम स्रोत····

(12.48 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पर जो लगान था वह सरकार ने माफ कर दिया था लेकिन उसको वापिस विथड्रा कर लिया है। मेरा ख्याल है, वह एक गलत कदम था। होना यह चाहिए था कि आदमी को रोटी की गुलामी से दूर करना चाहिए। जिस प्रकार हवा और पानी के लिए हैं, उसी प्रकार अनाज के लिए होना चाहिए। हर इंसान मेहनत करे। आज वही हाल है जो आज से 20 वर्ष पहले था। आज भी जिसकी जेबों में पैसा है, उसी की जेब में स्वराज्य है। आज कई लोगों को ज्यादा खाकर अजीर्ण होता है। परन्तु कई लोगों को खाने के लिये नहीं मिलता है। लाखों, करोडों आदमी बीमार हैं।

अगर आज मजदूर सुबह 2 बाजार में आता है और रोजगार के लिये उपस्थित होता है बाजार में तो समाज का यह फर्ज है कि अगर वह मेहनत करना चाहता है तो उसको मेहनत करने का जरूर अवसर दिया जाय, उसको मजदूरी पर लगाया जाय। परन्तु आज भी करोडों लोग बेकार रहते हैं, उनको मेहनत मजदूरी की गारन्टी नहीं है। अगर वह परिश्रम करना चाहते हैं तो उनको परिश्रम करने के लिए काम मिलेगा ? जब तक ऐसी गारन्टी नहीं होगी, मैं ऐसा मानता हूं, हमारे यहां स्वराज्य नहीं है, यह सुराज्य नहीं है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से गारन्टी होनी चाहिए मजदूरी

(श्री फूलेचन्द बाफना) . . करके पेट भरने के मामले में कि जो व्यक्ति मजदूरी करना चाहे उसको मजदूरी-करने के साधन या काम मिले। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। गांधी जी ने 'अन टू द लास्ट' किताब है उसका हवाला देते हुए लिखा है कि अगर मजदूर सुबह बाजार में आता है और कोई आदमी उसे दस बजे मजदूरी पर ले जाता है, कोई बारह बजे मजदूरी पर ले जाता है या कोई दो बजे मजदूरी पर ले जाता है तो उसको दिन भर की मजदूरी बराबर मिलनी चाहिए क्यों कि वह तो मजदूरी करने के लिये तैयार है लेकिन उसको मजदूरी पर लिया नहीं गया। वह समाज व्यवस्था के कारण से मजदूरी पर नहीं लिया जा सका, अन्यथा वह तो मजदूरी करने के लिए तैयार है। जब आदमी मजदूरी करने के लिए तैयार है और उस आदमी को काम पर नहीं नहीं लिया जा सके तो यह समाज का अपराध है, उस मजदूरी करने वाले का अपराध नहीं है, इसलिए या तो उसको मजदूरी दी जाय या यदि वह दिन भर बेकार रह जाता है तो उसको बेकारी का भत्ता दिया जाय। आज यह हालत है कि रोटी के मामले में भी आदमी पराधीन है, आज मजदूर को मजदूरी मिलने की व्यवस्था नहीं है। वह सुबह बाजार में जाता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है। यह कौनसी व्यवस्था है। यह व्यवस्था बराबर नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो उनको मजदूरी देने की गारन्टी दे सके। आज जिसे धन्धा चाहिए, यदि उसकी जेब में पैसा है तो उसको धन्धा मिल सकता है। आज यदि कोई सरकारी नौकरी लेना चाहता है तो नौकरी पाने के लिए उसको जो अधिकारी रिश्वतखोर हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा तब कहीं जाकर उसको नौकरी मिलती है इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार से कोई बीमारी का इलाज करवाना चाहता है, कोई आदमी बीमार हो गया है, उसको टी. बी. हो गई या तपेदिक हो गई है और डाक्टर कहता है कि अच्छा फल खाओ, दूध पीओ या किसी पहाडी स्थान पर जाकर रहो, अच्छा खाने पीने की सुविधा रखो तो टी. बी. अच्छी हो जायगी। लेकिन इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये उसके पास पैसा नहीं है और समाज की तरफ से ऐसी सुविधा और व्यवस्था नहीं है कि उसको ऐसी सुविधा दी जाय। इस वजह से बहुत से आदमी बिना इलाज अकाल ही में काल की गोद में चले जाते हैं। आज समाज व्यवस्था ऐसी है जो आदमी के इलाज की भी गारन्टी नहीं देती है। मेरा मानना कि डाक्टर गांव 2 और मोहल्ले 2 में घूमे। बजाय इसके कि बीमार आदमी स्वयं इलाज के लिये अस्पताल जाये। यह होना चाहिए कि डाक्टर स्वयं घूम 2 कर देखे और वह बुलाये उसको बुलाये तो अस्पताल जाये। इसलिए डाक्टर का फर्ज है कि वह गांव 2 जाय और देखे कि कौन कैसा बीमार है, किसको कैसा इलाज कराना है, किसको कष्ट है और फिर उनके इलाज की व्यवस्था करे। आज डाक्टर लिख देता है यह दवाई ले आओ लेकिन पैसा न होने के कारण गरीब आदमी दवा नहीं ला सकता। आज सरकारी नौकर को तो सुविधा है लेकिन आम आदमी को इलाज की सुविधा नहीं है। इसलिए अगर वह अपनी बीमारी का इलाज कराये तो उसके लिए उसके पास पैसा कहां है,

(श्री फूलचन्द बाफना)

साथ ही समाज की व्यवस्था ऐसी नहीं है और न राज्य की व्यवस्था है कि गरीब आदमी का इलाज हो सके। ऐसी स्थिति में उसके पास केवल मौत की ओर जाने का रास्ता बचता है। ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसका इलाज हो सके। इसलिए इलाज की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए ताकि बीमारी का उपचार हो सके।

आज जो व्यवस्था है, यह एक प्रकार का षडयंत्र है। यह केन्द्र या राज्य सरकार एक प्रकार का षडयन्त्र है बहुमत के आधार पर कोई भी दल राज्य पर कब्जा जमा लेता है लेकिन अगर वह यह गारन्टी नहीं दे कि बीमारी का इलाज होगा, सब को रहने के लिए मकान मिलेगा, मजदूरी मिलेगी तो वह सरकार बेकार है आज लाखों लोग बाहर खुले में पडे रहते हैं, उनके रहने के लिए मकान की व्यवस्था नहीं है। यह कितने बडे अफसोस की बात है कि उनके रहने के लिए मकान की व्यवस्था नहीं है। ठीक है इस साल कुछ हरिजनों को मकान की सुविधा दी जायगी, नल पानी की सुविधा दी जायगी। लेकिन यह बात ऐसी ही हुई कि एक साल में एक ईंट चुन दी, दूसरे साल में दूसरी ईंट चुन दी, तीसरे साल में तीसरी ईंट चुन दी और इस तरह बीस साल में बीस ईंटें चुनी। फिर यह कह दिया कि इतना काम हो गया। यह कोई प्रगति की रफ्तार नहीं है जिससे कि देश का कल्याण हो सके।

आज देश की आबादी इतनी रफ्तार से बढ रही है कि यदि आप दस का इन्तजाम करते हैं तो पन्द्रह और पैदा हो जाते हैं। इसलिए आपका इन्तजाम नाकाफी हो जाता है। सरकार के आंकडे आप देखेंगे तो उन आंकडों से स्पष्ट रूप से आप बताते हैं कि इतने लोगों को शिक्षित किया है, इस साल में इतने लोगों को शिक्षित किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है ... लेकिन इन आंकडों से यह भी महसूस होगा कि निरक्षर लोग हर साल बढते हैं आप शिक्षितों की संख्या बढती हुई बताते हैं लेकिन आंकडों में मिलेगा कि पिछली साल दो करोड अशिक्षित थे और इस साल दो करोड और अशिक्षित बढ जाते हैं। इस तरह आप अनपढों की और बेकारों की संख्या नहीं बताते हैं। आप बताते हैं कि इतने लोगों को रोजगार दे दिया, इतने लोगों को पढ़ाया। मैं समझता हूं कि आप ऐसे आंकडे पेश करें कि गये साल कितने अशिक्षित थे, कितने लोग बेरोजगार थे और कितने लोग बिना मकान के थे, ऐसे कितने लोग थे जो अपना इलाज नहीं करा सकते थे। ऐसे आप आकडे दें तो मालूम होगा कि आपके विकास की रफ्तार क्या है? अगर आपको देश का विकास करना है तो विकास में यह तो जरूर है कि बडा पैसा लगता है और उसका प्रचार भी होता है, लेकिन हर आदमी के जिन्दा रहने का इन्तजाम आपके यहां है या नहीं? ऐसा इन्तजाम होना चाहिए और आपको आंकडों मे इस प्रकार की इत्तला देनी चाहिए जिससे लोगों को मालूम हो कि किस प्रकार की स्थिति है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि आप आदमी को गिराने के साधन उपलब्ध करते हैं, गिरावट के साधनों को प्राप्त करने के लिए तो हर आदमी को आजादी है, सुविधा है। ऐसे कई साधन हैं जिससे गांव गिर रहे हैं, गांवों में जो उद्योग-धन्धे थे वह बरबाद हो गये हैं। सारे उद्योग-धन्धे आज शहरों में चले गये हैं। जो गांवों में छोटे 2 उद्योग धन्धे विद्यमान हैं वह शहरों के धन्धों के सामने

(श्री फूलचन्द बाफना)

टिक नहीं सकते है इसलिए उनका विकास सम्भव नहीं है और उनमें रुकावट आ गई है, गतिहीमता आ गई है। इसलिए हम देखते हैं कि गांव के लोग आज शहरों का मुंह ताकते हैं और उनको शहरों की गन्दी हवा में, और तंग वातावरण में काम करना पडता है, उनको मजदूरी करनी पडती है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप गावं में काम उपलब्ध करें। गांवों में जो छोटे 2 रोजगार मर रहे हैं, उनको बडे रोजगारों के सामने जिन्दा रहने की गारन्टी दें, उन्हें सुविधायें दें। जैसे कपडे का मामला है। जो कपडा मिल बनाती है उसमें से कुछ कपडा मिल में न बने और केवल हाथ से ही वह बने। इस प्रकार आपको खादी ग्रामोद्योग कमीशन पर रुपया खर्च नहीं करना पडेगा साथ ही साथ लोगों को ऐसी गारन्टी मिल जायगी कि ऐसा कपडा हाथ से काम करने वाले ही बनायेंगे, मिल वाले नही बनायेंगे। उससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा और आवश्यकता होगी तो कारखाने और मिल भी चलेंगे। ऐसा इन्तजाम आप करते हैं तो वास्तव में जो गांवों में रोजगार मर रहे हैं वह जिन्दा हो सकते हैं और साथ ही कपडे की समस्या भी हल हो सकती है, और जो रोजगार देने की बात है उसका भी इन्तजाम हो सकता है ...

श्री बिशम्भर नाथ जोशी: ग्रोन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार का सुझाव दिया है वह विधान के अनुसार व्यवहारिक नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह: आप जवाब दें तब कह दें।

श्री फूलचन्द बाफना: यह आपकी सरकार का कानून है, भगवान और प्रकृति के कानून की मैं बात करता हूं। मैं भगवान के कानून की बात करता हूं, यह सरकारी कानून है यह भगवान के कानून के सामने टिकेगा नहीं अगर आप कहते हैं कि हमारा कानून भगवान के कानून से भी भारी है तो आपकी स्थिति भस्मासुर जैसी हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकता।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी: मैंने भारत के संविधान की बात कही। संविधान के प्रति वफादारी की आपने, हमने और सबने, सदन में बैठने वालों ने शपथ खाई है।

श्री फूलचन्द बाफना: संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है यह बात सही है। लेकिन संविधान के ऊपर मैं ईश्वर को मानता हूँ। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। इसी आधार पर मैं अपने विचार प्रकट करता हूं। जो प्रकृति का आधार है कि हर व्यक्ति को जिन्दा रहने दो, उसको कानून से नहीं बदल सकते। अगर ऐसा कानून है तो उसको हमें बदलना पडेगा। ऐसी सरकार जिसने ऐसा कानून बनाया है वह सरकार दोषी है। आज जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, वह मैं समझता हूं कि सरवाइवल आफ फिटेस्ट की चल रही है। आज मत्स्य न्याय चल रहा है, जैसे समुद्र में बडी मछली छोटी मछली को निगल जाती है ऐसा ही आज समाज व्यवस्था में चल रहा है। आज बडे आदमी को सब सुविधा है। बडे आदमी के बच्चे आज पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आज बडा आदमी है, वह अपने यहां नौकर रखता है और अपना धन्धा चलाता है। आज यह आजादी है कि आदमी

(श्री फूलचन्द बाफना)

है कि आदमी भूख से मारे एक तरफ, और दूसरी तरफ दो 2 हजार तनख्वाह जिनको मिलती है वह बड़े बड़े उद्योग व कार्य चालू करते हैं। तो जिस विधान में रोटी, रोजी का प्रबन्ध न हो और बेकारी को मिटाने का इन्तजाम न हो वह कौनसा विधान है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में जो निर्देशक तत्व रखे हैं, जो मूलभूत बातें रखी हैं, मैं मानता हूं उनमें हमें परिवर्तन करना होगा जिससे हर आदमी के जिन्दा रहने की व्यवस्था हो। जिस संविधान में आदमी के जिन्दा रहने की व्यवस्था नहीं हो उसमें परिवर्तन करना उचित होगा क्योंकि उसके बिना वह व्यापक नहीं बन सकता। इस परिवर्तन करने में कोई बाधक नहीं बन सकता है।

आज गांवों में रोजगार की आजादी नहीं है। फ्रीडम आफ ट्रेड नहीं है, फ्रीडम आफ लिविंग नहीं है। आज मरने के लिए आजादी है; जिन्दा रहने के लिए आजादी नहीं इस प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। आज शिक्षा के मामले में देखें कि पढ़े लिखे हुए लोगों की कितनी हालत खराब है ? आप कहते हैं कि हमने इतनों को शिक्षित किया लेकिन आज लाखों पढ़े हुए लोग बेकार हैं। उनको कोई और धन्धा आता नहीं है, कोई काम उनको सिखाया नहीं जाता है, केवल उनको शिक्षित बनाया जाता है साक्षर बनाया जाता है.........

(1 म. प.)

आज आपकी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की है कि आदमी को रोजगार नहीं मिलता और अगर आज शिक्षित आदमी को रोजगार नहीं मिलता वह नौकरी के लिए इधर उधर भटकता है तो मैं कहूंगा कि केवल नौकरी के लिये क्लर्क तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य भले आदमी बनाने का नहीं है तो यह शिक्षा किसी काम की नहीं है। पढ़े-लिखे आदमी आज कितने भले बनते हैं, यह आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज आपके अधिकारी रिश्वत खाते हैं, मिनिस्टर भी रिश्वत खाते हैं, पढ़े-लिखे लोग अगर रिश्वत खाते है तो फिर पढाई का क्या मतलब है ? शिक्षा तो आदमी को भला बनाने के लिए दी जाती है, शिक्षा से आप आदमी को भला नहीं बना सकते तो यह स्वराज्य नहीं है, यह नौकरशाही है, आपके हाथ में आज कुछ नहीं है इसलिये आप केवल कागजी आज्ञाए ही देते हैं।

मैं शिक्षा की बात कह रहा था, मैं आपका ध्यान सिंगल टीचर स्कूल्स की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, सिंगल टीचर स्कूल्स के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं, वह यह है कि जिन मास्टरों के बच्चे नहीं हों उन मास्टरों को सिंगल टीचर स्कूल्स में नहीं भेजा जाय जिनके बच्चे हों उन्हीं टीचर्स को सिंगल टीचर स्कूल में भेजा जाय क्योंकि जिन टीचर्स के बच्चे नहीं होते हैं वे सिंगल टीचर्स स्कूल में गांवों में जाते है और किसी छोटे बच्चे के नाक में सेडा आ गया तो वे छोटे बच्चों से नफरत करते है। इसलिये जिन टीचर्स को बच्चों के पालन पोषण का अनुभव हो, जिनको बच्चों के प्यार का अनुभव हो, उन्हीं को सिंगल टीचर स्कूल्स में मास्टर बना कर भेजना चाहिये, सिंगल टीचर स्कूल्स में जो बड़े अनुभवी हों उनको भेजा जाय मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जो अधिकारी रिटायर हो जाय, उनके द्वारा बच्चों को पढाया जाय, इससे उनकी रिटायर्ड लाइफ भी अच्छी

(श्री फूलचन्द बाफना)

तरह से बीतेगी और वे अपने अनुभव से बच्चों को लाभ पहुंचायेंगे, उनके अनुभव को बच्चे सीख कर लाभ उठायेंगे।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नये मास्टर बनें उनको ऐसे अध्यापकों के पास रखिये जो अनुभवी हों, जो हाई स्कूल्स के मास्टर हैं, बडी 2 स्कूल्स के मास्टर हैं उनके पास उनको रखिये इससे उनको अनुभव होगा और वे लोग गांवों में जा कर बच्चों को अच्छी तरह से पढा सकेंगे।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो मास्टर है, जो वैद्य हैं उनको आप गांवों में भेजते हैं तो पहले उनके रहने के लिये इन्तजाम कीजिये। रहने के लिये मकान का कोई इन्तजाम नहीं होने के कारण जो मास्टर और वैद्य गांवों में जाते हैं उनको बडी असुविधा होती है, गांवों में जायें, मकान ढूंढें और उनको रहने के लिये मकान नहीं मिलें तो बडी दिक्कत होती है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इस प्रकार का प्रबन्ध कर दीजिये कि स्कूलों व औषधालयों के पास ही रहने के लिये मकान हो' बराण्डा हो, उनके लिये रहने की व्यवस्था हो। उसके बाद में ज्यों 2 आपके पास साधन उपलब्ध हों आपको धन उपलब्ध हो तो फिर आप बडी बिल्डिंगें बनाइये पर अभी जब तक आपके पास अर्थाभाव है आपको मास्टरों और वैद्यों के रहने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। क्योंकि मास्टरों और वैद्यों के रहने के लिये गांवों में व्यवस्था नहीं होती है तो उनका मन वहां नहीं लगता है और अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, उनकी ज्यादा शक्ति इसी में बीतती है। यही कारण है कि गांवों के मास्टरों की साल में दो दो, तीन तीन बार बदलियां हो जाती हैं, क्योंकि उनसे कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है। इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अध्यापकों और वैद्यों के रहने का इन्तजाम गांवों में सब से पहले होना चाहिये। तभी वे ठीक प्रकार से काम भी कर सकेंगे और गांवों में उनका मन लग भी जायगा।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रति वर्ष टैक्स बढाते हैं, यदि आप टैक्सों का नक्शा बनायेंगे तो आपको मालूम होगा कि प्रति वर्ष टैक्स बढते ही बढते जा रहे हैं, ऐसा कोई वर्ष नहीं है कि आपने टैक्स नहीं बढाये हों, क्या कारण है कि प्रति वर्ष कर बढते जाते हैं फिर भी पूरा पडता नहीं है? इसका मुख्य कारण यह है कि कर आपके राज्य के खजाने में पूरे नहीं जाते हैं, अधिकारियों की जेबों में जाते हैं, उनके एजेन्टों की जेबों में जाते हैं। जो ईमानदार व्यक्ति है, वह तो टैक्स का शिकार होता है और जो ईमानदार नहीं है, जो टैक्स से बचने की तरकीब जानते हैं वे टैक्सों के शिकार नहीं होते हैं, इसलिये सरकारी खजाने में कर कम आता है, यह आपकी व्यवस्था का फर्क है।

हमारे यहां बाली में एस. डी. ओ. साहब ने कहा कि मैं मिलावट को, बेईमानी को, मिलावट को मिटाना चाहता हूं और इस तरह उन्होंने एक मिलावट करने वाले पर सख्त जुर्माना किया। इस पर एक दफा पुलिस वालों से सुना कि हमारे लिये तो एस. डी. ओ. साहब ने भला कर दिया, उनको पूछा गया कि एस. डी. ओ. साहब ने कैसे भला

(श्री फूलचन्द बाफना)

कर दिया तो कहा कि उन्होंने अब हमारी रिश्वत की रेट बढा दी। कोई ज्यादा पैसा नहीं देगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं ग्रौर केस चालान कर देंगे। आज यह हालत है, ज्यादा जुर्माना करके, ज्यादा सख्ती करके मौजूदा जमाने में तो बुराई को नहीं मिटा सकते यही कारण है कि आप करोडों की योजना बनाते हैं पर आपको कामयाबी नहीं मिलती है। आप कितने ही करोडों की योजनाएं बना दीजिये, केवल करोडों के ग्रंक के शून्यों को ही रहने दिया जाय ग्रौर मूल का जो आदि ग्रंक है उसको हटा दिया जाय तो वह करोडों के ग्रंक सूचक शून्य कुछ काम के नहीं रहेंगे, इसी तरह से शिक्षा से यदि आप भले आदमी तैयार नहीं कर सके, आप शिक्षा से आदमी को भला नहीं बना सके तो आपकी कोई योजनाएं कामयाब नहीं होंगी। आज तकाबियां उनको ज्यादा मिलती हैं, सहायता उनको ज्यादा मिलती है, जो ज्यादा सशक्त हैं पर जो कमजोर हैं उनको नहीं मिलती। यह उसी तरह की बात है कि एक खेतवाला क्यारी में पानी भेजता है, पर पानी क्यारी में नहीं पहुंचता है। किसान चिल्लाता है कि मैं पानी भेज रहा हूं ग्रौर पालतिया चिल्लाता है कि मेरे यहां पानी बिलकुल नहीं आ रहा है, दोनों जिद्द करते हैं ग्रौर आखिर नाली की ग्रौर बढते हैं जब वे दोनों नाली की ग्रोर जाते हैं तो देखते हैं कि नाली जगह 2 से टूटी हुई है, नाली जगह जगह से टूटी हुई होने के कारण किसान पानी देता है पर पानी क्यारी में नहीं पहुंचता है। ठीक उसी तरह से आपके मंत्री फूटे हुए हैं नेता फूटे हुए हैं अधिकारी फूटे हुए हैं ग्रौर करों के रूप में वसूल किया हुआ धन बेकार जाता है उन लोगों के पास नहीं पंहुचता है जो योजनाएं बना कर उन योजनाओं पर खर्च करना चाहते हैं। इसलिये आज आपके यहां सबसे पहले यह होना चाहिये कि अच्छे इन्सान बनायें, अच्छे इन्सानों की कद्र करें।

इसी तरह परिवार नियोजन का कार्य आज किस तरह से हो रहा है। यह सही है आज उत्पादन को बढाना चाहिये, ग्रौर जन-संख्या को घटाना चाहिये पर आज आप जिस तरह से जन-संख्या घटाने के उपाय कर रहे हैं उससे वासना ग्रौर करप्शन बढ रहे हैं ग्रौर उन उपायों का जिनके हाथ में कब्जा है उनसे भ्रष्टाचार बढता है। आज आप समाज को शराब ज्यादा पिला रहे हैं, रिश्वतखोर आदमी पैदा कर रहे हैं, इस पर यदि चैकिंग नहीं किया गया तो हिन्दुस्तान भ्रष्ट हो जायगा, हिन्दुस्तान नीचे चला जायगा, हिन्दुस्तान के आदमी देवता नहीं बनेंगे, दानव ग्रौर राक्षस बन जायेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल हमारे देश के आदमियों को दानव बनाना ही हमारे राष्ट्र की योजनाओं का लक्ष्य नहीं है। आज आपके यह सारे मामले इस तरह से चलते हैं कि आदमी ऊंचा चढता ही नहीं, नीचे ही गिरता जाता है। आज आपकी शिक्षा ऐसी है कि जो आदमी को भला नहीं बनाती, आज सिनेमाओं में अश्लील चित्र दिखाये जाते हैं, आदमी को गिराने के सारे साधनों की स्वतन्त्रता आपने दी है, अच्छा आदमी बनाने की सहूलियतें आपने नहीं दी हैं। सिनेमा जो कि समाज को ऊंचा उठाने का साधन है उससे आप अश्लील चित्र दिखा कर समाज को नीचा गिरा रहे हैं। सिनेमा से रूस ग्रौर चीन में सुधार हुआ है ग्रौर आपके

(श्री फूलचन्द बाफना)
यहां आदमी को गिराया जा रहा है। आदमी को दानव बनाने जा रहे हैं, शराब पिलाते जा रहे हैं, जुए की आदत डाल रहे हैं। लाटरी की योजना एक तरह से जुआ ही है···

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक तरह से क्या सब तरह से जुआ ही है।

श्री फूलचन्द बाफना : आप कहते थे कि जुए को रोक नहीं सकते···

श्री केसरीसिंह हाडा : राजस्थान सरकार स्वयं जुआ खेल रही है।

श्री फूलचन्द बाफना : आप सिनेमा से जहां आदमी को ऊपर उठाना चाहिये उससे आदमी को नीचा गिरा रहे हैं, उधर शिक्षा का स्तर गिर रहा है।

मेरे पास एक मोची आया और कहने लगा कि मेरे लड़के को नौकरी दिलाओ, मैंने कहा कि कोशिश करूंगा पर जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक उससे घर का धन्धा करवाओ। इस पर वह कहता है कि घर का धन्धा तो उसने सीखा ही नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा किस काम की जिसमें धन्धा ही नहीं सीखे।

प्रश्न काल विधान सभा में चलता है, इधर के माननीय सदस्य भी प्रश्न पूछते हैं, और उधर के माननीय सदस्य भी प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों और उनके उत्तरों से इस बात की साफ झलक मिलेगी कि राज्य का इन्तजाम आज कितना खराब है। एक सत्र में प्राय: 5000 प्रश्न आते हैं। उन 5000 प्रश्नों और उनके उत्तरों की भावना को देखेंगे तो पता चलेगा कि देश की हालत कितनी खराब है।

वास्तव में इधर के और उधर के माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए एक एक सत्र में 5-5 हजार प्रश्न आते हैं जो सरकार की अव्यवस्था के बारे में होते हैं। यह गांधी जी की व्यवस्था नहीं है। बजट में कहा गया है कि यह गांधीजी का शताब्दी का वर्ष है, इस तरह से सोचते हैं लेकिन गांधीजी के आदर्शों को भूलना नहीं चाहिये, नौजवानों को भी यह बजट गांधीजी की भावनायें समझना चाहता है। अत: आप उनमें साहित्य वितरण करना चाहते हैं। एक तरफ साहित्य वितरण करना चाहते हैं दूसरी तरफ गांधीजी की भावनाओं के खिलाफ आपके अधिकारी इंतजाम कर रहे हैं। आपका काम दूसरी तरह का है, गांधीजी के उपदेशों के बिलकुल विरुद्ध, गांधीजी कुछ कहते थे और सरकार कुछ करती है। इसमें आपको चाहिए कि ठीक तरह का इंतजाम करें।

पंचायतों को पूरी सत्ता देनी चाहिए। आज जो अधूरी सत्ता है उसमें ग्राम पंचायत काम नहीं कर सकती, आप उनको पूरी शक्ति दें, प्रशासनिक इकाइयां बनायें, ग्राम का इंतजाम उनके हाथ में हो, अहलकार और पटवारी जो गांव का मास्टर है वह पंचायत के हाथ में रहें। अगर ग्राम पंचायत को आप पूरी सत्ता देंगे और अगर वे गांव की बरबादी भी करेंगी तो भी उसके फलस्वरूप गांव वालों में चेतना आएगी और सरपंच को उठाकर फैंकेंगी और दूसरे सरपंच को चुनेंगी। इस समय अधूरी सत्ता होने से पंचायतें फेल हो जाती हैं और बड़े अधिकारियों को अवसर मिलता है कहने का कि ग्राम पंचायतें काम नहीं करतीं, सरपंच भ्रष्ट हैं

(श्री फूलचन्द बाफना)

प्रधान भ्रष्ट है। भ्रष्ट है तो जनता उनको फेंक देगी। ग्राम पंचायतों को पूरी सत्ता दें, ग्रामोद्योगों को कायम करें और वे उनके हाथ में ही सौंपें। अगर कोई ग्राम पंचायत कहती है कि यहां शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए तो उठा दो। ग्राम पंचायत अगर कहती है कि मिल नहीं चाहिए, हाथ के काम काज का कोई उद्योग खोला जाय तो वैसे करो। हाथ के काम से जब पार नहीं पड़े तब ही मशीन आनी चाहिए। इस प्रकार अगर गांवों के हाथ में अधिकार रहे तो ग्राम पंचायतों की व्यवस्था अच्छी है, गांव की इकाई अच्छी है। तो आपको बहुत से इन्तजाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे राज्य में जितने टैक्स हैं, सब अगर पंचायतें इकट्ठी करें, उसमें आप अपना हिस्सा रखें कि इतना हिस्सा पंचायत, इतना हिस्सा पंचायत समिति और इतना जिला परिषद, बाकी जो बचेगा वह राज्य सरकार के पास ला एण्ड आर्डर के लिये जायगा। नहीं तो सारा पैसा आपके पास जयपुर आता है, यहां से फिर वापस नीचे जाता है, इस तरह से पैसे के आने जाने में ही लाखों रुपयों का खर्च और बरबादी होती है। पर आप ग्राम पंचायतों को मजबूत नहीं बनाना चाहते क्योंकि मैंने देखा है कि जब ग्राम पंचायत या पंचायत समिति कोई काम अपने हाथ में ले तो ऊपर के आदमियों ने सोचा कि अब ये हमारे कन्ट्रोल में नहीं रहेंगे। सरपंच या प्रधान से ही काम हो लोगों का हो जायगा तो मंत्रियों को कौन पूछे इनकी अर्थात मंत्री व अफसर की मिलीभगत के कारण ग्राम पंचायतें कमजोर बन गईं, आज पंचायत समितियों को आपने कमजोर बनाया क्योंकि आपको शंका थी कि हमारा प्रभाव क्षीण होगा इसलिए येन केन प्रकारेण आपने उनके अधिकार छीन कर उनको कमजोर बनाया। आप ग्राम पंचायतों को मजबूत बनायें, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को पूरे अधिकार दें, कम से कम मिडिल स्कूल तो उनको सौंपें। कलक्टर तो जिला परिषद का सचिव रहे जिला परिषद के ऊपर नहीं रहे। आज कलक्टर को सुप्रीम पावर है और जिला परिषद पोस्ट आफिस जैसा महकमा है। जिला परिषद को मजबूत इकाई बनायें जो जिले का सारा काम काज देखे और एक दिन जिला मजबूत हो जाय, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत मजबूत हो जाय और किसी दिन नीचे वाली इकाई कहे कि हम अपना इन्तजाम करते हैं, मंत्रियों की फौज की जरूरत नहीं है तो वैसा ही कर देना है। आप करेंगे या नहीं यह तो अलग बात है, लेकिन मैं तो अपने विचार रखता हूं कि जिला परिषद पंचायत समिति ताकतवर बनें ताकि आगे जाकर प्रशासनिक इकाइयां बनें और अपने क्षेत्र का काम काज स्वयं संभाल सकें और पैसे के आने जाने में जो खर्चा होता है वह न हो और वहीं का वहीं वितरण हो इस प्रकार अगर आप बजट बनाते हैं तो मेरे खयाल से बहुत अच्छी योजनायें बनेंगी।

जल प्रदाय योजनायें आप चलाते हैं। ऐसे भी गांव हैं जिनका रुपया आपने ले लिया है, पंचायतों का हिस्सा 5 प्रतिशत सरकार में जमा हो गया दो दो तीन तीन साल से, परन्तु योजना अभी भी अमल में नहीं आई। आप जनता का पैसा लेकर रखते हैं तो जनता से तभी पैसा लो जिसको योजना देनी है।

(श्री फूलचन्द बाफना)

अगर किसी गांव को योजना नहीं देनी है तो पैसा लेकर जमा क्यों करते हो ? ऐसे कई गांव हैं पाली जिले में, 10-12 गांव हैं जिनका पैसा आपने ले लिया, योजना का पता नहीं। एक गांव है देसूरी जहां नारू निकलता है, वहां जल प्रदाय योजना का गांव का हिस्सा जमा करा दिया, वहां सरकारी अधिकारी भी कम रहना चाहते हैं नारू की वजह से, दो साल हो गए लेकिन जल योजना का पता नहीं । कहते हैं कि टंकी ऊंची बन गई । कौन ओवरसीयर था, कौन इन्जीनीयर था ? क्यों ऊंची बनाई ? मालूम नहीं । विकास कार्यों में आप पैसा देते हैं तो कहते हैं अधूरा काम क्यों रहा, जबाव आता है भवनों की प्लिन्थ को ज्यादा बना दिया। सारा पैसा इस तरह से बरबाद हो जाता है और करोड़ों के काम अधूरे पडे हैं, उनको पूरा करने के लिये जोर लगायें और इन्तजाम व चैकिंग पूरा रखें।

आज का जो जीवन स्तर है आप मानते हैं कि ऊंचा है क्योंकि पैसों के आंकडों से आप जीवन स्तर मानते हैं लेकिन जिन लोगों को पहले साग सब्जी नहीं मिलती थी उनको अब भी नहीं मिलती, ऐसे लोगों को ये चीजें मिलने लगे, पूरा कपडा मिलने लगे, उसके परिवार वालों को दवाइयां मिलने लगे। और क्या उनके मकान बन गए ? आज तो मरने का स्टैंडर्ड है, जीने का नहीं। जो अमीर लोग हैं वे भी मौत की ओर जा रहे हैं क्योंकि इतना खाते हैं, आराम से रहते हैं कि दवाइयों की जरूरत उनको रहती है और बीमार रहते हैं और गरीब भी कम खाने की वजह से बीमार रहते हैं, तो यह डाइंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं ।

आप केवल राज्य की आय बढाने की सोचते हैं जनता की आय बढाने की नहीं सोचते । आपको शासन चलाना पडता है, तनख्वाहें देनी पडती हैं लेकिन आप नहीं सोचते कि जनता को भी जिंदा रहना पडता है और इस तरह का इंतजाम नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं । सडकें आप बनाते हैं, अच्छी बात है । लेकिन छोटे छोटे गांवों में आप बडी बडी सडकें बनाना चाहते हैं तो थोडे समय के लिये आप उनको स्थगित कर सकते हैं । गांवों में बैलगाडियां चलती हैं, वहां, छोटे छोटे नदी नाले हैं वहां कल्वर्ट्स बनाइए पुलियाएं बनायें जिससे बैलगाडियां अच्छी तरह से निकल सकें । सुमेरपुर पंचायत समिति में भारूदा गांव है वहां नदी है बैलों को बडी दिक्कत होती है आज तक इंतजाम नहीं हो सका। शासन में हमारा जो स्तर है वह भी गिर गया और शासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो सारे देश का स्तर गिर जाता है। आज आदमी दूध में मिलावट करता है, दवाइयों में, मिलावट करना है, दवाइयों की नकली कंपनियां बन गई है क्योंकि समाज का लक्ष्य है किसीप्रकार करोडों रुपये प्राप्त करें । आज स्मगलिंग चलता है। कितने ही काम ऐसे चल रहे हैं जिनको सरकार रोक नहीं सकती क्योंकि आज समाज का लक्ष्य भी यह हो गया है कि किसी प्रकार पैसा प्राप्त करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो, लोगों के स्वास्थ्य को मिलावट करके नष्ट करो, हम तो उनको ही बडा मानेंगे जिनके पास पैसा है । इस प्रकार के ऑर्डर को सरकार नहीं बदल सकती तो यह सारे बजट पेश करना एक रीति पूरी करनी है, उस साल बना, इस साल बना, उससे पहले बना, फिर बनेगा, पहले टैक्स लगा दिये, अब टैक्स लगा दिये।

(श्री फूलचन्द बाफना)

टैक्स लगाना यह बजट का काम नहीं। आदमी को ऊंचा उठाना यह बजट का काम है। बजट का काम यह होना चाहिये कि कोई भूखा न रहे, नंगा नहीं रहे, अशिक्षित न रहे। आज चोरियां हो जाती हैं। पालडी गांव है वहां मंदिर में चोरी हुई। कितना ही पता लगा लिया लेकिन माल बरामद नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। हजरत बाल की चोरी हो गई तो उसे लाना पडा। लेकिन सरकार आज रिप्रेजेन्टेशन से नहीं सुनती वह तो एजीटेशन से सुनती है और उसके परिणामस्वरूप आज जगह जगह एजीटेशन होते हैं। आपने यह जनता की आदत डाल दी है यह आपके लिये भी मंहगी पडने वाली है। आप कहते हैं कि आन्दोलन क्यों करते हैं ? मैं कहता हूं कि आप आन्दोलन करवाते हैं। लोगों के तकलीफात की आप सुनवाई नहीं करते।

मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जानकारी चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर सब गैर हाजिर हैं और सारे ऑफिसर्स यहां बैठे हुए हैं तो क्या उन्होंने आपस में ड्यूटी एक्स्चेन्ज कर ली है कि ऑफिसर्स आज मिनिस्टर्स का काम करेंगे और मिनिस्टर्स ऑफिसर्स का काम करेंगे ?

श्री **जयनारायण सालोदिया** : एक पूर्ण मिनिस्टर यहां बैठे हैं।

श्री **रामकिशन** : आधे 2 मंत्री बैठे हैं।

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी** (राज्य मंत्री) : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रारम्भ में ही वित्त मंत्री नहीं हैं इसलिये बहस शुरू नहीं करेंगे इस प्रकार की बातें सदन में उठायी गयी थीं। यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन की कार्यवाही रूल्स ऑफ बिजनिस के माफिक रेगुलेट होगी। माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे रूल्स ऑफ बिजनिस को मुकम्मिल तौर से स्टडी करें और रूल्स ऑफ प्रोसिजर की जानकारी रखें। बजट पर पहले जनरल डिस्कशन होता है और एक एक ग्रान्ट आती है इसलिये फाइनेंस मिनिस्टर पूरा समय दें और कोई दूसरा मिनिस्टर यहां न बैठे उसकी एवज में यह संभव नहीं है, आखिर उनको भी खाना खाना होता है, और भी काम होते हैं।

श्री **दिग्विजयसिंह** : मान लिया साहब।

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी** : रूल्स ऑफ बिजनिस के सेक्शन 13 में साफ लिखा हुआ है :

The word Finance Minister shall mean and include any Minister.

तो फाइनेन्स मिनिस्टर मौजूद हैं। यह मैं आपकी सूचना के लिये कहना चाहता हूं। मैं तो बहुत अच्छी तरह फाइनेन्स मिनिस्टर की तारीफ में आता हूं।

Every Dy. Minister of any department comes under the perview of the Finance Minister.

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

मंत्री की परिभाषा में उप-मंत्री, राज्य मंत्री और फाइनेन्स मिनिस्टर और ऐनी मिनिस्टर सब उसमें शामिल हैं। आपका ऐतराज उपयुक्त नहीं है।

श्री **दिग्विजयसिंह** : हम तो मानते हैं लेकिन अफसर लोग नहीं मानते है।

श्री **केसरीसिंह** : रामकरण जी को बिठला दो सब कर लेंगे।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैंने फाइनेन्स मिनिस्टर के लिये केवल सुझाव नहीं दिया है। मैंने तो सब ही मिनिस्टर्स के लिये कहा है।

श्री **फूलचन्द बाफना** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण जल्दी ही समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि दूसरे माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं। केवल एक-दो बातें और निवेदन करना चाहूंगा।

हमने जब हिन्दुस्तान का संविधान बनाया तो उसमें एक गलती कर दी। हमने पहले उसमें शब्द रखे 'लिबरटी, इक्वेलिटी एन्ड फ्रेटरनिटी"। यदि हमने हमारे संविधान के इन शब्दों को इस तरह से लिखा होता "फ्रेटरनिटी, इक्वेलिटी एन्ड लिबरटी" तो अधिक अच्छा होता। फ्रेटरनिटी आती तो इक्वेलिटी आती और इक्वेलिटी आती तो लिबरटी अपने आप आ जाती। लेकिन हमने तो पश्चिम की नकल की। हमने तो पश्चिम की भौतिक सभ्यता को पकड लिया। हमने बाह्यकरण को बढाया, बडे आदमी किस प्रकार शान शौकत से रहें। बाह्यकरण बढा दिया तो अन्तःकरण कम हो गया अन्तःकरण कम हो गया और बाह्यकरण बढ गया। बाह्यकरण बढ गया तो अन्तःकरण ने जवाब दे दिया। बाह्यकरण इतना बढ गया इसका मुख्य कारण यह है कि हमने संविधान में स्वतन्त्रता समानता और भाईचारा इस प्रकार रखा जब कि रखना यह चाहिये था कि भाईचारा, समानता और स्वतन्त्रता इससे दोनों ही बातें आ जातीं। अन्तःकरण भी ठीक रहता और वह भी जवाब नहीं देता।

पुराने जमाने में पांच तन्त्र चलते थे। आज भी पांच तन्त्र है। एक प्रजातन्त्र, दूसरा मजा तन्त्र, तीसरा कजा तन्त्र, चौथा भेड तन्त्र और पांचवां गडरिया तन्त्र।

श्री **रामकिशन** : 'यह तो दार्शनिक एप्रोच है। इसकी व्याख्या हो जाय'।

श्री **फूलचन्द बाफना** : प्रजातन्त्र तो वह है जिसमें आदमी देश को देश मान कर सादगी से जीवन की आवश्यकताओं को कम रख कर चले, मजा तन्त्र वह है जिसमें मजा लेओ, मोज उडाओ, कजा तन्त्र वह है जिसमें लाखों लोगों की कजा आ जाय, भेड तन्त्र वह है पार्टी तन्त्र। पांचवां है गडरिया तन्त्र। एक गडरिया एक टमका लगाता है यह मेरी भेड, एक टमका लगाता है यह दूसरे भेड, एक टमका लगाता है यह तीसरी भेड। इस प्रकार गडरिये ने भेडों पर अपने अपने टमके लगा दिये हैं। यह भेड तन्त्र चल रहा है और कुछ गडरिये बने हुए है। यह आधुनिक पंच तन्त्र है।

एक माननीय सदस्य : आप कौन से तन्त्र में आते है?

श्री **उपाध्यक्ष** : गडरिये तन्त्र में।

श्री फूलचन्द बाफना : मैंने तो पंच तन्त्र बता दिये अब अपनी आत्मा में ही सोच लीजिये ।

श्री रामकिशन : (श्री डागा से) आप तो मेड हैं । बैठ जाइए।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मनोहरसिंहजी तो प्रजातन्त्र में आते हैं । ।

श्री फूलचन्द बाफना : यह विश्लेषण आप ही करिये ।

यह आपकी शासन व्यवस्था है । 67 अरब का ऋण अकेले अमेरिका का इस जनवरी 69 तक देश पर हो गया । यह अमेरिकी एजेन्सी ने बताया है । दूसरे देशों का जो कर्जा है वह अलग है । आज अरबों रुपयों का ऋण हमारे ऊपर है । इसका हिसाब लगाया है कि 79 लाख रुपया प्रतिदिन का उन रुपयों का हमारे ऊपर व्याज चढता है । अगर व्याज ही चुकायें तो पांच वर्ष तक चुका सकेंगे । हर बच्चा देश का कर्जदार ही जन्म लेता है । उसका इलाज क्या किया ?. हर बार टैक्स लगाते हैं उससे मंहगाई बढती है । तो कर्मचारियों की तनख्वाह बढाते हैं । तनख्वाहें बढाते हैं तो टैक्स लगाते हैं । टैक्स लगाते हैं तो फिर महगाई बढती है । एक कुचक्र चल गया है । महगाई बढाओ, फिर तनख्वाह बढाओ । यह सारा चक्र चल रहा है । इस ऋण के चक्र में मुद्रा प्रसार कर रहे हैं । करोड़ों रुपयों के नोट छापते हैं । विदेशों ने कहा कि हम यह चीज अब रुपये के रूप में नहीं देंगे और इस या उस रूप में देंगे । उसको इनकार किया सरकार ने । लेकिन आपको आपके सिक्के का मूल्य घटाना पडा उनके दबाव से ।

आपके सिक्के का मूल्य घटाना पडा । आपकी चीजें लोगों को सस्ती जाती हैं और वहां से चीजें आप मंहगी मंगाते हैं । जो चीजें यहां आने लगीं वे आपको मंहगी पडती हैं और जो चीजे आपकी जाती हैं, वे सस्ती जाती हैं । आपका आर्थिक चक्र दोष पूर्ण हो गया व जनता के खिलाफ पड गया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं वित्त मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि आप अपने बजट को ...

श्री रामकिशन : आप ध्यान किस का खींच रहे हो ...

श्री फूलचन्द बाफना : मैं केवल ध्यान दिलाने की बात ही नहीं कह रहा हूं । मैं तो उनको बात बता रहा हूं ।

श्री रामकिशन : वित्त मंत्रीजी, ये आपका ध्यान खींच रहे हैं ।

श्री बी. एन. जोशी : मैं सुन रहा हूं ।

श्री फूलचन्द बाफना : ये सुनें या नहीं सुने फिर भी कानून के अनुसार आप वित्त मंत्री हैं, इसमें कोई शंका नहीं है ।

श्री रामकिशन : सदन में इन्होंने क्या कहा है, जरा बताइये तो ।

श्री फूलचन्द बाफना : मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि आप वित्त मंत्री की परिभाषा में वित्त मंत्री हैं । इसमें शंका की बात नहीं है । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था कि हमारा बजट नीचे से नीचे आदमी

Page No 66

(श्री फूलचन्द बाफना)

को लक्ष्य कर बनाया जाना चाहिये। इस प्रकार का बजट बनाना है। पर आपका यह बजट है उसका प्रतिफल यह नहीं निकलता है कि नीचे से नीचे आदमी ऊपर उठें अतः वह बेकार है। यदि वह प्रतिफल होता है कि ऊपर का आदमी और ऊपर उठता जावे और नीचे का आदमी पाताल में गिरता जावे तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह किसी प्रकार का बजट नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं और सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि हर सामान्य व्यक्ति, कामन मेन और गांधी की भाषा में अत्यन्त का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उसको ध्यान में रख कर सरकार बजट बनावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई !

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी का जो बजट भाषण मने पढा, उसको पढने से मालूम हुआ कि हम लोग आशा करते थे कि इस साल सरकार काश्तकारों पर कोई टैक्स नहीं लगायेगी, लेकिन इसमें देखने से मालूम हुआ कि इसमें घाटा 30 करोड के ऊपर बताया गया है और टैक्स भी गरीबों पर बुरी तरह से लगाये गये हैं। मैं टैक्स के लिये कहूंगा। आपकी यह नीति है। आप टैक्स को बढा सकते हैं। नव मंत्रियों की फौज को बढा सकते हैं तो टैक्स भी लगा सकते हैं। इसकी कोई रोक नहीं है। लेकिन एक बात जरूरी है, आपको यह तो देखना चाहिये था कि यह टैक्स गरीबों पर कितना लगता है और उसके ऊपर गरीबों, बडे लोगों पर कितना लगता है। यह जरूर देखना चाहिये था। जो टैक्स लगाया है, वह कपास, मूंगफली, तिल्ली, सरसों पर लगाया है। यह टैक्स हरेक काश्तकार पर लागू होता है। जो छोटे काश्तकार हैं, जो एक एकड में मूंगफली, या कपास की खेती करते हैं, उनके ऊपर भी यह लगेगा। आपने उसमें यह नहीं बताया है कि 50 एकड से ऊपर मूंगफली जो बोवे, कपास बोवे, तिल्ली बोवे, उस पर टैक्स लगेगा। यह विशेष सीमा आपने नहीं बतायी है। 6 रुपया प्रति एकड है और बिना पीवल की जमीन पर 2 रुपया प्रति एकड यह टैक्स आपने लगाया है। ये चीजें जरूरी हैं और हरेक काश्तकार बोयेगा। जो गरीब और छोटा काश्तकार होगा, बोयेगा। बडा काश्तकार होगा वह भी बोयेगा और दोनों पर टैक्स बराबर है। यह जो टैक्स लगाया है उस पर मेरा यह कहना है कि आप लोगों को देख कर लगावें। बडे काश्तकारों पर लगावें। जिसकी 5000 की आमदनी है उसके ऊपर यह टैक्स लगावें तो हम इन्कार नहीं करेंगे। 100, 200 और 500 की जिनकी आमदनी है उन काश्कारों पर भी आपने यह टैक्स लगाया है। यह गलत है। मेरा सुझाव है कि छोटे काश्तकारों पर यह टैक्स नहीं लगाया जाय। इसकी कोई सीमा हो। 50 एकड, 75 एकड या 100 एकड के ऊपर की हो उस पर यह टैक्स लगाया जाय। हरेक काश्तकार पर न लगाया जाये।

दूसरा जो लगान है यह 50 रुपये के ऊपर तक जो लगान है, उस पर आपने टैक्स लगाया है। जो छोटे छोटे काश्तकार हैं, वे भी 50, 50 रुपया लगान का भरते हैं। कई 100, 100 रुपया भरते हैं। यह हमारे बांसवाडा जिले में जिनकी कम से कम 25 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन है, उस पर वे 100 रुपये तक लगान भरते हैं। 75 रुपया तक भरते हैं। तो जो टैक्स लगावे

(श्री विट्ठल भाई)

यह कम से कम 100 रुपये के लगान के ऊपर लगाना चाहिये 50 रुपया लगान तो आम लोग काश्तकार देते हैं। इसमें कोई सवाल नहीं है। छोटे और बड़े की सीमा होनी चाहिये 100 रुपया आज के जमाने में बड़ी चीज नहीं है। हरेक काश्तकार इतना लगान तो भरता है। 50-50 रुपये लगान पर टैक्स लगना है तो छोटे काश्तकार मर जायेंगे। बड़े मरने वाले नहीं हैं। इसलिये यह टैक्स नहीं लगाना चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि कम से कम 100 रुपये से ऊपर लगान वालों पर ही टैक्स लगाया जाय। यह मेरा सुझाव है।

दूसरी चीज, अकाल के विषय में आपने जो धनराशि 21 करोड की इस साल के लिये, खर्च करने के लिये रखी है, यह बहुत कम है। जो धनराशि सन् 66-67 में रखी गई थी जो अकाल उस वक्त था, उससे आज के अकाल में जमीन आसमान का फर्क है। वह अकाल नहीं था, मामूली अकाल था। यह तो नहीं कहा जा सकता, अकाल जरूर था परन्तु आज के अकाल को, सरकार ने भी भयंकर अकाल माना है। ठीक है कुछ जिलों में मामूली अकाल आपने मान लिया है। पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल आपने माना है और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों को अकाल ग्रस्त आपने माना है। लेकिन सवाल यह है कि जो छोटी सी रकम आपने रखी है, जो दो करोड की जनता राजस्थान की है, उसमें से कम से कम एक करोड जनता को आज के अकाल के समय जरूर मदद चाहिये और एक करोड जनता जरूर मदद मांगेगी। आपने इसके लिये 21 करोड रुपया रखा है, यह बहुत ज्यादा नहीं है। आपने अब तक कितनी मजदूरी लगाई है। 66-67 में कितने मजदूर लगाये थे। दिसम्बर, जनवरी, फरवरी के महीने में कितने ही मजदूर काम पर लगाये थे बांसवाडा और डूंगरपुर जिलों के अन्दर। विधान सभा के अन्दर मैंने यह प्रश्न पूछा था और सरकार ने जवाब दिया था कि बांसवाडा डूंगरपुर में जो खर्चा हुआ वह सरकार ने बताया था कि करीब 4 करोड रुपये मजदूरी के दिये थे। बांसवाडा, डूंगरपुर में जो रिलीफ का काम हुआ, जो चुनावों के पहले पहले हुआ था और जिस वक्त चुनाव थे, उसके एक महीने पहिले बांसवाडा जिले में करीब एक लाख मजदूर काम कर रहे थे और आज इस महीने में, गत दो महीनों से वहां पर 25,000 से ज्यादा मजदूर नहीं हैं। जब कि उस वक्त से आज अकाल ज्यादा है और अकाल के नाम पर जो आपने मजदूरी खोली है, वह मैं आज भी कहता हूं कि रिलीफ की नहीं खोली है। जो प्लान था, जो विभागीय योजना थी, उस योजना के नाम से आपने काम चलाये हैं। वह जरूर हमारे जिले में खर्च हो रहा है परन्तु रिलीफ का काम आज तक नहीं चला है। रिलीफ का यह मतलब भी नहीं है कि जो मजदूर आवें उनको वापिस घुमावें। कहीं 700 मजदूर है, कहीं 500 मजदूर ही हैं। डूंगरपुर बांसवाडा जिले के अन्दर आपने 25 हजार मजदूरों की सीमा रखी है। यह सीमा आप हटावें। आपने तालाब पर काम किया। यह ठीक है। किसी तालाब पर 200, 500 आदमी ही लगें। परन्तु इसके लिये तो पहिले ही बजट में प्रावधान था और उसके अनुसार काम किया है। फिर आपने रिलीफ का क्या काम चलवाया है? बांसवाडा जिले में पच्चीस हजार आदमी की लिमिट लगा रखी है, और वहां पर आज भी एक लाख इन्सान

(श्री विट्ठल भाई)

काम मांग रहे हैं। वहां के एक एक इंसान को काम देना पड़ेगा। परन्तु उनको आपने काम आज तक नहीं दिया है। 500, 1000, 1000 आदमी मिल कर काम पर जाते हैं और वे वहां से वापिस भेजे जाते हैं।

कहीं तीन सौ से तीन हजार से ज्यादा नहीं लगावेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अकाल की दशा में आये हुए मजदूरों को आप वापिस लौटाते जावेंगे? संविधान में यह लिखा है कि अगर जिस साल अकाल होगा तो जितने मजदूर आवेंगे आपको उनको मजदूरी देनी होगी, उनको काम पर लगाना होगा। यह आपका कर्तव्य है। आप वापिस लौटा देते हैं तो वे क्या खावेंगे। उनके परिवार के बाल बच्चे कैसे जिन्दा रहेंगे? अगर काम खोलते हो तो पूरों को काम दो, नहीं तो मरने दो, आप अगर अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हो तो। राज करना है आपको तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप हरेक को रोजी रोटी दो। नहीं देते हैं तो कोई हक नहीं है आपको राज करने का। एक इंसान मर जाता है तो राज करने के आप काबिल नहीं हैं।

तो मैं कहूंगा कि कोई भी जाति हो, कोई भी जिला हो राजस्थान भर में जहां भी जो भी मजदूर जावे उनको मजदूरी देनी होगी आपको। आप आगे ढकोसला नहीं करेंगे। यहां आकर बता दिया कि हमने इतने आदमियों को लगाया, यह किया वह किया।

आज बीमारी फैल गई जैसलमेर, बाडमेर में। अकाल के कारण उनको पूरा अनाज नहीं मिला, टाइम पर पैसा नहीं मिला और भूख के मारे मरे। यह बात जरूर है वे धीरे मरे। एक दम तो भूख से मर नहीं जाते। पर यह मत कहो कि भूख के कारण नहीं मरे। और वहां क्या मर रहे हैं, अगर यही हालत रही तो एक महीने के बाद में बांसवाडा, डूंगरपुर उदयपुर के दक्षिणी हिस्से में लोग मरने वाले हैं अगर आपने सभी को सही मजदूरी देकर काम पर नहीं लगाया तो।

दूसरी चीज है। सरकार की गलत नीति है। जब जब चुनाव होते हैं मजदूरों की संख्या बढाते रहते हैं, काफी काम भी कराते हैं और मजदूरी भी खूब देते हैं। जहां अकाल की हालत नहीं होती तो वहां भी आप काम चलवाते हैं। पर अब चुनाव नहीं हैं, तो जहां जरूरत है वहां भी आप काम नहीं खोलते। अब आपको पांच साल तक तो जनता से मतलब नहीं है। इसलिये अब इनी गिनी जगहों पर काम खोल रखे हैं और वहां भी बहुत थोडे लोगों को काम देते हैं, बहुतों को वापिस लौटा देते हैं। यह क्यों? फिर आप कहते हैं हम पक्षपात नहीं करते। आप अपना सारा पिछला रिकार्ड देख लीजिये। दिसम्बर चुनाव के पहले दिसम्बर जनवरी में कितने हजार काम करते थे। मैं कहता हूं गारन्टी के साथ कि लाखों काम करते थे। इस संबंध में मैंने मामला भी उठाया था। आज जब पूरा अकाल है तब भी उतने को भी काम पर नहीं लगाया। तो इसलिये मैं कहता हूं कि यह खराब नीति आपकी है। इसे छोड़ दो। जैसे हरिदेव जोशीजी। इसी बांसवाडा क्षेत्र से आये हुए हैं। हम यह कहेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है कि जब जब बांसवाडा का सवाल हो तब तब हरिदेवजी यहां जरूर रहने चाहिये। मंत्री की हैसियत

(श्री रामकिशन)
से उनके रहने की बात नहीं कहता, पर उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किये हैं इसलिये कहता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : आप विराजो ।

श्री रामकिशन : मुझे पता है, आप 6 वर्ष तक एल एल. बी. में फेल होकर डिग्री लेकर आये हो । पर मैं तो उनको विशेष निगाह से देखता हूं । वे अपने इन क्षेत्रों में बडी गडबडी करते हैं । उनको अवश्य बुलाया जाय ।

श्री विट्ठल भाई : पूरा क्षेत्र है उनका । वे राजस्थान के मंत्री हैं । वे वहां आवें सारे राजस्थान में आवें जावें कोई रुकावट नहीं । लेकिन यह बात कहता हूं कि वहां जाकर आप किसी तालाब के काम का उद्घाटन करें छोटे मोटे बांध का उद्घाटन करें और कहें कि आप लोग हमारे साथ रहोगे तो मजदूरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी आप लाल टोपी रखेंगे तो नहीं मिलेगी, सफेद टोपी रखोगे तो मिलेगी । यह आपकी नीति ठीक है क्या ? क्या लाल टोपी राज करेगी तो सफेद टोपी वालों को रोजगार नहीं देगी ? जरूर देगी । उसको कांग्रेस के लोगों को भी मजदूरी देनी पडेगी । तो आपकी यह सफेद टोपी रखोगे तभी मजदूरी देंगे यह गलत बात है । यह जोशी साहब की बहुत खराब नीति है । वे जब जब वहां जाते हैं तब तब यही कहते हैं आप तो लाल टोपी को वोट देते हैं इसलिये आपका इलाका सूखा है । मेरे इलाके को जाकर देखो कैसा हरा भरा है । कितने काम हो गये हैं, कितने बांध और सडकें आदि बन गई हैं और आपके यहां कुछ नहीं । यह भी कहते हैं सही चीज है, जिस इलाके से जीत कर आया हूं वहां पर कांग्रेस जीती भी नहीं । पर सवाल यह है कि वहां पर एक भी तालाब नहीं है । एक बांध नहीं बांधा है, सरकार ने ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अब की जीत जावेगी कांग्रेस ।

श्री विट्ठल भाई : नहीं जीतने वाली है । गारन्टी से कहता हूं । ऐसा करेंगे तब भी । पर आप जीत भी जावें और काम करा दें तो चिन्ता नहीं । राज करो, पर काम भी करो आपको काम कराने की चिन्ता रखनी चाहिये पर इस तरह के मामले और आपकी यह नीति ठीक नहीं है कि लाल टोपी वालों के यहां आप कुछ नहीं करते, सफेद टोपी के लिये सब कुछ करते हैं । काम करने जाते हैं लोग तो सफेद टोपी वाले को मेट बना देते हैं, पर लाल टोपी पहन कर जाते हैं तो उनको आप मेट भी नहीं बनाते न काम पर लगाते हैं । यह आपकी नीति गलत है । आज आपकी सरकार है । बदल भी सकती है वह कल । कोई कह नहीं सकता कल क्या हो । पर यह नीति बुरी है । यह आदत आप रखेंगे तो विरोधी पक्ष की सरकार बनी तो वह आपसे बदला लेगी । मेरे जैसा आदमी तो नहीं लेगा । पर बहुत से बदला लेने वाले भी मिल जावेंगे । क्रोध वाला मिल जावेगा तो बदला भी लेगा । मेरे जैसा आदमी बदला नहीं लेगा । मेरे क्षेत्र में कोई भी पार्टी का हो, आज तक मैंने बदले की भावना नहीं रखी । पर सवाल यह है कि आपकी नीति खराब है ।

Page No 70

श्री **मूलचन्द डागा** : अच्छा स्टेटमेन्ट दे रहे हैं आप ।

श्री **उपाध्यक्ष** : आपने 15 मिनिट की मांग की थी । वह पूरा हो गया है समय ।

श्री **विट्ठल भाई** : थोड़ा सा । दो मिनिट और । राहत कार्य वहां चल रहे हैं उनको मजदूरी टाइम पर नहीं दी जाती । हफ्तेवार देने की बात है । पर दो दो हफ्ते तक नहीं दी जाती । एक एक महीने भी टाल देते हैं तो कम से कम मजदूरी हफ्तेवार मिलनी चाहिये । बाहर से आदमी आते हैं उनको उधार कोई देगा नहीं । मजदूरी का पैसा ले जावेंगे तभी अनाज मिलेगा ।

आपने आदमी और औरतों की मजदूरी में भी फर्क कर रखा है । यह क्यों ? जितना आदमी काम करेगा उतना औरत करती है । आपने आदमी को 1॥ रुपया देने का नियम बनाया और औरत को सवा रुपया ही । मैं कहना चाहता हूं क्या औरत कम काम करती है ? क्या उसको भूख कम लगती है ? क्या वह आदमी से कम खाती है ? क्या औरत आदमी से कम कपड़े पहनती है ? क्या आदमी से औरत कम पानी पीती है ?

श्री **मूलचन्द डागा** : औरत कम पीती है पानी ।

श्री **रामकिशन** : डागा साहब की औरत कम पानी पीती है ।

श्री **विट्ठल भाई** : यह मतभेद नहीं होना चाहिये । औरत और आदमी काम बराबर करते हैं । आदमी फिर भी बैठा रहेगा लेकिन औरत नहीं बैठेगी । औरतें ज्यादा मेहनती हैं—चाहे किसी की औरत हो ।

श्री **रामकिशन** : चाहे मन्त्रीजी की और चाहे किसी की भी हो ।

श्री **विट्ठल भाई** : आदमी थक जायगा । थक कर बैठ जायगा लेकिन औरतें कभी नहीं थकती हैं, आदमी थकने के बाद शराब भी पी लेगा लेकिन औरत कभी शराब नहीं पीयेगी, औरतें खाना बनायेंगी, कपड़े धोयेंगी, बर्तन साफ करेंगी, सफाई करेंगी और सब काम करने के बाद भी वह थकती नहीं है । इसलिये जरा कानून को देखना चाहिये । यह मतभेद नहीं होना चाहिये, मजदूरी भी समय पर मिलनी चाहिये । मुझे कहना तो बहुत है लेकिन समय कम मिला है इसलिये मैं इतना ही कह कर स्थान लेता हूं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

एक माननीय सदस्य : मेरा भी सूची में नाम है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : आपका भी सूची में नाम नीचे है ।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री के भाषण पर बधाई देने से नहीं रोक सकते विशेषकर इसलिये कि उन्होंने राजस्थान की वित्तीय स्थिति को जो आज दिवालिये की हालत में पहुंच गई है स्पष्ट रूप से उसको कहने में किसी भी प्रकार की झिझक उन्हें नहीं आई है और यह सत्य है कि आज राजस्थान की सरकार अपनी चालू योजना की क्या अगले वर्ष की योजना में-दोनों योजनाओं

Page No 71

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

में इस प्रकार से टाइट हो गई है कि इन आने वालों वर्षों में राजस्थान के विकास के लिये, कुछ करने के लिये किसी प्रकार का पैसा नहीं रहा। राजस्थान सरकार ने अगले वर्ष के लिये जो अपनी सालाना योजना के अन्दर प्रावधान 44 करोड 10 लाख का रखा है इसमें से 70 प्रतिशत के लगभग तो सारा रुपया केवल चालू योजना है उन पर ही समाप्त हो जायगा और इस प्रकार से जो प्रदेश के सामने विकट समस्यायें हैं, चाहे वह पानी की हों, चाहे वह चारे की हों, चाहे वह राजस्थान नहर की हो, इन सारी योजनाओं की गति एक प्रकार से अवरुद्ध हो जायगी और वह राजस्थान जिसकी प्रति व्यक्ति आय पहले ही अन्य राज्यों के मुकाबले में कम है वह आज और धीरे धीरे कम होती जायगी। आज राजस्थान की सरकार 500 करोड से अधिक सार्वजनिक कर्ज से दबी हुई है। इसमें से 432 करोड रुपये का कर्जा केवल केन्द्रीय सरकार का है। ओवर ड्राफ्ट्स को लेकर राजस्थान की सरकार अपने नान-प्लान एक्सपेन्डिचर को मीट करती चली जा रही है। हर वर्ष जो बजट पेश किया जाता है उसमें घाटे की स्थिति, घाटे का बजट हर वर्ष बढता चला जा रहा है और ऐसी हालत के अन्दर आज स्थिति यह है कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान की सरकार तो दूर आज हमारी भारत की सरकार भी अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने से झिझक रही है। आज हमारे देश के सामने योजनाओं के हिसाब से आर्थिक सकट खडा हो गया है। सरकार अपनी योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दे पा रही है। आज जो योजनायें सम्पूर्ण रूप से विदेशी सहायता पर निर्भर करती चली जा रही हैं।

हिन्दुस्तान में इस विदेशी सहायता के कारण आज हमारे देश की सरकार अपनी नीतियों का सचालन विदेशियों के इशारे पर करती है। पाकिस्तान के आक्रमण के समय जिस प्रकार की स्थिति देश के सामने आकर खडी हुई है, जिस प्रकार हमें अमेरिका की सहायता पर निर्भर होना पड रहा है चाहे पी. एल. 480 हो, चाहे हथियारों के लिये पुर्जों का प्रश्न हो, हमको उस आधार पर दबाया जा रहा है, उस आधार पर हमसे कच्छ का समझौता कराया गया। उस आधार पर रूस के निर्णय के कारण ताशकन्द समझौता कराया गया। आज जिस देश के अन्दर यह स्थिति पैदा हो रही है चाहे वह नागालैण्ड हो, चाहे भाषा का प्रश्न हो, चाहे विदेशी ईसाई मिशिनरी का प्रश्न हो— आज हर एक प्रश्न को भारत की सरकार अपने देश के हित में निर्णय न लेकर विदेशियों की ओर देख कर निर्णय लेने को बाध्य हो रही है।

आज यही स्थिति राजस्थान की सरकार की है, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मसौदा बनाया गया और उस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये जो हमने सन् 1966-67 में 313 करोड रुपये पांचसाला बनाई गई प्रस्तावित की थी। आज केन्द्र की सरकार उस 313 करोड की योजना को घटाकर केवल 236-70 करोड की स्वीकार करने को तैयार बैठी है और उस पर भी हम पर अंकुश लगाया जा रहा है। हम जो अन्य साधनों के द्वारा आय को बढ़ाना चाहते हैं

Page No 72

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

और उस पर केन्द्र सरकार और योजना आयोग के द्वारा हमारी बात को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है जब तक राजस्व घाटे में हो और इस घाटे के अन्दर सन्तुलन नहीं बैठ जाता है–इस प्रकार की आय को स्वीकार नहीं किया जाय। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि राजस्थान के लिये वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जिसकी अभी तक हमारे सामने फाइनल रूपरेखा नहीं है केवल इस सम्बन्ध में बातचीच चल रही है वह 313 से घटाकर केवल 236 करोड पर आकर रुक जायगी। यह 76 करोड रुपये का घाटा आयेगा, सीधा असर राजस्थान की योजनाओं पर आकर पडेगा, राजस्थान के विकास पर आकर पडेगा और जैसा मैं पहले कह चुका हूं अन्य प्रदेश के मुकाबले हमारा प्रदेश सबसे पिछडा हुआ प्रदेश है। राजस्थान के अन्दर रेगिस्तानी इलाका सबसे अधिक है, राजस्थान के अन्दर सिंचाई के साधन सबसे ज्यादा सीमित है, राजस्थान के अन्दर बिजली के साधन सबसे ज्यादा सीमित है ऐसा हमारा राजस्थान पिछड जायगा, मगर हमें योजना के लिये पैसा नहीं मिल पाता और सारा आने वाला भविष्य इस प्रकार से चाहे राजस्थान की चालू योजना हो, चाहे अगले वर्ष की योजना हो या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हो–जिसका भविष्य अनिश्चित है। मैं समझता हूं राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले में पिछड जायगा।

(2 म. प.)

हमारी मान्यता है कि देश में विकास के लिए योजनाओं का होना आवश्यक है। योजनायें देश की प्रगति के लिये और आर्थिक उत्थान के लिए जरूरी है लेकिन योजनाओं को पांच सालों के अन्दर बांधना और उस पांच सालों के अन्दर योजनाओं को बांध कर उसके खर्च के अन्दर विदेशी ऋणों की ओर देखना या केन्द्र के ऋणों की ओर देखना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। आज यह दुर्भाग्य है कि देश के अन्दर केन्द्र और राज्यों की बातें की जाती हैं। केन्द्र देश का एक भाग है, राज्य देश का भाग है आज उस पर संघर्ष का प्रश्न पैदा होता है। अगर आज यह राज्य केन्द्र से ऋण लेंगे कि केन्द्र हमारा है तो केन्द्र को और कहीं से साधन जुटाने पडेंगे लेकिन जैसी देश में विचारधारा है कि केन्द्र और राज्य में संघर्ष बनाने की स्थिति पैदा ही की जा रही है चाहे वह जल का प्रश्न हो, चाहे वह आय साधनों का प्रश्न हो, चाहे योजनाओं का प्रश्न हो। जब कभी ऐसे प्रश्न आते हैं तो केन्द्र को कमजोर करना चाहते हैं और हर प्रकार से इस तरह के प्रश्न लाकर खडे कर देते हैं। मेरे दल की मान्यता है कि देश के लोकतन्त्र के लिए देश को खण्ड खण्ड होने से बचाने के लिए और देश को अखण्ड रखने के लिए आवश्यक है कि हमारा केन्द्र शक्तिशाली होना चाहिये और सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उत्तर देते हुए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि इससे कौन इन्कार करता है कि इस योजना काल में राजस्थान में सडकों का निर्माण नहीं हुआ? इससे कौन इन्कार करता है कि योजनाकाल में नहरों का निर्माण नही हुआ? इसस

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
कौन इन्कार करता है कि हमारे राज्य में कारखानें नहीं बने। इससे हम इन्कार नहीं कर सकते लेकिन योजनायें योजनाओं के लिए हैं। योजनायें मानव के लिए हैं, राजस्थान की योजनायें राजस्थान वासियों के लिये हैं। अगर इन योजनाओं का सीधा असर राजस्थान के व्यक्तियों की आय पर नहीं पडता, उसके साधनों पर नही पडता, उसके रहन सहन के स्तर पर नहीं पडता तो ये योजनायें नहीं हैं और योजनाओं को योजना कहना केवल अपने आप में एक प्रश्न नहीं है यह तुलनात्मक प्रश्न है। हमको अपने विकास की तुलना करनी होगी। हम आज कहां पर खडे हैं उसके लिए यह देखना होगा कि हमारे पास के राज्य में क्या स्थिति है। यदि हम देश के विकास का चिन्तन करेंगे तो उसका चिन्तन हमें अन्य देशों के साथ करना होगा। आज दुर्भाग्य है कि वह देश जो हमसे छोटे हैं जिनके साधन हमसे सीमित हैं-चीन है, पाकिस्तान है-आज दुःख के साथ कहना पडता है कि इन छोटे छोटे देशों की प्रति व्यक्ति की आय हिन्दुस्तान के प्रति व्यक्ति की आय से अधिक है। यह हमारा दुर्भाग्य है और इसके आधार पर चिन्तन करके हमको यह देखना पडेगा कि हम कहां खडे हैं। राजस्थान के अन्दर प्रति व्यक्ति आय हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों के अन्दर प्रति व्यक्ति आय से कम है और दूसरे राज्यों में अधिक है। हम इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकते। केवल यह कहना कि राजस्थान में हमने योजनायें दी हैं और हमने राजस्थान का विकास किया। आपने राजस्थान की जनता को सन्तुष्ट नहीं किया। क्या यह तथ्य नहीं है कि राजस्थान के अन्दर इन योजनाओं के बावजूद और राजस्थान में करोडों रुपये खर्च करने के बावजूद और कर्जदार होने के बावजूद आज राजस्थान के अन्दर प्रति व्यक्ति आय बढती हुई मंहगाई के मुकाबिले में बहुत पिछड गयी है। आज आय बढी है उससे इन्कार नहीं कर सकते लेकिन आय को देखना पडेगा कि बढती हुई मंहगाई से। क्या बढती हुई मंहगाई के सामने राजस्थान का साधारण आदमी अपनी रोजमर्रा के खर्चे को पूरा कर सकता है? आज राजस्थान में रहने वाले निवासी की स्थिति क्या है? मेडिकल की बात मत कीजिये, एजुकेशन की बात मत कीजिए, दूसरे स्टेन्डर्ड की बात मत कीजिए और राजस्थान की औसत आय वित्त मन्त्रीजी आज इस हालत में खडी है कि उसके रहने वालों के लिए मकान नहीं हैं, कमाई करने को धंधा नहीं है, वह दो जून रोटी खाकर अपना पेट नहीं भर सकता है। यह राजस्थान की आर्थिक स्थिति का नंगापन है। क्या इसी आधार पर कहना चाहते हैं कि हमने राजस्थान का विकास किया और आज राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से आमदनी के अन्दर विषमता बढती हुई चली जा रही है-आपको योजनाओं पर विचार करते समय इस दृष्टिकोण पर विचार करना पडेगा। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, मालदार मालदार होता चला जा रहा है। एक ओर बडी बडी अट्टालिकाएं कुछ लोगों के पास शहर में खडी हुई हैं तो दूसरी ओर सडकों पर रहने वालों और भीख मांगने वालों की सख्या देश के अन्दर और राजस्थान के अन्दर बढती हुई चली जा रही है। क्या यह विषमता का द्योतक नहीं है? क्या इसी आधार पर कहना चाहते हैं कि हमने राजस्थान का विकास किया।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वित्त मंत्रीजी जब हम योजनाओं की बातें करते हैं, जब विकास की बात करते हैं तो हमें राजस्थान की औसत आय पर भी विचार करना होगा। मैं केवल एक दृष्टान्त देना चाहता हूं उद्योग का। क्या इसी आधार पर आप समाजवाद का नारा देते हैं? समानता राजस्थान में लानी है क्या इसी आधार पर जो विषमतायें बढती हुई चली जा रही हैं राजस्थान के अन्दर उनको पाटना चाहते हैं? केवल एक दृष्टान्त जे.के. इन्डस्ट्रीज, कोटा में नाइलोन फैक्टरी का देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि उस जे. के. इन्डस्ट्रीज में जिसमें नाइलोन का धागा तैयार होता है इस कन्सर्न की एक इन्डस्ट्री कोटा में है और हिन्दुस्तान में और उद्योगों की बात नहीं करना चाहता हूं उसमें 9 लाख रुपये प्रति दिन का धागा तैयार होता है। 9 लाख रुपये प्रति दिन का धागा जब कि उस कन्सर्न में कोटा वालों के अन्दर महीने भर की जो पगार बनती है—मजदूरों की, बाबूओं की, मैनेजर की सब की मिला कर केवल 4।। लाख रुपया है। 4।। लाख रुपया एक महीने की पगार मजदूरों को और वहां के दूसरे लोगों को उसके मुकाबले में उस कन्सर्न की आमदनी जिसका प्रोडक्शन एक दिन का 9 लाख रुपये का है। क्या इसी आधार पर आप विषमतायें दूर करना चाहते हैं? क्या इसी आधार पर पूंजी का ठीक प्रकार से वितरण अपने समाज के अन्दर करना चाहते हैं? अरे, समाजवाद का ढोंग है, समानता का ढोंग है। योजनानुसार, योजनाबद्ध ढंग से देश के अन्दर विषमतायें बढती चली जा रही हैं। चन्द लोगों के हाथों में पूंजी का लेकर इकट्ठा किया जा रहा है। मजदूरों के नाम पर, किसानों के नाम पर उनका शोषण करके चन्द पूंजीपतियों को राजस्थान के अन्दर पनपाया जा रहा है। आज आवश्यक है कि अगर हम अपने राजस्थान के अन्दर पूंजी का समान वितरण करना चाहते हैं तो अपनी योजनाओं को श्रम-प्रधान बनाना चाहिए और श्रम-प्रधान बना कर के वितरण करना होगा ताकि किसी एक के हाथ में पूंजी केन्द्रित न हो जाये। आज नारा दिया जाता है कि कोटा का औद्योगीकरण हो रहा है। औद्योगीकरण हो रहा है मैं इससे इन्कार नहीं करता। बडे बडे उद्योग आकर राजस्थान में दूसरे लोगों ने कोटा में लगाये लेकिन स्थिति क्या है। उद्योगों के लगने के बाद पैसे का वितरण नहीं। न तो राजस्थान में और न ही देश के अन्दर समान रूप से हो रहा है। आज सारा पैसा, सारा कन्सन्ट्रेशन उद्योगों को दिया जा रहा है। एक फैक्टरी है जिसमें कास्टिक सोडा तैयार होता है, वही कन्सर्न अपने बाई-प्रोडक्ट्स को या उन्हीं साधनों को लेकर रेयोन्स में लगा देता है और वही फर्टीलाइजर में लगा देते हैं। इस प्रकार से एक उद्योगपति एक शहर में बैठ कर सारा पैसा जो साधनों से आ सकता है केवल अपने हाथ में रखता है। क्या इसी आधार पर आप पूंजी का समान वितरण कर सकेंगे? आज जो कोटा में उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से और वित्त मंत्रीजी से कि क्या वह जो छोटे उद्योग हैं उनमें और जो बडे उद्योग हैं उनमें किसी प्रकार का समन्वय है? क्या कोटा के अन्दर एक भी उद्योग-लघु उद्योग या कुटीर उद्योग ऐसा है जो डी. सी. एम. के रॉ मैटीरियल पर चलता है, नैलोन के किसी रॉ-मैटेरियल पर या उसकी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

प्रोडक्ट पर चलता हो ? कोई नहीं है । ग्रौर होता यह है कि जो छोटे उद्योग हैं, वे जाम हो गये हैं, आज वे ठप्प हो गये हैं। यही कारण है कि आज हमारी योजना श्रम-प्रधान नहीं होने के कारण पूंजी-प्रधान होने के कारण देश के अन्दर विषमताओं को बढाने वाली हो रही है और कुछ लोगों के हाथ में पैसा चला जा रहा है । आप योजना की बात करते हैं । मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि योजनाएं आपने बनाई हैं लेकिन इन योजनाओं के आधार पर राजस्थान के अन्दर बढती हुई आबादी को भी आप खपत कर सके हैं ? बढते हुए मैन-पावर को आप राजस्थान में रोजगार दे सके हैं । आज, उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति इस प्रकार से है कि जब हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी तो राजस्थान के अन्दर 1,64,000 लोग बेरोजगार थे । जब हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई तो राजस्थान के अन्दर 1,64,000 से बढ कर 5,13,000 लोग बेरोजगार हो गये और सन् 69 के अन्त तक, इस वर्ष के अन्त होने तक यह 5,13,000 लोग जो बेरोजगार हैं इनकी संख्या बढ कर राजस्थान के अन्दर 9,31,000 हो जायगी । क्या इसी आधार पर आप कहते हैं कि हमारी योजनाएं हैं ? आज आपकी योजनाओं क अनुसार राजस्थान के मैन-पावर को एब्जार्ब करने के लिये जो आप आंकडे बनाते हैं उन आंकडों तक आप पहुंच नहीं पाते हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर आपका खयाल था, आपका एस्टीमेट था कि आप 12,12,000 लोगों को राजस्थान में रोजगार दे पायेंगे, लेकिन इसके मुकाबले में, उपाध्यक्ष महोदय, केवल 6,99,000 व्यक्तियों को ही हम राजस्थान में रोजगार दे पा रहे हैं । उसका परिणाम हुआ कि 5,13,000 लोगों को, जो आपकी योजना के अनुसार टारगेट था, उनको रोजगार नहीं मिला ।

आज यह स्थिति है राजस्थान के अन्दर कि बेरोजगारी बढती चली जा रही है । आज तो स्थिति यहां तक है कि राजस्थान का पढा-लिखा टेक्निकल हैण्ड चाहे वह इन्जीनियर हो, चाहे वह ओवरसियर हो, आज हजारों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं । गत बजट के समय यह घोषणा की गई थी, मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं आपने इन्जीनियरों को खपाने के लिये जो यहां घोषणा की थी उन पर अमल करके आपने राजस्थान के अन्दर कितने लोगों को रोजगार दिया । आज कोटा के औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि पोलिटेक्निक से निकले हुए 90 प्रतिशत लोग आज तक बेरोजगार हैं । आज इन्जीनियर बेकार हैं, चाहे वे सिविल इन्जीनियर्स हों, चाहे इलेक्ट्रिक इन्जीनियर्स हों, राजस्थान के अन्दर बेकार घूम रहे हैं। उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं । मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि राजस्थान के अन्दर नौकरी राजस्थानियों को ही दी जाय, मैं इस बात का दुश्मन हूं कि राजस्थान राजस्थान वालों के लिये है इसका नारा दिया जाय, लेकिन कभी क्या राजस्थान सरकार ने यह सोचा है कि जब हमारे राजस्थान के अन्दर हम औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो राजस्थान के निकले हुए जो पढे-लिखे व्यक्ति हैं उनको रोजी की दृष्टि से प्रायोरिटी नहीं देना चाहिये ? आज वे बेरोजगार हैं । आज उनके पास धन्धा नहीं है । और, उपाध्यक्ष

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

महोदय, मैं यहां तक कहने में नहीं हिचकिचाऊंगा कि आने वाले चार-पांच सालों के अन्दर राजस्थान के मेडिकल कालेजों से निकले हुए डाक्टर्स के लिये भी प्रश्न पैदा हो जायगा रोजगार का। क्या आज यह सरकार कह सकती है कि इस वर्ष आने वाले वर्षों में, आने वाले चार वर्षों के अन्दर कितने डाक्टर्स पढ कर तैयार होंगे और उनको धन्धा दिया जायगा, रोजी दी जायगी, तो आज सरकार के पास उत्तर नहीं है। मैं एम. एज. की बात नहीं कहता, मैं बी. एज. की बात नहीं कहता, मैं इन्टरमीजियेट की बात नहीं करता, मैं मैट्रिक की बात नहीं करता, मैं बे-पढ़े-लिखे बेरोजगार मजदूरों की बात नहीं करता, लेकिन बेरोजगारी बढती चली जा रही है और सरकार कहती है कि योजना है। क्या यही योजनाएं हैं जिसके आधार पर आप यह आंक नहीं सकते कि राजस्थान में कितनी मैन-पावर तैयार हो जायगी इन वर्षों में और कितनों को उसे धन्धा देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का भविष्य अन्धकारमय है। राजस्थान का विकास राजस्थान की वित्तीय स्थिति के कारण कोलेप्स हो गया है, और आज हम विचार कर रहे हैं कि जितना बजट बनाया गया है वह सारे का सारा कयासों के आधार पर बनाया गया है। चौथी योजना से हमें इतना मिल जायगा, पांचवें वित्त कमीशन के आधार पर हमको इतना एडहाक पैसा मिल जायगा यह सारा कयास है, लेकिन योजना आकर ऐसी लगती है कि राजस्थान में अवरुद्ध हो गई है। यह थोडा सा चित्र मैं आर्थिक दृष्टि से राजस्थान का देना चाहता हूं।

आज अकाल का प्रश्न आता है। इस पर विचार हो चुका है इसलिये इस पर मैं सदन को विशेष निवेदन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा इस संबंध में कि जहां यह अकाल भीषण रूप में मृत्यु को लेकर अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये आया है वहां यह अकाल कांग्रेस पार्टी और इन सत्ताधारियों के लिए वरदान बन कर आया है। लेकिन यह दुर्भाग्य है..........

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : यह कैसे ?

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : आज इस अकाल के प्रश्न को लेकर, इस अकाल की रकम को लेकर आप अपनी पार्टी के हितों को पूरा करना चाहते हैं। जैसा कि अभी बांसवाडे से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उपाध्यक्षजी, यह तथ्य है कि अकाल के प्रश्न पर जहां कहीं राहत-कार्य खोले गये वहां पर मजदूरों पर जो मेट लगाये गये, मजदूरों में जो लोग घुसाये गये हैं उनको कांग्रेस सेवा दल की ड्रेस पहना पहना कर घुसाया गया है।

सरकारी पक्ष के कई माननीय सदस्य: यह गलत है।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : यह हो रहा है चौहटन में। अगर आपको मेरी चुनौती स्वीकार है तो तुरन्त जीप में चलिये बाडमेर चौहटन में बताऊंगा कि वहां क्या हो रहा है। ऐसे लोग कांग्रेस के प्रचार का काम वहां पर कर रहे हैं।

दूसरा जो दुःख पैदा होता है वह यह है कि आपने यह टास्क सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है मजदूरों के लिए। इसके पीछे कुतर्क क्या है? केवल राजस्थान की जनता की आंखों में धूल झोंकना है, वह हिन्दुस्तान के दानदाताओं को गुमराह करने के लिये है, केवल यह आंकडे देने के लिए है कि हमने राजस्थान के अन्दर इतने मजदूरों को काम दिया है। इतने मजदूर काम कर रहे हैं केवल ये आंकडे देने के लिए इस टास्क सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस किया गया है। झूठे मस्टर रोल बनाये गये हैं। झूठे मास्टर रोल के आधार पर आधे नाम फर्जी बनाये जाते हैं। 50 की जगह 25 मजदूर काम करते हैं और 25 के पैसे जेब के अन्दर गायब किये जाते हैं। टास्क के आधार पर काम पूरा नहीं होता है। उनके पैसे काट लिये जायें। डेढ रुपये की जगह उनको 60 पैसे, 70 पैसे और 71 पैसे रहने दिये जायं और इस आधार पर ये आंकडे दिये जायं कि इतने लाख मजदूर राजस्थान मे काम कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई तथ्य नहीं है। जो मजदूर पहले काम करत थे प्रारम्भ में अकाल के समय जितना पगार वितरित किया जाता था और आज लाखों की संख्या में मजदूर काम करते हैं उनको जो पगार वितरित किया जा रहा है उसमें कोई अन्तर नहीं है। मैं कहना चाहूंगा वित्त मंत्रीजी से कि इस अकाल की विभीषिका को पहचान कर मानवता के नाते इस अकाल को हाथ में लीजिये और इससे अपने राजनैतिक हितों को साधने की कोशिश न करें।

उपाध्यक्षजी, हमारे वित्त मंत्री बडे माहिर हैं और बडे माहिर होने की वजह से जिस प्रकार की कलाबाजिओं को बजट पेश करने में काम में ले सकते हैं उन्होंने सारी कलाबाजियां देखी हैं। उनकी मैं यहां पर दाद दूंगा। जो बजट आपका आरम्भ के अन्दर 29,81,00,000 रु. का घाटा था उसको आपने अपनी कलाबाजी से इधर अपनी रकमों को फेर कर, पूंजी खाते की रकम को इधर लाकर और इधर की रकम को पूंजी खाते में डाल कर, जो कलाएं दिखाई हैं उसके कारण 29 करोड 81 लाख के घाटे को लाकर आपने 20 करोड 45 लाख पर डाला है। इसकी मैं दाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं सूचना देना चाहता हूं आपने जो इस प्रकार के आंकडे विधान सभा के अन्दर दिये हैं दुःख के साथ कहना पडता है ये आंकडे जानबूझ कर जो पूंजी खाते के और राजस्व खाते के आंकडों को दोनों को सन्तुलित कर निकाले जाने का कहा गया है वह सदन को गुमराह किये जाने के लिये है।

मैं आप से पूछना चाहता हूं 20 करोड 45 लाख का जो घाटा अन्त में आपने बताया है आपने यह कह कर के निकलने की कोशिश की है कि पांचवें वित्त आयोग द्वारा पैसा मिलने वाला है उस आधार पर यह घाटा सन्तुलित हो जायगा। वित्त मंत्री महोदय पांचवे वित्त आयोग से मिलने वाली रकम के बारे में आपने अन्य स्थान पर नहीं कहा है क्यों कि हमें पांचवे वित्त आयोग से 32.62 करोड रुपया मिलने वाला है या मिलेगा। जब आप पांचवे वित्त आयोग की बात करते हैं और घाटा 20 करोड का बताते हैं तो उस तरह से तो आपका यह बजट 20 करोड के घाटे का न होकर 12 करोड सरप्लस का बनता है।

श्री **मथुरादास माथुर**: माननीय सदस्य को गलतफहमी है मैंने अपने बजट भाषण में कहा है कि वित्त आयोग ने हमें इन्टरिम रिपोर्ट के आधार पर 32 करोड रुपया दे दिया है वे आंकडे बजट के अन्दर दिये हैं। उसके अलावा बीस करोड और मिलेगा इन्टेरिम रिपोर्ट में कई फैक्टर्स को कन्सीडर नहीं किया है उस आधार पर 20 करोड और मिलने पर जो हमारा डेफीसिट है वह पूरा हो जायगा। हमने 54.55 करोड की आशा कर रखी है हमने फाइनेन्स कमीशन को जो मेमोरेण्डम दिया है वह 75 करोड का है। उसके मिलने पर मेरा बेलेन्सड बजट हो जायगा। मैंने बजट की शुरुआत में ही यह कहा है। मैंने माननीय सदस्यों से कुछ छुपाया नहीं है जो स्थिति थी वह आपके सामने रख दी है। मैं यह चाहता हूं कि जैसी भी हमारी बजट की स्थिति हो उसकी पूरी सूचना सदन को मिल जानी चाहिये।

श्री **कृष्णकुमार गोयल**: इसकी स्तुति तो मैंने पहले ही कर दी है··

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल**: स्तुति मे निन्दा नहीं है बल्कि निन्दा में स्तुति है।

श्री **रामकिशन**: आप सत्य के दो रूप प्रकट करने में माहिर हैं वह मैं बताऊंगा।

वित मंत्री जी ने चालू योजना को पूरा करने के लिये जो आरम्भ के अन्दर प्रावधान किया था उसके अन्दर 5।। करोड रुपयों का अधिक प्रावधान किया है। 5।। करोड को मीट करने के लिये राजस्थान के अन्दर नय टैक्स लगा कर नॉन टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि करके इस सारी कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह घाटा है? क्या बजट के सिस्टम के अनुसार साढे पांच करोड की पूर्ति की है। योजना काल के आरम्भ में जो मूल बजट बताया उसमें बीस करोड की कमी बतायी है। क्या इस रकम को आप घाटे के अन्दर नहीं बता सकते थे? इस कमी को पूरा करने के लिए विधान सभा में नये टैक्सेज के रूप में नॉन टैक्सेज रेवेन्यू के रूप में पूर्ति नहीं करना चाहते हैं। अलग से इस रकम को बता कर पूरा घाटा केवल आपका बीस करोड का नहीं। उससे तो सारा सन्तुलित हो जाता है। यानि आप पूजी खाते को सन्तुलित और राजस्व खाते को भी सन्तुलित मानते हैं इस आधार पर आपकी केवल अगले वर्ष की

(2.29 म.प.)

(श्री राम नारायण चोधरी, सभापति पदासीन)

योजना है उसकी कमी को पूरी करने के लिए आपने 5।। करोड रुपया बताया है उसके लिये आपने अलग से ब्योरा दिया है। वह आप टैक्स रेवेन्यू से पूरा करना चाहते हैं इससे वास्तविक स्थिति यह सामने आती है कि आपका घाटा 29 करोड का है। यह आपने मान लिया अकाल की रकम और ऋणों के समावेश करने के बाद योजना अनुदान का खर्चा समावेश करने के बाद केन्द्रीय ऋणों का समावेश करने के बाद 20 करोड रुपया रहेगा। उसमें 50-50 लाख रुपया सालाना योजना के अन्तर्गत अन्य टैक्सेज से वसूल करने की बात की है। इस तरह 5।। करोड रुपया बीस करोड में शामिल हो जाता है उस प्रकार से यह घाटा 2 और 26 करोड के बीच में आ सकता है

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करूंगा यह जो बीस करोड का घाटा बताया है वह फाइनेन्स कमीशन से कवर हो जाता है तो रेवेन्यू अकाउन्ट बेलेन्स्ड हो जाते हैं। योजना का जो प्रारूप बतलाया है उसके अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता एवं फिस्कल आर्गेनाइजेशन से जो सहायता मिलेगी उससे टोटल प्लान बन जाता है 44.10 लाख रुपये का वह प्रोवीजन पूरा हो जाता है तो नये करों की आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार से अगले साल की जो योजना आयी है वह योजना थी 48.79 लाख की उसके लिये जो 5 करोड रुपये के एडीशनल रिसोर्सेज ढूंढने के लिये टैक्स रेवेन्यू और एडीशनल बढाया है हम इस तरह से इसको पूरा करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो हमारे बजट में घाटा है, पांचवें वित्त कमीशन से मिलने वाले पैसे से वह सन्तुलित हो जायगा ? यदि वह हो जाता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ साढे पांच करोड का जो हिसाब बताया उसको मीट करने के लिये नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू को आधार बताया है। इसी के लिये आपने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है।

श्री मथुरादास माथुर: अगर सदन यह चाहे कि वह योजना काम में नहीं ली जावे तो योजना केवल 44 करोड की रह जायगी यदि रुपया इकट्ठा नहीं हो सकता तो बजट बेलेन्स्ड रहेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा कहना यह है कि योजना के लिये पैसा बहुत कम है इससे राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो जायगा। उसके लिये टैक्स के रूप में पैसा लेकर के योजना के नाम पर वह लगाना चाहिये। वह पैसा इससे जुडा हुआ होता तो यह डेफीसिट बीस करोड न होकर 21 करोड हो गया होता। इस तरह से बजट का घाटा 21 करोड का न होकर 35 करोड का है। जिसको राजस्थान सरकार पूंजी खाते के पैसे को लेकर, केन्द्रीय करों के पैसे को लेकर और नये टैक्स लगा कर के उसके घाटे को पूरा करके कहना चाहती है कि घाटा केवल 20 करोड का है पांचवे वित्त कमीशन के पैसे के आधार पर यह सन्तुलित हो जायगा इसी आधार पर मैं कहना चाहूंगा आपने इस घाटे को पूरा करने के लिये जो कदम उठाये हैं वह आप सारे देश के अन्दर पहल करके यह बताना चाहते हैं कि राजस्थान ने एक अच्छी बात की हैं और राजस्थान ने सब से पहले यह घोषणा की है कि राजस्थान में ऑक्ट्रोय चुंगी को समाप्त कर दिया जायगा। इसके लिये जो टैक्सेज का टर्नओवर प्रपोज किया है क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकार ने आज तक इस तरह का कोई बिल तैयार किया है यह टैक्स किस प्रकार से लगाया जायगा। उसकी परसेन्टेज तय कर दी है ? क्या राज्य सरकार के पास इस प्रकार आंकडे हैं कि इस टर्नओवर से टैक्स के आधार पर कुल कितनी आय होगी और उसमें से कितनी म्युनिसिपैलिटीज को अलग अलग दी जायगी।

सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज तक केवल घोषणा ही घोषणा रही। राजस्थान सरकार के सामने कोई स्पष्ट चित्र नहीं है। कितना टर्नओवर लगा दिया जाएगा। यह नहीं दिया गया है। बढते हुए अभावों की स्थितियों को देखते हुए यह महसूस किया

श्री कृष्णकुमार गोयल)

गया है कि चुंगी को माफ कर दिया जाय। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस चुंगी कर को माफ करने से कोई राहत नहीं मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं को महंगी वस्तुओं का उपयोग करना पड़ेगा। व्यापारी टर्नओवर टैक्स के आधार पर पिसता चला जाएगा। मैं पूछता हूं कि टर्नओवर टैक्स और चुंगी का आपस में अनुपात का आधार क्या है। सभापति महोदय, रॉ-मेटीरियल के आधार पर, केवल रॉ-मेटीरियल पर चुंगी लगती है। लेकिन वह आय नगर परिषद् के क्षेत्र में मुख्य बनती है। फिर उससे बनने वाली चाहे वह तगारी हो चाहे वह फाल हो। उस व्यापारी को केवल चुंगी देनी पड़ती थी। आप ने रॉ—मेटीरियल पर जो चुंगी छोड़ी वही उसको सैल्स टैक्स के रूप में देनी होगी। पहले 100 रु. का टैक्स देना होता था। अब उसको टर्नओवर के आधार पर पैसा देना होगा। आरम्भ में हमने भी यह सोचा था, शायद चुंगी का टैक्स कम कर देने से चीजें सस्ती होंगी। लेकिन जब उसकी पेचीदगी को देखा तो उसके आधार पर कीमतें बढ़ती जाएगी व्यापारी अलग पिसता चला जाएगा। उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। सच तो यह है कि सभापति जी, यह सरकार लोकतन्त्र का नारा देती है। विकेन्द्रीकरण का नारा देती है। नारा उस समय देती है जब यह फंस जाती है, आज लोकतन्त्र और लोगों की स्थिति सरकार कंसोलीडेट बिल बना कर उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करती है। सरकार ने मंडी कमेटियों का निर्माण कर दिया है। आज नगरपालिकाओं के पास जो आमदनी का क्षेत्र है, चुंगी ही एकमात्र साधन यह राज्य सरकार चुंगी की समाप्ति घोषणा करके, नगरपालिकाएं जो कि स्वायत्त संस्थाएं हैं, अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, यह राज्य सरकार उनको मोहताज करना चाहती है। राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि सिनेमा पर जो एण्टरटेनमेंट टैक्स लगता है, उसकी पूरी रकम, हम नगरपालिकाओं को देंगे। लेकिन सभापतिजी, 61-62 में जो आमदनी थी आज वह भी रहम के नाम पर नगरपालिकाओं को रिलीज की जा रही है। अब 69 में आकर उसको हाउस टैक्स के नाम पर रिलीज करने से मना करती है। राज्य सरकार की घोषणा है कि हम 1 रु. प्रति व्यक्ति नगर परिषद् के क्षेत्र में देंगे। आज पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है। जो स्वायत्त संस्थाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने साधनों को बढ़ाना चाहती हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि चुंगी से आखिर कितना फायदा होता है। ट्रकों से जो माल लेकर आते हैं। वह माल चुंगी के नाके पर आता है। जिस समय वह बाहर जाता है बाउण्डरी के बाहर उसको पच सुपुर्द कर दिया जाता है। ऑक्ट्रॉय की चौकी एक चैकिंग है। उससे पुलिस को मदद होती है। सेल्स टैक्स को मदद होती है। अब अपने हाथ में उस सब को खींच लेना चाहती है सरकार। मैं आंकड़े दिखा दूंगा। मैं नगर परिषद् कोटा का दृष्टान्त देना चाहता हूं वहां 63-64 में और आने वाले 69-70 जो है वह आय इस प्रकार से है। बढ़ते हुए व्यापार में चुंगी की जो आमदनी है, 63-64 में वह 9 लाख 95 हजार है। जो चुंगी की आमदनी है। 68-69 में वह 24 लाख 78 हजार है। जो 9 लाख थी वह आज 24 लाख 78 हजार है। कोटा नगर परिषद्

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जो बजट भेजती है उसके आधार पर इन आने वाले वर्षों के लिए नगरपरिषद् कोटा ने 32 लाख और 3 लाख कुल 35 लाख का बजट पास करने के लिये सरकार को भेजा है। यह आमदनी कहां से पूरी करेंगे। जो नगर-परिषद् अपने साधनों के आधार पर विना व्यापारियों को कष्ट दिये हुए वसूल कर रही है, यह सरकार उनको पंगु बना कर अपने हाथ में लेना चाहती है। नगरपरिषद् को अपने रहम पर फंसा लेना चाहती है। खास तौर से विरोधी दलों की जो नगर-परिषद् हैं, उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेना चाहती है। गारण्टी देते हैं। गारण्टी कितनी देंगे। जो बढती हुई चुंगी है उसकी कैसे मदद करेंगे। इसका तात्पर्य यह होगा, सौतेला व्यवहार होगा। किसको रिलीज करना है किसको नहीं करना है। नगर-परिषद् में इस तरह से हस्तक्षेप होगा। सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि नगर-परिषद् की चुंगी की छूट से व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं हुई। यह ट्रक वालों को भी नहीं दी गई है, यह राजस्थान के चन्द पूंजीपतियों को जो राजस्थान में बडे बडे बैठे हैं, उनको राहत दिलाने के लिये, उनको मुक्ति दिलाने के लिये यह दिया गया है। बडे बडे कारखानों को, डी. सी. एम. है, नायलोन फैक्टरी है। मल्टी मेंटल है। सभापति महोदय, ही उनके फायदे के लिए किया गया है।

केवल एक्साइज ड्यूटी है। उनके उत्पादन पर और यह सारा माल कोटा में या राजस्थान के शहरों में नहीं बेचा जाता। यह सारा का सारा राजस्थान के बाहर जाकर बिकता है। तो कौनसा सेल्स टैक्स उन पर आयद होगा? कौन से टर्न-ओवर क आधार पर उन पर टैक्स लगायेंगे यह जितने वडे बडे कल-कारखाने हैं जिनके आधार पर हम चाहते हैं कि नगरों का विकास हो और उनकी आमदनी का कुछ भाग हम उनसे लें। उस सबसे इस ऑक्ट्राय को खत्म करने के नाम पर, इस सेल्स टैक्स को टर्न ओवर पर लगाने के नाम पर यह सारे के सारे उद्योगपति मुक्त हो जायेंगे। यह एक साजिश की गई है उद्योगपतियों से। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपके इस कदम से वस्तुएं महंगी होंगी, उपभोक्ता दुख पायेंगे और व्यापारी परेशान होंगे इससे बेहतर तो यह होगा कि चुंगी को समाप्त करने कि जो घोषणा की है उसे आप वापिस ले लें वरना राजस्थान के अन्दर इससे जन-रोष उत्पन्न होगा। जैसा मुझे मालूम पडा है। लोग यह सोचते थे कि आपकी इस घोषणा से उनको राहत मिलेगी और व्यापारी खुश होंगे। लेकिन अब जगह जगह की ग्रेन मंडी से यह सूचना मेरे पास आई है कि इसके विरोध में सब जगह हडतालें हो रही हैं। जब आप की इस घोषणा से व्यापारी खुश नहीं है, उपभोक्ता खुश नहीं है तो फिर किस आधार पर सरकार कहती है कि इस आधार पर सरकार को कोई आमदनी नहीं होगी। इस मद में सरकार की कोई आमदनी नहीं बताई है। आप यह कहते हैं कि इसमें से प्रशासनिक खर्च निकाल कर सारा पैसा आपको दे देंगे तो जब सरकार को इससे आमदनी नहीं, उपभोक्ता इससे प्रसन्न नहीं, व्यापारी इससे प्रसन्न नहीं तो मैं आपसे निवेदन करूं इस घोषणा को आप वापिस लें और नगर-पालिका जो अपना टैक्स ऑक्ट्रॉय लगा रही हैं वह उनको लगाने दें।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

दूसरा प्रहार जो टैक्स के रूप में हुआ है। मैं सोचता हूं, उसके लिये हमारे वित्त मंत्री महोदय ने प्रेरणा शायद केन्द्र से ली है। शायद केन्द्रीय स्तर पर बैठे सत्ताधारी शासन ने इस प्रकार की साजिश की है कि इस देश के अन्दर कृषक वर्ग बढ़ता जा रहा है, यह किसान वर्ग मजबूत होता चला जा रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो कर, बुद्धि जीवी बन कर वह आज निर्णय करने लग गया है देश की राजनीति के सम्बन्ध में, तो उसे कैसे अपने चुंगल में लेकर फांसा जाय? केन्द्रीय स्तर पर सबसे पहले यह घोषणा की गई, उसके अनुसार किसानों के ऊपर केन्द्रीय सरकार ने टैक्सों का बोझ लादा है-फर्टीलाइजर पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, पावर से चलने वाले पम्पों पर टैक्स लगा दिया गया है, कृषि सम्पत्ति पर टैक्स लगा दिया गया है। यह तीन घोषणायें मोरारजी भाई, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने की। राजस्थान के वित्त मंत्री जी जानते हैं कि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है। राजस्थान के अस्सी प्रतिशत व्यक्ति राजस्थान में रह कर खेती कर अपनी जीवकोपार्जन करते हैं। राजस्थान की बहबूदी राजस्थान का आर्थिक विकास इन किसानों पर निर्भर करता है। अगर अस्सी प्रतिशत किसानों की यह स्थिति होगी कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो पैसे का प्रवाह मार्केट में होगा। इससे जानते हुए भी आपका प्रहार उस कृषक वर्ग पर है, जो आज देश की रीढ़ है, आर्थिक तंत्र की रीढ़ है-उस पर आपने प्रहार करने का प्रयास किया है। आपने वाणिज्यिक फसलों पर टैक्स प्रपोज किया है। आप नहीं चाहते कि राजस्थान का कोई किसान चाहे कपास की क्राप हो, चाहे गन्ने की हो, चाहे अलसी की हो, चाहे दूसरी क्राप हों-इन फसलों को लेकर अपनी माली हालत को सुधारें। आप उसको कमजोर करना चाहते हैं। उस जो कुछ फायदा इससे होना चाहिये था, उससे उसे महरूम करने के उद्देश्य से आप छः रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सेस के नाम से टैक्स लगाना चाहते हैं। क्या आप इस प्रकार किसानों का शोषण करना चाहते हैं? क्या आप किसानों को समाप्त कर देना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सरजार्ज के नीचे आपका तर्क क्या है? बड़ी अच्छी घोषणा की गई है। इसका असर बड़े लोगों पर पड़ेगा। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं और माननीय सदस्य श्री शंकर लालजी से कहना चाहता हूं कि सीलिंग की घोषणा का राजस्थान के अन्दर क्या होगा? जिस सीलिंग को लगाने की बात समय समय पर राजस्थान सरकार ने की है क्या उसको आज खटाई के अन्दर डालना चाहती है? आज सरकार सीलिंग का नारा देती है, समाजवाद का नारा देती है और इन नारों के आधार पर भूमि का वितरण नहीं करना चाहती है। मैं समझता हूं कि इसकी आड़ के अन्दर आप राजस्थान के अन्दर बड़े किसानों के ऊपर सरचार्ज लगा रहे हैं—इसमें क्या तुक है। सभापतिजी, आप जानते हैं कि आज साधारण से साधारण भूमि पर पौने दो रुपये के लगभग तो लगान है, वस्तुओं पर छः रुपये से लेकर सात रुपये तक टैक्स है...

श्री मूलचन्द डागा: छः आना और आठ आना भी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: इसके आधार पर जो आप कहना चाहते हैं कि इसका असर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

बड़े किसानों पर पड़ेगा, मैं कहना चाहता हूं कि इसके आधार पर छोटे किसान भी सरचार्ज के कारण दब कर मर जायेंगे। सरचार्ज उन पर लगाना चाहते हैं, आज बैटरमेंट लेवी का बोझ आप भाखरा नांगल, राजस्थान केनाल और चम्बल कोटा बैराज के किसानों पर डालना चाहते हैं-इसका भार किस पर पड़ेगा? इससे कमर किसकी टूटेगी? आर्थिक तंत्र कहां का कमजोर होगा? आज यह सारा प्रहार योजनाबद्ध ढंग से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें किसानों पर करना चाहती हैं, इससे उनको समाप्त कर देना चाहती हैं। वह किसान किससे आशा करे। आपकी इन टैक्सों के आधार पर किसानों के प्रति ईर्ष्या की मनोवृत्ति है। क्या कल्पना कर सकते हैं कि एक गांव में रहने वाला किसान यह कभी आशा कर सकता है कि मैं विधान सभा का सदस्य बनूंगा? क्या वह यह आशा करता है कि मैं प्रधान बनूंगा, मैं एम. पी. बनूंगा? सभापतिजी, मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने प्रपोज किये हैं–टैक्सेज, जो किसानों पर यह टैक्सेज प्रपोज किये हैं चाहे सरचार्ज हो, चाहे बैटरमेंट लेवी हो–चाहे कामर्शियल क्राप पर टैक्स हो–इनको आप तुरन्त वापिस ले (व्यवधान) अभी तो समय बहुत बाकी है। सभापतिजी आसन पर हैं, आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं।

इस आधार पर राज्य सरकार ने घोषणा की है शराब पर टैक्स लगाने की। मैं इसकी सराहना करता हूं और मैं भी यह चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर शराब के ऊपर टैक्सेज बढ़ा कर शराबबन्दी किसी प्रकार से हो ताकि वह जो गरीब तबका है, जो कि शराब पीने को बाध्य किया जाता है वह शराब को न पीये और उसकी माली हालत में सुधार हो। हम चाहते हैं कि असल में शराबबन्दी हो। शराबबन्दी की मन्शा क्या है? मन्शा यह है कि वह तबका जो दो जून पेट भर खाना नहीं जुटा सकता है, जो अपने परिवार का खर्च नहीं चला सकता वह मजबूर होकर अपनी आदत के कारण शराब पीकर अपना सर्वनाश करता है, उसको रोकना चाहिये। लेकिन वह घोषणाओं से नहीं होगा। सप्ताह में दो दिन ठेकों की छुट्टी रखने से वह नहीं होगा? आप घोषणा करिये वित्त मंत्रीजी कि सड़क के किनारे, मोटर स्टेण्ड पर, रेल्वे क्रासिंग के पास, लेबर कालोनी में से दुकानें हटा दी जायेंगी, मार्केट से दुकानों को हटा दिया जायगा तब आपकी घोषणायें शराबबन्दी के पक्ष में होंगी। आप भले ही टैक्स लगाइये, मुझे इस में आपत्ति नहीं है। लेकिन वित्त मंत्रीजी, मुझे इस टैक्स पर आपत्ति दूसरे रूप में है। आज सभापतिजी, सेल्स टैक्स एक्ट के अन्तर्गत धारा 5 के अनुसार जो मेक्जिमम टैक्स लगाया जाता है, उसकी एक सीलिंग है और वह सीलिंग है कि पन्द्रह पर्सेन्ट से अधिक सेल्स टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आज ऐसा लगता है, जैसी कि इस राज्य सरकार की आदत रही है और वित्त मंत्री जी ने भी यह कहा है कि यह काम धेनु है। और कामधेनु कौन है? इस कामधेनु के नाम पर और टैक्स बढ़ाने की मनोवृत्ति को छोड़ कर, मैं कहना चाहूंगा जो अधिकारी या राज्य सरकार इस शराब की आड़ के अन्दर, जो पन्द्रह पर्सेन्ट की सीलिंग है, उसको बढ़ा कर पच्चीस पर्सेन्ट लाना चाहते हैं। इस ओर आप निगाह

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

न डालें। शराब पर टैक्स बढ़ायें। शराब के चलन को रोकिये। हम उसके समर्थक हैं। लेकिन सेल्स टैक्स एक्ट की धारा पांच के अधिकार को लेना चाहते हैं और पन्द्रह पर्सेन्ट से बढ़ा कर पच्चीस पर्सेन्ट तक ले जाना चाहते हैं—उसके लिए मैं यह मांग करता हूं कि उसमें स्पष्ट लिखें कि लिकर के अलावा और किसी के ऊपर यह पच्चीस पर्सेन्ट नहीं होगा। वरना यह स्पष्ट है कि एक बार विधान सभा से शराब की आड में 15 प्रतिशत तक की जो टैक्सेशन की सीलिंग है, उस सीलिंग को तोड कर 25 प्रतिशत कर के यह सरकार अन्य चीजों पर भी 25 प्रतिशत तक टैक्सेज बढ़ाना चाहती है।

इसी प्रकार आपने मिठाई पर टैक्स लगाया है, 30 हजार के टर्न ओवर पर आपने यह कर रखा है पर यह 30 हजार का तो जनरल है, इस मिठाई वाले में ढाबे वाले भी आयेंगे....

श्री मूलचंद डागा : माननीय सदस्य को मिठाई खाने का ज्यादा शौक है क्या?

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह तो दोनों को है।

जो ढाबा चला कर अपना पेट भरते हैं वे भी इस टैक्स की लपेट में आ जायेंगे और उनकी कमर टूट जायगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर पुन: विचार किया जाय, स्वीट्स के नाम पर छोटे दुकानदार एग्जेम्प्टेड हैं वे भी इसकी लपेट में आ गये, जो विधवाएं होती हैं जिनके लिये गुजारे का और कोई साधन नहीं, वे ढाबा चला कर पेट भरती हैं, वे भी इसकी लपेट में आ जायेंगी। इसलिये इस पर मुझे आपत्ति है, इस पर आप फिर से विचार करिये।

सभापति महोदय, कुछ टैक्सेज को छिपाया गया है, मेरा यह वित्त मंत्री पर आरोप है। ऐसे टैक्सेशन जिनको सरकार ने प्रोपोज किया, उनकी आय को इस भाषण में छिपाया गया है, जो एग्जेम्प्शन में चीजें थीं उनको वापिस टैक्स के अन्दर दिया है, पर उस आमदनी को इस बजट में प्रदर्शित नहीं किया है। वह है टैक्सेज जो सेक्शन 4 की उप-धारा (1) है, उसके शिड्यूल में कैटल फीड है इन्क्लूडिंग आल, जितनी तेल से बनने वाली खली थी वह सारी की सारी एग्जेम्प्टेड थी पर अब राज्य सरकार ने इस टैक्स के अन्दर केवल अलसी, सरसों और तिल को रखा है, बाकी राजस्थान के अन्दर अलसी से बनने वाली खली, मूंगफली, तिल से बनने वाली खली अधिक है, यह टैक्स प्रोपोज किया है पर दुख है कि इस आमदनी को वित्त मंत्रीजी ने अपनी आय में बजट में नहीं बताया। इसी प्रकार दूसरे टैक्सेज हैं, फर्टीलाइजर के अन्दर आपने इन्क्लूड किया है, पहले सब एग्जेम्प्टेड थे, गोंद मिल, क्रशिंग मिल को इसमें से निकाल दिया, मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं बजट में इस आमदनी को दिखाया गया, क्यों नहीं इस आय को शो किया गया। इस तरह से जान-बूझ कर आमदनी को छुपाया है।

दूसरा जो सबसे बडा टैक्स है वह है कन्वर्शन के नाम पर, भूमि परिवर्तन के नाम पर। यह ऐसा टैक्स प्रोपोज किया है कि इसकी आड के अन्दर सरकार अपनी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सारी नौकरशाही को भ्रष्ट करना चाहती है। कौनसी भूमि कर्मशियल परपज के लिये है कौनसी रेजिडेन्शियल परपज के लिये होगी इसका जो निर्णायक आधार है वह उन अधिकारियों के हाथ में है, जो भूमि आज रेजिडेन्शियल है वह कल कर्मशियल परपज के लिये हो सकती है और जो भूमि कर्मशियल परपज के लिये है वह रेजिडेन्शियल परपज के लिये हो सकती है, इसके अन्दर क्या रिश्वत के आधार पर निर्णय नहीं किये जायेंगे, क्या आप इस प्रकार का प्रावधान रख कर के अपने अधिकारियों को रिश्वत की खुली छूट देना चाहते हैं।

आपने जो रेट्स प्रेस्क्राइब की हैं, उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं भी चाहता हूं कि जो लोग विना कमाई की आमदनी को खाने के लालच में शहरों के पास जो खेती की जमीनें खरीद रहे हैं, या जिन्होंने खरीद ली हैं, इस आशा से कि उस जमीन को आवादी में बदल बदल कर लखपति करोडपति बन जायं, उसका मैं विरोधी हूं, वह नहीं होना चाहिये। पर इस आधार पर आप यह अंकुश लगाना चाहते हैं वह जनरल कहने से काम नहीं चलेगा कि 50 रुपया कर्मशियल परपज के लिये और 12 रुपया रेजिडेन्शियल परपज के लिये। भूमि की कीमत आबादी की स्थिति के साथ होनी चाहिये। कोई मिर्जा स्माइल रोड पर, एम. एल. एज. क्वाटर्स के सामने कर्मशियल लैण्ड है तो उसकी कीमत और होगी और दूसरी जगह है तो उस जगह की स्थिति को देखते हुए उस स्थिति के अनुसार दूसरी कीमत हो गी। केवल एक वेग वात कह कर आवादी में वदलने के लिये अंकुश लगाना चाहते हैं, सभापति महोदय, यह सरासर भयंकर गलती होगी।

अन्त में मैं केवल यही कहना चाहूंगा और राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा कि आज जिस तरह से आर्थिक तन्त्र राज्य सरकार का चरमरा गया है, उसको देखते हुए अगर योजनाओं की गति तेज नहीं की गई, योजनाओं में आमूल परिवर्तन नहीं किया गया, पूंजी के समान वितरण पर नियन्त्रण नहीं किया गया तो इसके भीषण परिणाम राजस्थान में होंगे। अगर केन्द्र सरकार पर दवाव डाल कर योजनाओं के लिये पूंजी प्राप्त नहीं की गई, अगर केन्द्र सरकार पर दबाव डाल कर राजस्थान नहर सरीखी योजना को केन्द्र सरकार के जिम्मे नहीं किया गया तो राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो जायेगा।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : माननीय सभापतिजी, इस वर्ष का वजट सदन के सामने है। देखने में यह वजट सुन्दर लगता है, सुन्दर शब्दों के साथ इसे रखा गया है, वित्त मन्त्रीजी ने अपनी परसनलिटी के अनुसार इसे स्मार्ट वनाने का प्रयत्न किया है। यदि मैं यह कहूं कि यह वजट जो वित्त मन्त्रीजी ने सुन्दर शब्दों में और स्मार्टली पुट अप किया है, अन्दर से खोखला है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब हमने इस बजट को गहराई से देखा तो ऐसा नजर आया कि जिस समाजवाद की ओर ले जाने के लिये हमारे मन्त्रीजी वार वार कहते हैं, उस ओर यह वजट एक कदम तो दूर रहा, कुछ इंच भी आगे नहीं ले जा रहा है। इस वजट में हमें कहीं समाजवाद के दर्शन नहीं होते जहां ज्यादा आमदनी वालों पर कर लगाये

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

गये हों, या उनकी बढ़ती हुई आय को कर लगा कर रोकने की कोशिश की हो। इसलिये ऊपर से चाहे बजट कितना ही सुन्दर, स्मार्ट लगे, पर अन्दर देखते हैं तो इस बजट में किसी तरह की आत्मा के दर्शन नहीं होते। वित्त मन्त्रीजी से मैं यह सबसे पहले पूछूंगी जैसा कि हमारी पार्टी का ध्येय है समाजवाद का, उस पार्टी का आप अपने आपको नुमायन्दा मानते हैं वहां आपने ऐसा कौनसा कदम उठाया है इस बजट में जिससे आप हमारे राज्य को, हमारे बजट को समाजवाद की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़े हों ?

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजस्थान केनाल को लेकर बहुत कुछ कहा गया है, हमारे वित्त मन्त्रीजी ने भी राजस्थान केनाल के बारे में काफी कहा। एक तरह से यह कोशिश की गई अगर यह राजस्थान केनाल जल्दी बन जाएगी तो हमारे राज्य में खुशहाली आयेगी और हमारे यहां आये दिन अकाल पडते रहते हैं उनसे हम मुकाबला कर सकेंगे। उस राजस्थान केनाल के लिये जिसे हम हमारे राज्य के जीवन मरण का प्रश्न मानते हैं, जो राजस्थान केनाल हमारी सबसे बडी महत्वाकांक्षी योजना है, उसके सम्बन्ध में स्पष्ट और सीधा सवाल वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी।

(3 म.प.)

मैं उनसे यह पूछना चाहूंगी कि आजकल हमारे देश में वर्ल्ड बैंक की एक टीम दौरा करने के लिये आई हुई है और उस टीम का उद्देश्य है नदियों और घाटियों का निरीक्षण करना और यह देखना कि उन योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा कहां सहायता दी जा सके, कैसे दी जा सके और कैसे विकास किया जा सके। इस उद्देश्य से हमारे देश में वह टीम आई हुई है। आज तक इस टीम ने देश के दूसरे राज्यों में दौरा किया है। बंगाल सरकार उसे बुला कर ले गई, आंध्र प्रदेश में वह टीम कई है, सरकार ने अपनी योजनायें उनके सामने रखीं। इसी तरह पंजाब सरकार ने भी टीम को बुलाया और जो उनकी योजनायें हैं, जहां जहां केन्द्र के मन्त्री की इच्छा हो रही है, वहां उनको बुलाया जा रहा है और वह टीम जा रही है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूं कि राजस्थान नहर हमारी सबसे बडी महत्वाकांक्षा वाली योजना है। उसको दिखाने के लिये, नहर को आगे बढाने के लिए, नहर का विकास करने के लिए हमने उस टीम की राय ली या नहीं ? उसको अपने यहां बुला कर योजना बनाई या नहीं ? जैसा कि अखबार पढने वाले जानते हैं विश्व बैंक के चैयरमैन श्री मैकनमारा ने यह आदेश देकर टीम को भेजा है कि हिन्दुस्तान में जो इस तरह की नदियों और घाटियों की योजनायें हैं उनको देखे कि कहां कहां उनको सहायता दी जा सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पडता है कि हमारी नहर को दिखाने के लिए हमारी सरकार जागरूक नहीं है। न तो आज तक उस प्लान को दिखाया है और न उस टीम को दिखाने के लिये इन्वाइट किया है। राजस्थान नहर वह योजना है जो सुरक्षा देती है। यदि यह नहर बन जाती है तो हम ऐसे सीमावर्ती स्थान पर हैं जहां पडोसी देश हमारा मित्र नहीं है और यहां सुरक्षा की नजर से पाकिस्तान में जैसे इच्छोगिल नहर बनाई, उसी तरह राजस्थान नहर हमारी सुरक्षा कर सकती है। आबादी हो सकती है और हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

आर्थिक दृष्टि से केनाल एक प्राण है। मैं मन्त्री महोदय पर दोष लगाती हूँ कि राज्य सरकार को इस नहर के सम्बन्ध में जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वह नहीं दिखाई देता और इसका परिणाम यह है कि विश्व बैंक की जो टीम आई हुई है, उसको आज तक हमारे यहां इन्वाइट नहीं किया गया है। आप अपने जवाब में इस बात का खास तौर से उत्तर दें कि आया आपने उनको इन्वाइट किया या नहीं और नहीं तो क्यों नहीं, इसके पीछे क्या कारण है?

यह विश्व बैंक हमारे पड़ोसी देशों को इसी तरह की नहरें बनाने के लिए नदियों और घाटियों की योजनायें बनाने के लिए धन से सहायता करती है और मशीनों से सहायता करती है। उसके संदर्भ में मैं उल्लेख करूंगी कि उस बैंक ने पाकिस्तान को नहर खोदने के लिए कुछ मशीनें दी हैं और वह मशीन ऐसी है कि 6 घंटे के अन्दर 1600 गज नहर खोद डालती है। क्या ऐसी मशीन राजस्थान नहर के लिए आवश्यक नहीं है? जैसी पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति है ठीक उसी प्रकार की जहां राजस्थान नहर बनती है, वहां की भौगोलिक स्थिति है। हमारी सरकार ने हमारी नहर के काम को आगे बढाने के लिए क्या किया? उन्होंने मशीनें मांगी है या नहीं? क्या सरकार को जानकारी में है कि विश्व बैंक किस तरह से पड़ोसी देशों को मशीनें दे रही है? अगर इस बारे में आपने चेष्टा नहीं की तो हम नुकसान में रहेंगे। मुझे दुःख है कि राजस्थान नहर को बनाने के लिए आपको जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए वह नहीं किया है।

आज अखबारों में हमने डा. के. एल. राव का वक्तव्य देखा। वह कहते हैं कि पोंग डैम सन् 1972 में बन कर तैयार हो जायगा। मैं वित्त मन्त्री से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी राजस्थान नहर भी 1972 तक बन कर तैयार हो जायगी? इसका जवाब हां या ना में दें। अगर आपकी यह नहर 1972 तक बन कर तैयार नहीं होती है और पोंग डैम बन जाता है तो उसका नतीजा क्या होगा? आपको पानी किससे मिलेगा? पोंग डैम में जब पानी भरेगा तो वह जायगा पंजाब और हरियाणा में, आपको उसका एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। आप इस तरह की कोशिश करें कि पोंग डैम और राजस्थान नहर दोनों साथ साथ बन कर तैयार हों। अगर हमारी नहर तैयार नहीं होती है तो पोंग डैम का पानी हमारे पड़ोसी राज्य ले जायेंगे।

आपने अपने बजट में बड़े फक्र से फरमाया कि इस साल पौने 6 करोड रुपये इसके लिए रख दिए हैं और आगे के लिए 6 करोड प्रस्तावित किए गए हैं। वित्त मन्त्रीजी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूं।

श्री मथुरादास माथुर : हुकुम।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इस तरह 5-5, 6-6 करोड देकर कितने सालों में इस नहर को पूरा कर सकते हैं? जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं, उस हिसाब से यह नहर 23 साल में पूरी होती है। जब कि पोंग डैम 1972 में बन जायगा। उस पानी के अधिकारी और लोग बन जायेंगे, फिर आपकी यह नहर खोदने से क्या फायदा होगा? हमारी यह महत्वाकांक्षी नहर जिसके लिए हमने कहा था कि इसमें नैवीगेशन होगा, जहाजरानी होगी, नावें चलेगी, वह जहाजरानी खतम हुई, नावें

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

खतम हुई ? अगर यही स्थिति चलती रही और पोंग डैम 1972 में बन गया और हमारे यहां 23 साल में नहर पूरी होगी तो वह तो सिर्फ तैरने के काम आ सकती है, इससे ज्यादा गुन्जाइश नहीं है ।

दूसरी बात, हमारे सामने अकाल की भयंकर स्थिति है । इसको लेकर चाहे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो, चाहे वित्त मन्त्रीजी का हो या दूसरा हो सबसे पहले इस अकाल को रखा जाता है । हमें बताया जा रहा है कि अकाल के कारण हमारी आर्थिक कमर टूट गई । इसके कारण हम अपनी योजनाओं को आगे नहीं बढा सके । इस बात को मैं मानती हूं लेकिन हमारे सामने सवाल आता है कि अकाल रात दिन राज्य में पडता रहता है, आखिर इसका मुकाबला करने के लिए कोई पुख्ता तरीका कौनसा है? अगर नहीं तो जो कुछ हमारी अर्थ-व्यवस्था है वह सारी की सारी अकाल में लडाई करने में समाप्त करनी होगी । सारे का सारा वक्त, सारे आर्थिक साधन अकाल से लडने में जा रहे है ।.

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आप केन्द्र से मिल कर एक हाईपावर समिति बनायें जो इस समस्या पर विचार करे, एक टैक्नीकल आदमियों की समिति बैठे और सोचा जाय कि केन्द्र और राज्य दोनों मिल कर इस अकाल को रोकने के लिए कौनसा उपाय काम में ले सकते हैं, जिससे हमारा राज्य अकाल से हमेशा के लिए राहत पा जाए । अगर हम इसका मुकाबला नहीं कर पाते तो इसका नतीजा यह होगा कि हमारी कोई योजना पूरी नहीं होगी, विकास के लिए खर्च नहीं कर सकेंगे और जनता की बहबूदी किसी हालत में आगे नहीं बढ सकेगी । पिछले कुछ वर्षों का इतिहास देखें 20 वर्षों का, तो करोडों रुपये हम इस अकाल से जूझने में खर्च कर चुके हैं ।

इस साल हमारा अन्दाजा है कि 40 करोड रुपया अकाल से जूझने में लग जायगे । साल भर पहले अकाल पर दस करोड रुपया खर्च हुआ था । 62-63 में भी लगभग इतना ही खर्च किया । हर तरह से अगर हम हिसाब लगायें तो गत बीस वर्षों में करीब करीब 80-90 करोड रुपया अकाल से जूझने में खर्च किया है और फिर भी हमारी स्थिति वही की वही है । अकाल हर दूसरे साल पडता है और विकराल रूप लिये जा रहा है । अगर हम राज्य में खुशहाली चाहते है तो केन्द्र से मिल कर एक ऐसा हाई पावर कमीशन बिठाना पडेगा जो इन सारी बातों की जांच करे । राज्य को पूरी शक्ति लगा कर और केन्द्र को पूरी ताकत लगा कर कोई ऐसा काम हाथ में लेना पडेगा जिससे टैक्निकल एक्सपर्ट्स को बुला कर दिखायें कि क्या क्या किया जा सकता है । टैक्निकल एक्सपर्ट्स हम बुलाते हैं, हमारी योजनाओं को दिखाते है, हमें उनका सहयोग मिलता है । क्यों नहीं राजस्थान को कांडला पोर्ट से जोड दिया जाय । जब हम कांडला पोर्ट से मिलाते है राजस्थान को तो इससे एक नहीं अनेक फायदे होते है । आवागमन के साधन हमारे बढते है जिससे सामान सीधा का सीधा कांडला पोर्ट से राजस्थान में आ सकता है । वह हमें सस्ता भी पडेगा । इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी । हमारे यहां अनाज की बेहबूदी होगी । सबसे मोटा प्रश्न है सुरक्षा का । सुरक्षा के माने में भी हम बहुत ज्यादा मजबूत हो जावेंगे ।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

सभापतिजी, बजट को हमने देखा है। कई जगह कुछ कर लगाये गये हैं, कहीं कुछ टैक्स छोडे गये हैं। जैसे आपने चुंगी को हटाया। मैं इसका स्वागत करती हूं कि इस चुंगी को आपने हटा दिया। आपने गांधी शताब्दी के लिये भी एलान किया उसका भी मैं स्वागत करती हूं। आपने शुद्ध कदम उठाये। आपने नकली जेवरात पर टैक्स लगाया, उसका मैं घोर विरोध करती हूं। विरोध करने का एक नहीं अनेक कारण हैं। सभापति महोदय, पहला कारण यह है कि महिलाओं के इन नकली जेवरात पर टैक्स लगाने से हेंडीक्राफ्ट पर इसका असर पडेगा। हैन्डीक्राफ्ट के रूप में नकली जेवरात बिक रहे हैं। पहले पांच लाख के नकली जेवरात बिकते थे, आज करीब करीब पचास लाख के बिकते हैं। उसका मुख्य केन्द्र है नाथद्वारा, उदयपुर और बीकानेर। आज राजस्थान के नकली जेवरात ने राजस्थान से बाहर दूसरे प्रान्तों में धाक जमा ली है। आप अगर इस पर टैक्स लगाते हैं तो हैन्डीक्राफ्ट पर इसका बडा बुरा असर पडेगा। गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर में सुनारों को घर बैठना पडा। वे आज सारे के सारे इस काम में लगे हुए हैं। सभापतिजी, एक कारण और भी है और उसके कारण भी मैं इसका विरोध करती हूं। उधर मोरारजी कहते हैं कि सोना न रहे, चौदह कैरट का सोना रहे, हिन्दुस्तान के लोग सोने से मोह छोडें। आपको मोह छुडाना है तो आप नकली जेवरात बनने दें और उन पर टैक्स न लगायें। इसका दृष्टान्त यूरोप और अमेरिका हैं जहां पर कई लोग सोने के जेवरात नहीं पहिनते हैं वहां इस प्रकार के जेवर काम में आ जाते हैं। इधर आप सोने का मोह छुडाना चाहते हैं और उधर नकली जेवरात पर टैक्स लगाते हैं यह हैन्डीक्राफ्ट के हित में नहीं है इसलिये इस टैक्स को माफ कर दिया जाय। दूसरा वित्त मंत्रीजी मैं यह कहूंगी कि सोना पहिनने के लिये गरीबों के पास नहीं रहा है। कोई बहिन महिला नकली जेवर पहिन कर अपने सौन्दर्य को बढाती है तो आप क्यों टैक्स लगाते हैं उस पर। यह तो उसका सुहाग है। राजस्थान में कहावत है "चूडा और चूंदडी।" इधर चूडे पर टैक्स लगाते हैं उधर चूंदडी पर से उठाते हैं।

श्री दुर्गालाल बादहार : यह तो वित्त मंत्री महोदय आपने बडा अन्याय किया है।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी सलाह से किया है।

(3.15 म. प)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : गांधी शताब्दी के लिये आपने विशेषतौर से फण्ड रखा है उसका मैं स्वागत करती हूं। आपने रखा है और भी अधिक फण्ड रखा जाता तो उत्तम होता। आपने गांधी लिट्रेचर के बारे में भी कहा यह सरकार गांधीजी के बारे में साहित्य प्रकाशित कर रही है। मुझे खुशी है कि साहित्य तो याद आया। मैं पुरजोर निवेदन करूंगी कि सरकार का ध्यान साहित्य की ओर नहीं है, मैं जोर देकर कहती हूं कि इस बार गांधी साहित्य निकाला जाय, गांधीजी के जीवन के बारे में

(श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)
लिखा जाय वह राजस्थानी भाषा में लिखा जाय ताकि राजस्थान के अनपढ भी पढ सकें। गांव गांव में वह साहित्य पहुंच सके वृद्ध, प्रौढ और बच्चों को मिल सके। हमने दूसरे साहित्य की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं अपेक्षा करूंगी कि गांधीजी जो रीजनल भाषा के हिमायती थे उनके बारे में जो साहित्य लिखा जाय वह राजस्थानी में हो, राजस्थानी परम्परा से हो ताकि अनपढ, बूढे और प्रौढ लोग उसको पढ सकें।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न की ओर ध्यान ले जाना चाहती हूं। शायद आपको याद होगा आज से दो साल पहले केन्द्र ने एक स्कीम स्वीकार की थी रीजनल भाषाओं को लेकर। उसमें यह रखा गया था कि हर राज्य में रीजनल भाषाओं के लिये काफी रकम दी जावेगी। उनका काम यह होगा कि 8वीं कक्षा से युनिवर्सिटी तक साइन्स की पुस्तकें पढायी जाती हैं उनका हिन्दी में अनुवाद किया जाय। रीजनल भाषाओं में किया जाय। हमारे यहां हिन्दी रीजनल भाषा में आती है। साइन्स की पुस्तकों का रीजनल भाषा में अनुवाद किया जाय। साइन्स इतनी तेजी से बढ रहा है कि आज नये नये जरनल प्रकाशित होते हैं, उन्हें हिन्दी में अनुवादित करके प्रकाशित कराया जाय ताकि पढने वाले विद्यार्थियों को सहूलियत हो और हिन्दी भाषा में उसको रख सकें। मुझे गौरव होता है कि राजस्थान के लिये यह स्कीम पास की गयी थी और राजस्थान के लिये एक करोड रुपया मंजूर भी हुआ था। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर खींचती हूं कि 1 करोड रुपया उसके लिये मंजूर किया गया और पांच लाख रुपया राज्य सरकार को भी मिल गये। पांच लाख का सवाल नहीं राजस्थान को तो एक करोड रुपया मिल गया। यह फक्र की बात है कि हिन्दुस्तान के सब राज्य में सबसे पहले राजस्थान में यह स्कीम मंजूर की गयी थी। एक करोड रुपया मंजूर होने पर भी दो ढाई साल में हम सिर्फ पांच लाख रुपया ही खर्च कर पायेंगे। मैं जवाब जानना चाहती हूं कि क्या राजस्थान में ऐसे विद्वान नहीं हैं कि जो 8 वीं से युनिवर्सिटी तक की साइन्स की पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद कर सकें? आखिर यह ढीलापन किस कारण से चल रहा है? यह प्रश्न है इसको देखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ युनिवर्सिटी की तरफ भी ध्यान खींचना चाहूंगी। एक बाहर से विद्वान आये हुये थे शायद फिनलैंड से थे। वे युनिवर्सिटी में गये। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान से संबंधित साहित्य पढना चाहता हूं चाहे भौगोलिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे राजनीतिक हो, मैं उसकी स्टडी करना चाहता हूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि राजस्थान युनिवर्सिटी में जिसके पीछे 'राजस्थान' इतना बडा नाम लिखा जाता है उस राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थान के सम्बन्ध में कोई पुस्तक नहीं है।

जब कि दूसरी पुस्तकें, दूसरे विषयों की लाखों रुपयों की हैं लेकिन राजस्थान के बारे में कोई पुस्तक नहीं है। इसके बारे में वहां वालों को बाद में ख्याल आया और इधर उधर से पुस्तकें लीं। अब शायद वहां पर 100, 125 पुस्तकें मुश्किल से होंगी। यह एक इतना जलता हुआ सवाल हमारे सामने

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
है राजस्थान की यूनिवर्सिटी का। और जिसमें राजस्थान के वारे में साहित्य न हो। बाहर के विद्वान जानना चाहें कि हमारी यूनिवर्सिटी में राजस्थान का साहित्य है, तो राजस्थान के वारे में यूनिवर्सिटी जानकारी नहीं दे सकती। राजस्थान के वारे में, राजस्थान की संस्कृति के वारे में, अपने घर के वारे में हमारी युनिवर्सिटी जानकारी नहीं दे सकती, इससे बढ़कर शिक्षा विभाग के लिये शर्म की वात और क्या हो सकती है। आठ साल से लगातार विधान सभा में मैं इस बारे में प्रश्न उठाती रही हूं और कई वार आश्वासन भी मिला है। शुक्रगुजार हूं हमारे वित्त मन्त्री महोदय की, वे चाहे जिस कैपिसिटी में रहे हों, उन्होंने आश्वासन जरूर दिये हैं, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पडता है कि वे आश्वासन किसी भी रूप में और कभी भी पूरे नहीं हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का इस तरफ भी ध्यान खींचूंगी कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी में, राजस्थान के बारे में, उसके पक्ष में पुस्तकें हों। राजस्थान की सारी जानकारी वहां हो। चाहे वे पुस्तकें फ्रेंच में हों, सस्कृत में हों, अंग्रेजी में हों, प्राच्य भाषा में हों, उनका एक कक्ष कायम किया जाय यह अत्यन्त आवश्यक है, लाजमी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शराब पर टैक्स लगाया गया है, उसका मैं स्वागत करती हूं। स पर जो टैक्स लगाया गया है, वह अच्छा किया गया है। इसके साथ ही मैं सुझाव दूंगी कि इस टैक्स के लगाने से जो आमदनी 80 लाख रुपयों की आमदनी सरकार की बढ़ेगी, वह ऐसे कामों पर खर्च की जाय कि हमेशा के लिये शराब को रोक सकें। इस तरह से प्रोहिबीशन भी कर सकते हैं। केवल कानून बना देते हैं, उससे पुख्ता शराबबन्दी होगी, ऐसा मैं नहीं मानती। आप दस कानून बना दें तब भी लोगों की जिन्दगी दुःख भरी रहेगी। अवैध तरीके से लोग शराब पीते रहेंगे और न जाने पीने के क्या क्या तरीके करते हैं। जड से रोग तब कटेगा जब लोगों का मानस जगेगा, उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगी कि जो 80 लाख रुपये की आपकी आमदनी इससे होगी, उससे उन लोगों में, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में इस तरह का प्रचार किया जाये कि लोगों के दिमाग से शराब की गन्दगी निकल जाय और वे उससे दूर होते चले जायं। हालांकि वित्त मन्त्रीजी ने बहुत ही अच्छे ढंग से फरमा दिया कि जितनी ज्यादा महंगी उतना ज्यादा सरूर। मगर मुझे अफसोस है कि साथ में यह नहीं कहा कि इसमें लाटरी के टिकट की भी जरूरत है और इससे इसमें और लज्जत आ जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन भी करना चाहूंगी कि सरकार ने कृषि पर टैक्स लगाया है। यह टैक्स किस पर लगाया है सिंचित पर या सब पर यह प्रश्न एम्बीग्युअस है। मैंने जो पढा तो समझ में नहीं आया। एक तरफ 50 रुपये के अधिक लगान पर अधिभार देना पडेगा वहां दूसरी तरफ 10 एकड तक जो जमीन होगी उसको आप छूट देंगे। यह प्रश्न हमारी तरफ पैदा होगा। हमारी तरफ जो चाही जमीन है, वहां पर एक एक बीघा के लिये 15-20 रुपये का लगान है। इसमें आप क्या फर्क करेंगे। वहां कुए

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
के नीचे 25 बीघा जमीन है जिसका 20 रुपये लगान देते हैं। उस समय आप इसको क्या स्वरूप देंगे । क्या 10 एकड़ जमीन वालों को छूट दी जायेगी। यह एम्बीग्युअस प्रश्न है। इसको आप स्पष्ट कर दें कि इस पर उस समय आप क्या कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अहम प्रश्न है जो कि हमारे बांसवाडा जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है। अकाल में राहत का काम किया जा रहा है । यह काम अच्छी तरह से चल रहा है, यह मैं मानती हूं। मैं यह भी मानती हूं कि सरकार इस पर खर्च कर रही है। लेकिन इसम स्त्री पुरुष की मजदूरी में भेदभाव रखा जा रहा है। इसका मैं घोर विरोध करती हूं इसलिये अगर आप स्त्री और पुरुष को मजदूरी देने में भेदभाव कर देते हैं तो आप अपने संविधान का उल्लंघन करते हैं। संविधान कहता है कि कास्ट क्रीड और सेक्स में, कोई भेद नहीं रखा जाये। फिर यह भेद क्यों रखा जा रहा है यह किस लिये है ?

श्री **वृद्धिचन्द जैन** : यह फेमिन कोड के अनुसार है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जिनेवा में सारे देशों की लेबर कान्फ्रेन्स हुई थी वहां यह तय किया गया था कि स्त्री और पुरुष के वेजेज में किसी तरह का फर्क नहीं रखा जाय और हमारे देश में भी उस पर हस्ताक्षर किये हैं। दूसरी ओर भी स्त्रियां मजदूरी के लिये आती जाती हैं, पी. डब्ल्यू.डी., इरिगेशन में आती जाती है, वहां पर स्त्री और पुरुष को बराबर वेजेज दिये जाते हैं तब जहां अकाल का प्रश्न आता है, वहां स्त्री और पुरुष में भेदभाव करते हैं, बांसवाडा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का मैं समर्थन करती हूं। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या औरत को भूख नहीं लगती, क्या उसके पेट नहीं होता, क्या उसको कपडों की जरूरत नहीं होती, किस वजह से आप औरत को कम मजदूरी देना चाहते हैं ? यह कहा जाय, और मैं कहूँगी कि एक पुरुष के मुकाबले में स्त्री को ज्यादा अन्न की जरूरत पडती है, वह इसलिये पडती है कि कई स्त्रियां जो काम पर जाती हैं उनमें से कई गर्भवती होती है। इन्हें अपने अपने शरीर के अलावा एक और जीव को पालना होता है। ऐसी मुश्किल में उसको काम करना होता है। इसलिये इसे मानवीय दृष्टिकोण से आप सोचें। एक औरत को गर्मी की सनसनाती हुई लू में काम करना होता है। उसे वहां अथक् परिश्रम करना होता है जिसे कि अथक् परिश्रम की आदत नहीं है। अकाल की चपेट में आकर एक बच्चे को गोद में लिये हुए और एक बच्चे को पेट म उठाये हुए वह चिलचिलाती हुई धूप में काम करती है और आदमी के बराबर आप उसे पैसा नहीं देते है। यह अमानवीय दृष्टिकोण है। कानून के खिलाफ है । सरकार स्वयं अपने बनाये हुए संविधान को तोड रही है। औरत और आदमी का यह भेदभाव चल रहा है, जिसे मन्त्री महोदय मिटाना होगा।

श्री **परसराम मदेरणा** : यह फेमिन कानून है। अभी ही बना है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह फेमिन कानून पुराना कानून है, इसे फाडकर

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

फर्क देना चाहिये। इस पर आपने एक कमेटी बिठाई थी, उसने इस कोड को बदला है। इसलिये फेमिन कोड को नये सिरे से बनाया जाय। इसको बदलना हमारा मूलभूत सिद्धान्त है। यह उस वक्त का कानून है जब अंग्रेजों को आप माई-बाप कहते थे और आज जनता को आपको माई-बाप कहना पडता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे 1969-70 के बजट पर वाद-विवाद चल रहा है। मैं हमारे वित्त मन्त्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नगरपालिकाओं द्वारा लगाई जाने वाली चुंगी को हटाया है। यह बहुत अच्छा कार्य किया है। इस चुंगी से किसानों की बडी दयनीय दशा हो गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के पास पैसा नहीं होता था और किसान गांव से चलकर शहर में आता था तो चुंगी चौकी पर रोक लिया जाता था। पैसा न होने पर उसकी पगड़ी उतरवाली जाती थी। उसको अपने ओढ़ने के कपडे चुंगी चौकी पर रखने पडते थे। यह इतना बुरा टैक्स था। इसको आपने हटा दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, यह धन्यवाद ऐसा है, जिसके लिये मुझे एक राजस्थानी दोहा याद आ गया। वह दोहा है :—

ऐरण की चोरी करें, करे सुई का दान।
ऊंचा चढकर देखता आवत कहां विमान।।

हमारे वित्त मन्त्रीजी ने सुई का दान हमें दिया है और ऐरण की चोरी करली है। किसान पर जो टैक्स लगाया है वह ऐरण है वह लोहे की जो ऐरण होते हैं, उसकी चोरी के समान है और उसको जो सुई का दान आपने किया है वह चुंगी की माफी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा राजस्थान अकाल से घिरा हुआ है आज लाखों किसान अपने घरों को बन्द करके दूसरे स्थानों को चले गये हैं। कितनी ही उसकी गायें मर गई, कितनी ही मर रही हैं और कितनी ही और मरेंगी और वह किसान आज मारा, मारा फिर रहा है। किसान बरसात के बाद अपने घरों पर आयेगा वापिस आने पर अपने घर के दरवाजे के भीटके को हटायेगा, खिडकी को खोलेगा और किसान अपने घर के अन्दर घुसने की कोशिश करेगा तो वह दरवाजे से आगे नहीं चल सकेगा। वहां पर उसे पटवारी लगान की वसूली के कागज लिये तैयार खडा मिलेगा। कहेगा —"घर आगये हो। लाओ राज की रकम लाओ। जयनारायण, तुम्हारी रकम पिछले साल 50 थी तो इस साल 75 दो। पदमा तुम्हारी पिछले साल 100 थी तो इस साल 175 रुपया देवो। ज्ञाना तुम्हारी रकम पिछले साल 200 थी तो इस साल 400 रुपया देवो और सीलिंग से अधिक वालों 200 के बजाय 450 देवो। यह उस किसान के साथ वित्त मन्त्री ने पाप किया है जो अकाल में अपना खेत घर बार सब छोडकर चला गया था, अपने परिवार को औरत बच्चों को साथ लेकर छोटे बच्चों को झोली में डालकर अपने मवेशी को जो बच गई उनको साथ ले गया था। उस किसानों पर भी आपने रहम नहीं खाया है। उन पर भी आपने टैक्स लगाया है।

वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में फरमाया कि बेटरमेन्ट लेवी बन्द कर रखी थी क्योंकि

(श्री हंसराज आर्य)

नहर का पानी पूरा लगता नहीं था इसलिये पहले आदेश था कि ग्यारह ही रुपया वसूल किया जावेगा। जब तक नहर में पूरा पानी नहीं आवेगा तब तक यह बैटरमेन्ट लेवी पेंण्डिग रहेगी। जो बारह साल में 24 किश्तों में वसूली होनी थी उस पाबन्दी को आपने यह कह कर हटा दिया कि पानी पूरा आ गया है। नहरों की अब व्यवस्था अच्छी है। पानी लगने लग गया है। किसान आज मालामाल हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौनसी नहर की व्यवस्था अच्छी हो गई है, कौनसी नहर का हाल ठीक है। किस नहर में पानी चल रहा है। कौनसी तहसील में किसान की हालत सुधर गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ गंग कैनाल में पाकिस्तान के साथ समझौता होने से पूर्व 4 हजार क्यूसेक पानी चलता था। समझौता होने के बाद वह 2700 रह गया और उस 27 सौ में से भी आज 700 चल रहा है। यह कहते हैं कि नहरें ठीक हो गई हैं, खुशहाली आ गई है, कहां आई ? यह तो गंग कैनाल की हालत है।

अब भाखरा नहर की बताऊं। 3000 क्यूसेक पानी उसमें शुरू में चलता था। वह भी आज घटकर 1200 रह गया है और वित्त मन्त्रीजी कह रहे ह नहरों की स्थिति सुधर गई है, पानी अधिक मिलने लग गया है इस लिये किसान खुशहाल है और इसलिये टैक्स लिया जाना चाहिये। मैं तो समझता हूँ कि या तो वित्त मन्त्रीजी को सही जानकारी नहीं है और अगर जानकारी है तो वह जानबूझकर हमारे साथ ज्यादती करना चाहते हैं। इसके बाद आती है राजस्थान कैनाल। उसकी भी हालत मैं बतादूं।

कहा गया कि पूरी नहर बनने के बाद उसमें 25 हजार क्यूसेक पानी छोडा जावेगा। अभी बीस और अठारह हजार ही छोडेंगे। इस समय 11 हजार क्यूसेक पानी उसमें चल रहा था और यह दुःख के साथ कहना पड रहा है कि 20 फरवरी से वह 11 हजार क्यूसेक पानी भी बन्द कर दिया गया है। आज उसमें पानी नहीं है और 20 फरवरी से 28 मार्च तक एक महीनें और आठ दिन तक पूरी राजस्थान कैनाल बन्द रहेगी। एक बूंद पानी पीने के लिये भी उससे नहीं मिलेगा। आप कहते हैं नहरों की हालत अच्छी है। इसलिये टैक्स बढाया है।

इसके साथ ही आपने फसलों पर टैक्स लगाया है। आमतौर पर किसान सरसों, तारा मीरा, तिल, मूंगफली, धनिया, जीरा, गन्ना, कपास की ये फसलें बोता है। इसमें 6) रुपया प्रति एकड सिंचित पर और असिंचित पर दो रुपया प्रति एकड टैक्स लगाया है। जहां पानी नहीं लगेगा, बारानी है रेगिस्तान है उस पर दो रुपया पर एकड का मतलब है जब वहां चार छः आना दर बीघा लगान है वहां आपने दस आना पर बीघा कर दिया आपको इस की चिन्ता तो है कि किसान से पैसा लिया जावे। पर मंत्री महोदय मैं इसके लिये भी सौदा करने को तैयार हूं आप तैयार हों तो। आपने जो लगान लगाया है वह हम मन्जूर करते हैं यदि आप 32,247 गांवों से तारीख 13-3-69 को सुबह ही सब शराब के ठेके और भट्टी उठा लें तो हम बढा हुआ सारा टैक्स मन्जूर करते हैं।

आप नहरों की व्यवस्था की कहते हैं आज गांवों के लोग पीने के पानी को तरस

(श्री हंसराज आर्य)

रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले की कुल पचास लाख निन्यानवे हजार छः सो तिरेसठ (50,99,663) एकड भूमि हैं। कुल मिलाकर चारों नहरों से 15 लाख एकड के लगभग हिस्से में पानी लगता है और राजस्थान कैनाल के पूरा बन जाने के बाद भी काफी एरिया अन कमान्डेड रहेगा। इस साल कुल 1।।। इन्च बरसात हुई है। 71 पर्सेन्ट भूमि अन कमाण्डेड है तो कैसे कहा जा रहा है कि नहरों की हालत अच्छी है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान की हालत बहुत खराब है। बार बार सदन में यह बात ही गई है। मैंने सारा बजट उठाकर खा पर मुझे तो इस सारे बजट में पीने का ानी कहीं नहीं मिला। नहर का नहीं, जमीन लिये नहीं, मनुष्य और मवेशी के पेट में ोने का पानी कहीं नहीं मिला।

पीने के पानी की व्यवस्था के लिये कुल मला कर तीन करोड 15 लाख रुपया रखा या है इस सारे बजट में। आज राजस्थान आठ जिलों में 70 लाख मनुष्य और ई लाख मवेशी पानी के लिये हाहाकार र रहे हैं। पीने के पानी के लिए तरस हैं। दर दर की भीख मांग रहे हैं। ग गांवों में बिना पानी के मर रहे हैं। शी मर रहे हैं। वे दया की भीख मांग हैं कि आप उनके लिये कम से कम पीने पानी का इन्तजाम करिये। पर न मंत्री जी के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। ों में रहने वाली राजस्थान की दो करोड ता पीने के पानी की मोहताज है। ं का पानी उनके अपने पेट के लिये चाहिये और मवेशी के लिये चाहिये। आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पिछली बार पानी के लिये दो करोड रक्खा था और इस साल तीन करोड रखने की बात कही है। बडी कृपा की आपने। दो करोड आदमियों के पीने के पानी के लिये आप तीन करोड रुपया दे रहे हैं और दूसरी तरफ एक लाख आदमियों के पीने की व्यवस्था के लिये आपने अजमेर में तीन करोड खर्च कर दिये थे। बार बार सदन में लोगों ने आपसे कहा है, आप दो करोड लोगों को खेती के लिये पानी दें या न दें, पर पीने के पानी का प्रबन्ध उनके लिये जरूर करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उस रेगिस्तानी इलाके की सडकें बनाना बन्द करदें, स्कूलें बन्द कर दें, कालेज अस्पताल सभी बन्द कर दें। हमें कोई शिकायत नहीं होगी आपसे। आप तो इसके एवज में हमें पानी दे दें पीने के लिये पेट में दे दें। डालने के लिए आज जो भी थोडा बहुत पानी किसी इलाके में मिलता है वह खारा है। चूरू में खारा पानी, जैसलमेर में, बाडमेर में और जालौर में खारा पानी। हमारी सरकार ने कभी सोचा पीने का पानी लोगों को चाहिये? सोचा। पर कहां? अजमेर में जिसकी आबादी दो लाख है। उसमें पानी का इन्तजाम करने के लिये तीन करोड रुपया खर्च कर दिया और राजस्थान के रेगिस्तानी हिस्से के गांवों में रहने वाले 23 हजार गांवों में रहने वाले दो करोड के लगभग लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था के लिये आपने बडी मेहरबानी की है अपने बजट में तीन करोड रुपया रख कर। यह आपका न्याय है। तीन करोड और दो लाख को आपने बराबर माना है। यह आपका समानता का दावा है। समान उत्थान और प्रगति का दावा है।

(श्री हंसराज आर्य)

मैं नहीं कहता कि अजमेर को पानी नहीं मिलना चाहिये। पर गांवों को भी मिलना चाहिये। एक ओर पानी की समस्या है। पानी तो है लेकिन कुओं में है। कुआ कहां है? दो फर्लांग की दूरी पर है। इतनी दूरी से लाना पडता है यह बडी गम्भीर समस्या है। इसका इन्तजाम किया जावे। पानी चौराहे पर दिया गया। पर घर से अब भी वह बाहर है। घर से बाहर निकल कर लाने की समस्या है। घर में पानी पहुंचाया जावे। घर में पहुंच गया। फिर समस्या पैदा हुई। पानी घर में पहुंच गया पर रसोई में कौन लावे। रसोई में पानी नहीं है, बार बार जाना आना पडता है उठकर। फिर समस्या पैदा हुई। पानी तो है पर बाहर है, रसोई में आना चाहिये, रसोई में लाया गया, गरमी के दिन आये। गर्मी में सोते हैं छत पर। पानी नीचे रह गया। नीचे कौन जावे? समस्या फिर सामने आ गई। पानी ऊपर आना चाहिये उन के लिये तो। टंकी ऊंची हुई। पानी को छत पर पहुंचाया गया।

एक ओर यह इस प्रकार की समस्या है। उसे हल करने के लिये जमीन आसमान के कुलाबे एक कर दिये गये। पर दूसरी तरफ? पानी कहीं भी नहीं है। अगर है तो कहां है। सात मील गांव से दूर है। दस मील दूर है। कहां है? गहरे कुए में है। पांच सौ फुट गहरा है। खींच कर लाओ, ऊंटों पर लावो वहां से। सात मील आठ मील और दस दस मील तक चल कर लाओ।

एक माननीय सदस्य : इनकी तो आंखों में भी पानी नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : अब कैसे लायें? यह समस्या है वहां गांवों में। जिसके पास बैल हैं, ऊंट हैं, वे तो ले आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ यह दुर्दशा है पानी की। आज अकाल वाले गांवों में जिन लोगों के पास ऊंट बैल के साधन नहीं हैं उनको क्या हालत है? वे बाल्टी लेकर पानी के लिये घरों में भीख मांगते हैं जैसे शहरों में भिखारी रोटी के टकडों के लिये दर दर पर भीख मांगते हैं। दया करो बच्चों के लिये एक लोटा पानी दे दो की भीख मांगते हैं। एक गिलास पानी चाहिये उनको पीने के लिये, पर नहीं है। और एक घडा पानी की एवज में तीन तीन दिन तक उनसे खेतों में मुफ्त काम कराया जाता है पीने के पानी की खातिर। यह हालत है हमारी आज। गांवों में रहने वाले किसानों की। क्या मांगते हैं वे? केवल मनुष्य और मवेशी के लिये पीने का पानी ही तो मांगते हैं। परन्तु सरकार नहीं दे रही है।

इस बात को बार बार कहा गया लेकिन वित्त मन्त्री के कानों तक जूं नहीं रेंगी मैं यह कहना चाहता हूं सरकार इस बात की चिन्ता करे। पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, पैसे के बिना दुनिया के काम नहीं चलते। बेगू से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि पैसे की समस्या है उनको वहां पर बसने वाले किसान को चिन्ता नहीं है जो वर्षों से वहां आबाद हैं 90 प्रतिशत किसानों को खातेदारी राइट्स नहीं हैं। पचास वर्षों से काश्त करने वालों को राजस्थान कैनाल क्षेत्र भूमि पर कोई हक नहीं है। काश्तकारी कानून की धारा 15 के अनुसार किसानों को

(श्री हंसराज आर्य)

एक बार खातेदारी हक मिले थे लेकिन थोडे ही समय के पश्चात् सरकार ने एक आर्डिनेन्स जारी कर दिया कि राजस्थान कैनाल से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के किसानों के हकूक वापिस लेते हैं। इसके बाद में हमने सरकार से मांग की कि कुछ भूमि खातेदारी की मान लो। एक बीघा, दो बीघा, चार बीघा मान लो। सरकार ने नहीं मानी हम हाई कोर्ट में गये। अन्त में हाई कोर्ट में गवर्नमेन्ट हार गई। हम जीते। सरकार के लिये यह बहुत बुरा हुआ। हमारी सरकार यहां से दौडी ग्रौर दिल्ली सरकार से प्रार्थना की कि किसी तरह भारत के संविधान में संशोधन किया जाय, भारत सरकार ने संविधान में सत्रहवां संशोधन किया। संशोधन आ जाने से हाई कोर्ट का फैसला रद्द हो गया। किसान जैसे थे वैसे के वैसे ही रह गये। आज राजस्थान सरकार ने आरजी रूल काश्तकारों के लिये बना दिया कि 55 के बाद के भूमिहीनों को भूमि राजस्थान कैनाल में दी जायगी, उनको खातेदारी हक भी दिये जायेंगे। मैं पूछता हूं दिये जावेंगे तो कौनसे दिये जायेंगे, किस हिसाब से दिये जायेंगे। वहां का तो सारा एरिया ही जागीरदारों का था। किसी के पास खातेदारी थी ही नहीं। किस आधार पर खातेदारी देंगे? वहां जागीरों में गिरदावरी थी ही नहीं। वहां तो रेकार्ड था कि चैना बेटा पदमें रहा तें सं तीन रुपया दो आना रकम रा भर पाया। रसीद लिख दीनी छै।

अब सरकार की इच्छा पर है कि वह खातेदारी किसी को दे या न दे। बार बार मेमोरेण्डम दे रहे हैं कि हमारी भूमि का फैसला कर दिया जाय। जमीन हमारे कब्जे में है। काश्त करते हैं लगान देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? भूमि देंगे या नहीं देंगे। देंगे तो कितनी देंगे ग्रौर किस कीमत पर देंगे। सरकार चुप है। यही हालत भाखरा की जमीन की है। सरकार ने नियम बनाये जिसके पास अधिक भूमि है हम लेंगे। 50 बीघा भूमि से अधिक नहीं देंगे। उससे अधिक होगी तो छीन लेंगे। हमने पूछा क्या 50 बीघा भूमि में पानी मिलेगा? सरकार ने कहा, मिलेगा। हमने इस बात को स्वीकार किया। 50 बीघा से अधिक जो भूमि थी सरकार को दे दी। वह अन्य भूमिहीनों को सरकार देगी। ग्रौर उस पचास बीघा को भी अनकमाण्ड घोषित कर दिया जिसे कमाण्ड कह कर के दिया था। इसका कारण? कुछ तो कारण सरकार बताये? पहले तो कहा कि हमारे इन्जीनियर अनभिज्ञ थे। नये थे। दूसरे पंजाब का उन्होंने अनुसरण किया। उसी का उनको अनुभव था। यह तो राजस्थान है। राजस्थान की भूमि में पानी ज्यादा जज्ब होता है। पंजाब की तो मिट्टी पक्की है। दूसरे वह हरा भरा प्रान्त है। हमारे यहां रेगिस्तान बहुत है। इतना पानी नहीं है। नहीं दे सकते। तो हमने कहा कि हमारी भूमि वापिस कर दो। मन्त्रियों ने यानी बृज सुन्दरजी ने विश्वास दिलाया, कुम्भारामजी ने विश्वास दिलाया, श्री दामोदर जी ने विश्वास दिलाया, लड्ढाजी ने विश्वास दिलाया। हम विश्वास करते ही रहे। भूमि नीलाम होने लगी। थोडी नही, उपाध्यक्ष महोदय 37 हजार एकड भूमि कमाण्ड से अनकमाण्ड हो गई। लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। आज भी

(श्री हंसराज आर्य)

नोहर, भादरा तहसीलों के बीस पच्चीस गांवों के किसानों की वर्षों पुरानी भूमि को खातेदारी नहीं माना गया है। उसे अराजी काश्त मान रहे हैं। हर साल लाखों रुपया तावान का कायम करके किसानों से वसूल किया जा रहा है। हम रो रहे हैं। सरकार चुप है। गांव भाखरा जोन से बाहर कर दिये गये हैं। लेकिन हमारे कालोनाइजेशन मन्त्री इस बात पर अडे हुए हैं कि हम खातेदारी नहीं देंगे। यदि सौ रुपया फी बीघा और दो तो खातेदारी दे सकते हैं। मैं पूछता हूँ सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं दिया। हर साल उन पर तावान लगाते जा रहे हैं। सरकार खातेदारी देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा भाखरा क्षेत्र में जो जमीन सरकारी बची हुई थी वह किसको कितनी दे दी, कितनी नीलाम कर दी, कोई पता नहीं है। मन्त्री महोदय से पूछते हैं तो गोलमाल उत्तर दे देते हैं। मैंने स्पष्ट तौर पर पूछा तो कहा हमारे पास पूरा ब्यौरा नहीं है। हमने प्रार्थना की कि भाखरा में भूमिहीन किसान बैठे हुए हैं। उनको भूमि दीजिये। सरकार कहती है हम नीलाम करेंगे। इन भूमिहीन किसानों को राजस्थान कैनाल में देंगे। हम कहते हैं कि यह सौ मील दूर पडेंगे। इनको यहां भूमि न देने से इनको घर छोडने पडेंगे। खाना बदोश होना पडेगा। लेकिन सरकार अडी हुई है कि हम तो सरकारी भूमि नीलाम करेंगे। भूमिहीनों को भूमि लेना है तो चलो राजस्थान कैनाल एरिया में। यह किसानों की दुर्दशा है। उनकी हालत को सरकार देख नहीं रही है। इसके अलावा हमारे भूतपूर्व राजस्व मन्त्री श्री दामोदरलाल जी ने किसानों के लिये पंजाब के कानूनों के आधार पर यहां पर कानून लागू किया। मुजारों से यह कह कर भूमि ले ली कि इसका तुम्हारे पास कब्जा नहीं है। इस पर तुम्हारा हक है ही नहीं। उन्होंने लिखा कि कच्चे धागे पर तलवार लटकी नहीं रहनी चाहिए हम पर। यदि मारना चाहो तो मार दो, जिलाना चाहो तो जिला दो। उनको उन पर दया नहीं आती। वे उनका कोई फैसला नहीं करते। दामोदर जी ने कहा था मैं फैसला करूंगा फिर राजस्व मन्त्रीजी बृजसुन्दरजी आये तो उन्होंने कहा कि मैं फैसला कर दूंगा। उन्होंने भी नहीं किया। कुम्भारामजी ने भी नहीं किया। वे बेचारे कहते है कि हमें मारना चाहते हो या परिषद् की बैठक बुलाकर जिलाना चाहते हो ? क्या करना चाहते हो ? कुछ तो कहो।

श्री विजयसिंह (मकराना) : छोड दो कांग्रेस।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल में लाखों एकड सरकारी जमीन है उसको नीलाम किया जाता है। इस साल क्या धान्धली हुई। हजारों एकड पर नाजायज कब्जा हुआ। नीलाम नहीं हुई दो दो सौ तीन तीन सौ बीघा भूमि गुन्डों को दे दी। लोगों ने हजारों एकड भूमि पर कब्जा कर रखा है लेकिन सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंगती। हमने सरकार से कहा था कि फर्जी कब्जों से लोगों की बेदखली करो। सरकार ने साफ इन्कार किया कि जो कुछ हो गया सो हो गया। किसी को बेदखल नहीं करेंगे। इसी तरह से गोगामेंडी के पास चार सौ मुरब्बों को जो सरकारी थे दस हजार बीघा पर सन् 60 से लेकर 64 तक मन चले लोगों ने नाजायज काश्त किया। उनका पानी का टैक्स नहीं, लगान नहीं लिया गया। 65 में जाकर ऐसे

(श्री हंसराज आर्य)
काश्तकारों पर 3 लाख रुपया तावान वगैरा का कायम किया था उसका पता नहीं, क्या हुआ। हम रोते ही रह गये। कागजों में मुरब्बे खाली थे, मौके पर नाजायज काश्त थी।

एक और ताज्जुब की बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह है कि आज के मुख्य मन्त्रीजी उस समय के राजस्व मन्त्री जी थे। उस समय इन्होंने हमारे इलाके का दौरा किया और आम सभाओं में यह भाषण दिया था कि हम खिदमत गारों से खिदमत नहीं लेना चाहते हैं और उनको खिदमत से हटाना चाहते हैं। इन खिदमत-गारों में नाई, गोठवाल और बेगारी हैं और इनके लिए कहा गया था कि इनको हम खातेदार मानेंगे। इनको लगान देना होगा और इनसे बेगार नहीं लेंगे। यह ऐलान कर दिया। यह बात सन् 1953 की है और आज 17 वर्ष हो गये हैं। पतनाला वहीं का वहीं है। बेगार आज भी जारी है। कई बार लोगों ने दर्खास्तें दीं, आज वह मारे मारे फिर रहे हैं अदमपतों में, लेकिन उनका कोई फैसला नहीं हुआ है। माखरा में कुछ फैसले हुए हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि एक कोतवाल के पास पचास बीघा जमीन थी और वह बेगार करता था। अब वह मर गया और उसकी बजाय उसका बेटा बेगार कर रहा है। बाप के नाम से वह जमीन मन्जूर थी और बाप मर गया इसलिये बेटे के नाम से इन्दराज नहीं हुआ है। ऐसा अधिकारी कहते हैं और भूमि को सरकारी घोषित कर रहे हैं। बेटों का हक हम नहीं मान रहे हैं।

इसी तरह से कितने ही हरिजन किसान मारे मारे फिर रहे हैं। मैंने अधिकारियों से पूछा श्रीमान् यह तो बताओ कि टीनेन्सी एक्ट में ऐलान किया है कि 15 अक्टूबर 55 में जिनके पास जमीन कब्जे में थी वह खातेदार मान लिए गए। तो इन्होंने क्या गुनाह किया। इनको क्यों नहीं खातेदार मानते हो। आपकी बेगार करते रहे हैं। तुम्हारी टट्टी ढोते रहे तुम्हारे बिस्तर उठाते रहे और नाई तुम्हारी धोतियां धोते रहे। आज आप उनको सेवा का यह इनाम दे रहे हो। मैंने माननीय राजस्व मन्त्री को बार बार लिखकर दिया है और सन् 52 से लेकर आज तक इस सदन में बराबर पुकारता रहा हूं। कुछ फैसला कर दो। सरकार नहीं कर रही है। सदन के बाहर भी पुकारता रहा हूं कि कुछ फैसला इसका कर दो। इनके हुकम में लिखा हुआ है कि खिदमत करोगे तो भूमि का लगान माफ रहेगा, तो सरकार इसका फैसला नहीं कर रही है। माफी के फैसले से पहले भी इनके कब्जे में भूमि थी। क्योंकि वहां भूमि की कमी नहीं थी। वहां तो आज भी लाखों बीघा खाली पडी हुई है। केवल लगान माफ था यह लगान देने को तैयार खातेदारी हक देना चाहिये। बेगार बन्द होनी चाहिए।

(4 म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, बारानी क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि दी जाती है। हर साल अलॉट की जाती है। भूमि पडी हुई है। हमने सरकार से बार बार कहा कि दस साला नहीं तो पांच साला ही अलॉट कर दो। हर साल जमीन के अलॉटमेन्ट के लिए किसान जाता है पटवारी के पास दर्खास्त देता है, नकल ली जाती है तो दस एकड भूमि पर सो रुपया पटवारी रिश्वत लेता है तो जमीन मिलती है।

Page No 100

श्री विजयसिंह : बहुत गडबडी हो रही है राज्य में। स्तीफा लो सरकार से।

श्री हंसराज आर्य: इसी तरह से सरकार ने ऐलान किया कि गंगानगर जिले में सहकारी आधार पर शुगर फैक्टरी खोलना चाहते हैं और किसानों ने कई लाख रुपया उनके हिस्से का जमा कराया। उनसे कहा गया कि गजसिंहपुर में फैक्ट्री खुलेगी। वह रुपया कहां है? किसके पास है? कोई पता नहीं। फैक्ट्री का नाम नहीं है। भाखरा आई और राजस्थान कैनाल की तैयारी हुई तो सरकार ने ऐलान किया कि गंगानगर जिले में जिप्सम बहुत है और हम खाद की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। एक हजार एकड जमीन किसानों के पास से बिस्वेदारी की खाली करवा ली। आज भी एक हजार एकड जमीन खाली पडी है। गंगानगर जिले में इतनी जिप्सम है जो सैकडों साल तक खतम नहीं हो सकती और खास करके दो गांवों में नोहर में भ्रमसर रामका में बहुत है। कम्पनी वालों ने ऐलान किया है कि इन दो गांवों से जिप्सम 30 लाख टन हर साल निकालें तो 50 साल में भी खतम नहीं होगी। पूरे जिले के अन्दर है। जमीन खाली पडी है। और फैक्ट्री के लिए कहा गया था लेकिन उसका कुछ भी नहीं। वह फैक्ट्री कहां चली गई है।

भाखरा क्षेत्र की मण्डियों के लिए कहा गया। मण्डियों के प्लाट की बोली बुलाई गई और मेरा ख्याल है कि अन्दाजन एक करोड रुपया अब तक उससे वसूल हुआ होगा और उसमें से 87।88 लाख रुपया तो सडकों और बिजली पर खर्च हो गया। लेकिन एक भी दुकान आबाद नहीं है। मैदान खाली पडे हैं।

जहां तक बिजली का सवाल है। गंगानगर जिले में एक हजार की आबादी से लेकर 10 हजार की आबादी तक के गांवों में बिजली नहीं है। आकाश की बिजली को चमकते देखा जा सकता है। लेकिन खम्भों पर नहीं देख सकते। उधर पंजाब में सौ-सौ और पांच-पांच सौ की आबादी वाले गांवों में बिजली दे दी गई। तो हमारे गांवों को क्यों नहीं दी गई।

मैं अन्त में वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट को पेश करते समय गांधी जी की दुहाई दी और देनी भी चाहिए क्योंकि वे सभी के लिये प्रेरणादायक थे। मैं प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान में गांधी शताब्दी आये उससे पहले-पहले राजस्थान सरकार को चाहिए कि राजस्थान के गांवों से शराब की दुकानें हटा दी जाय।

वित्त मन्त्रीजी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। नये लगाये गये शेष, सरचार्ज और बेटरमेन्ट लेवी को वापिस ले लें क्योंकि गंगानगर जिले मैं तो सैटलमेन्ट के असैसमेन्ट से ही लगान कई गुना बढ गया है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य: (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी के भाषण को सुनकर हमें यह अनुभव हुआ है कि राजस्थान का जो 1969-70 का बजट पेश हुआ उसके अन्दर जो भी तजवीजें की गई हैं और इस भयंकर अकाल के अन्दर जो खर्चा इस बजट के अन्दर दिखाया गया है वह सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिकतर सडक निर्माण के लिए दिखाया गया है और आदमी को जिन्दा रखने के लिए अकाल क्षेत्रों में लोगों को रोजी देने के लिए इनके पास रुपया नहीं है।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

लेकिन सेक्रेटेरियेट की दूसरी मंजिल बनाने के लिये, दिल्ली में भवन बनाने के लिये, अधिकारियों के लिये ट्रेनिंग स्कूल बनाने के लिये तो इनके पास में रुपया है। माननीय हंसराजजी आर्य ने गंगानगर के इलाके के बारे में प्रकाश डाला और उन्होंने यहां तक कहा कि 52 से लेकर आज तक मैं कोशिश करता रहा हूं। तो फिर क्या फायदा इस प्रकार की सरकार का समर्थन देने का। जब काश्तकारों की मांग को मंजूर नहीं करे वह सरकार तो इस प्रकार की सरकार को समर्थन देने से कोई लाभ नहीं है। इसके साथ साथ मैं यह कह देना चाहता हूं कि गंगानगर जिले के साथ में जिस तरह से सौतेला व्यवहार इस सरकार की ओर से किया गया है उस पर भी प्रकाश डाले बगैर नहीं रह सकते। गंगानगर में राजस्थान कैनाल को लेकर बराबर यह घोषणा की जाती है कि गंगानगर में सबसे बडी योजना राजस्थान कैनाल को लाये, भाखरा कैनाल को लाये हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि राजस्थान कैनाल एक राष्ट्रीय योजना है। यह गंगानगर ही नहीं है। इस योजना को पूरा करने के लिये भारत सरकार को दे देनी चाहिये थी। गंगानगर जिले की जो धनराशि होती है उसको दूसरे इलाके में खर्च किया जाता है और राजस्थान कैनाल का नाम लेकर सारे जिले को वंचित रख दिया जाता है। इसलिये साथ साथ में यह भी बता देना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर भयंकर अकाल पडा हुआ है। आज भी हमारे पास तार आये हैं जैसलमेर से कि वहां पर तीन दिन से 51 मजदूरों ने भूख हडताल कर रखी है उनकी मजदूरी की कटौती होने के कारण। इस प्रकार की व्यवस्था इस राज्य सरकार की अकाल वाले लोगों के साथ में है। अभी गंगानगर जिले के अन्दर पांच तहसीलें ऐसी हैं कि वहां बिल्कुल कोई अनाज नहीं हुआ है और दो साल से बराबर अकाल है। एकाध जगह को छोडकर बाकी किसी जगह कोई राहत-कार्य आज तक चालू नहीं किये गये हैं, न अनाज दिया गया है, न मजदूरी और न पानी का प्रबन्ध है, न चारे का प्रबन्ध है। एक हनुमानगढ से तार आया है कि वहां पर एक कैम्प है गांव माकासर में वहां गायें भूख से मर रही हैं और वहां पर गायों के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। यह भी तार आज मिला है गंगानगर जिले को लोग कहते हैं कि सोने की चिडिया है और वहां पर कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। गंगानगर से आये हुए प्रतिनिधियों ने भयंकर भूल की है कि इस भयंकर अकाल के अन्दर गंगानगर से बटोरकर धन ला और यहां मंत्रियों की झोली में डाल दिये, और हजारों टन नीरा था, चारा था वह दूसरे इलाके में भेज दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि गंगानगर जिले की पांच तहसीलें हैं उनका कोई प्रबन्ध नहीं है तो यह चारा और यह रुपया उस इलाके के लिये यहां पर सुरक्षित रख दिया जाय। लेकिन यह बात कहने की हिम्मत नहीं है। माननीय हंस राजजी आर्य ने अपनी बात बडे अच्छे शब्दों में कही है। इसके पीछे एक बात है वह मैं बतादूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां इस प्रकार से सदन के अन्दर सालाना हम देखते हैं कि जो टैक्स लगाते हैं वे ज्यादे से ज्यादा लगाते है। और जब यहां पर उग्रता पैदा होती है तो दो-तीन वापस ले लेते हैं और बाकी लगा देते हैं। इसलिये लोगों को राजी करने के लिये ज्यादा टैक्स बताकर यहां कह देते हैं कि यह टैक्स

(श्री रामचन्द्र आर्य)

लगाना पड़ेगा और फिर उनको राजी करने के लिये कह देते हैं कि कुछ वापस ले लेंगे, कुछ हम झुक जांय और कुछ आप झुक जाओ। लेना होता है उतना ले लेते हैं, तो यह किसान-विरोधी सरकार है तो इस सरकार के अन्दर कोई भी मंत्री ऐसा है जो कि किसानों की हमदर्दी के लिये त्यागपत्र देकर बाहर आ जाय।

एक माननीय सदस्य : परसराम जी जरूर सोच रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह वही आदमी सोच सकता है जिसके अन्दर बल होता है। इनको बंगले चाहिए तो वे बन रहे हैं। सेक्रेटेरियेट बन रहा है, कोठियां बन रही हैं, दिल्ली में बंगला बन रहा है, गाडियां खरीदी जा रही हैं और अपने एशो-इशरत के लिए सारी चीजें जुटाई जाती हैं। इनको क्या मालूम कि गरीब आदमी किस तरह से पीडित है, और किस तरह से उन लोगों का जीवन-निर्वाह होना मुश्किल हो रहा है। आज इस कहतसाली के भयंकर प्रकोप के अन्दर लाखों रुपया भवनों में खर्च कर रहे हैं। क्या भवन बनाने की जरूरत है या लोगों की जान बचाने की जरूरत है। जीपें और कारें खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको अनाज, मजदूरी और पानी देना जरूरी है।

मैं कह देना चाहता हूं कि जिला गंगानगर में राजस्थान कैनाल में काफी गांव ऐसे है जो कि 3, 4 और 10-10 मील के एरिया में बसे हैं और इतना बडा दरिया उस इलाके के अन्दर से निकलता है, लेकिन आज वहां के उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, दूसरे गांवों को देना तो दूर रहा। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि 1500 मील तक पाइप लाइन लगाकर तेल ले जाया जाता है दिल्ली तक, तो क्या पानी नही ले जाया जा सकता है। राजस्थान कैनाल के लिये इनके पास रुपया पैसा नहीं है। इनके पास 20 लाख रुपया जयपुर में नाच घर बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन उस इलाके में पाइप डाल कर पीने का पानी देने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है ? वह यह नहीं जानते हैं कि उन लोगों के सामने क्या कठिनाई है क्योंकि हमारे जो जन-प्रतिनिधि हैं उनकी आदत चाटुकारी करने की है। कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। वे इनकी आदत को समझ गये हैं कि इनमें पानी इतना है, और इतने गहरे पानी के अन्दर ये हैं। इतना कर देंगे तो नहीं बोलेंगे। इसी वजह से आज उस जिले की 11 लाख जनता पीडित है। 11 लाख जो जनता उस जिले की है वह यह महसूस करती है कि हमने कितना बुरा काम किया है कि उन्होंने 7 आदमी कांग्रेस के जिताकर भेजे। उनको नहीं मालूम था कि ये लोग वहां जाकर भूल जायेंगे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: जनता यह महसूस करती है कि दो आदमी ऐसे भेज दिये जो गालियां बकते हैं और हमारा काम नहीं करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य: आप तो बैठ जाओ आप की तो यह आदत है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले के अन्दर राजस्थान कैनाल के नजदीक एक लिफ्ट योजना बनी हुई है जिसका नाम देई दास बान्ध है जिसके अन्दर 40 हजार बीघा जमीन आती है वह मूल में तय की गई थी उस लिफ्ट योजना

(श्री रामचन्द्र आर्य)

को तो शुरू नहीं करते हैं और बीकानेर पानी ले जाने के लिए वहां दूसरी लिफ्ट योजना का उद्घाटन कराया और उस फंक्शन में नाच कराया तब फंक्शन हुआ उसमें 18 हजार रुपया खर्च किया गया ।

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा**: गलत।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: मेरे पास आकड़े हैं

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा**: बीकानेर को पानी जा रहा है इसलिए जलते हो। बीकानेर पानी जायगा और फिर जायगा ।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: गलत नहीं बिलकुल सही है ।

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा**: बीकानेर में जायगा पानी ।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: इतना रुपया खर्च किया गया और वहां पर रंडियों का नाच कराया गया ।

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा**: झूंठ है बिलकुल गलत है। आपको दर्द हो रहा है कि वहां क्यों जाय पानी ।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: सिद्ध मुख ब्रान्च की चर्चा चल रही है काफी असें से, लेकिन पिछली मर्तबा जब मैंने एक प्रश्न पूछा उसके बारे में तो उत्तर दिया जी नहीं प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । "हम सोचते थे कि कोई योजना है और गांव वालों से कह दिया भरोसे में कि सिद्ध मुख ब्रान्च जल्दी से जल्दी लादी जायगी इसलिये असेम्बली में प्रश्न किया तो वहां पर उत्तर मिला, जी नहीं प्रश्न ही पैदा नहीं होता । मुझे दुःख है कि यह मंत्री जी का उत्तर है और हम कहते हैं कि सिद्ध मुख ब्रान्च आयेगी ।

ओटू से निकलने वाली नहर की योजना बनी हुई है हरियाणा से और उससे करीब डेढ़ लाख एकड जमीन सिंचित हो सकती है, लेकिन उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है । वह तो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । और भवनों पर जो रुपया खर्च होता है वह हमारे पास आ जाता है । और आप पैसा नहर में खर्च करते, लिफ्ट योजना में खर्च करते और सिद्धमुख ब्रान्च में खर्च करते तो लगभग आधे से ज्यादा अकाल दूर हो गया होता, लेकिन वहां पर बेलेन्स बराबर रखना है । वहां के लोगों को साधन-सम्पन्न होते नहीं देखना चाहते और उन लोगों को दबाये रखना चाहते हैं और हमारे जन-प्रतिनिधि इस गारे में बैठ गये हैं इसलिए बोल नहीं सकते उनके मुंह पर ताला है ।

माननीय हंसराज जी जरूर कुछ कहते हैं उनकी बात का मैं स्वागत करता हूं इसी तरह से उनको कहनी चाहिये । कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये जो कहते हैं वह पूरा करना चाहिये। अगर वह पूरा नहीं होता है तो लात मारिये ऐसी पार्टी को, क्या करना है, ऐसी सरकार के साथ रहकर··

श्री **रामसिंह कुड़ी**: मनफूल सिंह जी भी आप का समर्थन करते हैं ।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: जनता को पीने के लिये पानी राजस्थान केनाल क्षेत्र में नहीं है। हमारे इलाके के अन्दर बहुत से ऐसे गांव हैं जहां कुओं के अन्दर जहर है अगर उसका

(श्री रामचन्द्र आर्य)

पानी को कोई पशु या आदमी पी ले तो उसी समय मर जाय राजस्थान कैनाल से हर गांव बीस तीस माइल से दूर नहीं है, वहां पर पाइप लाइन से पानी पहुंचाया जा सकता है लेकिन सरकार की नीयत हो तो। जो सरकार दावा तो करती है भलाई करने का लेकिन करने वाली नहीं। इस बजट में जो भी टैक्स लगाया है वह ज्यादातर गरीबों पर लगाया है।

आपको नकली जेवरात भी बरदाश्त नहीं होते उस पर भी टैक्स लगा दिया। गरीब औरतें अपने शृंगार के लिये अपनी घर की इज्जत रखने के लिये नकली जेवर पहनती हैं वह भी आपको अच्छा नहीं लगता है, वे नकली जेवर भी पहनकर समाज में इज्जत प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहती हैं वह भी आपको बरदाश्त नहीं। बच्चों के खिलोनों पर भी आपने टैक्स लगाया है बच्चे राष्ट्र की देन हैं बच्चों पर टैक्स लगाकर आपने साबित कर दिया है आपका दिल खुश नहीं बच्चों के लिये भी आपका दिल नहीं पसीजता।

किसानों के ऊपर आपने टैक्स लगाये आप यह नहीं सोचते क्या इन लोगों पर टैक्स लगाया जाना चाहिये आपको किसानों पर ही टैक्स लगाना है तो बडे बडे फार्म जिनके पास है इन पर लगाइये। आपने जमीन का लगान बढाया है 11 रुपया बीघा के हिसाब से जो लगान सेटलमेंट विभाग द्वारा लगाया है वह 11 रुपया प्रति बीघा है। जिसके पास दस बीघा भी जमीन होगी उस पर भी टैक्स लगेगा सरचार्ज टैक्स सारा लगेगा कोई भी पांच बीघा तक वाला भी आदमी इससे बच नहीं सकता।

नगदी फसलों पर भी आपने टैक्स लगाया है जितना भी सिंचित क्षेत्र है गंगानगर जिले में आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार गंगानगर जिले में पनप रहा है वहां रिश्वत दिये बगैर तो कोई काम नहीं होता। वहां पर तबादला होकर आते हैं वे खुले आम कहते हैं फलां मंत्री को इतना पैसा देकर तबादला कराया है। मुझे वह रुपया चुकाना है इसलिये मैं रिश्वत लेता हूं इस प्रकार खुले आम वे लोग कहते हैं और रिश्वत लेते हैं। इनको आप चुपचाप सुनते रहे हैं। मैं इसके लिये सबूत भी दे सकता हूं। इस प्रकार के प्रूफ मैंने रखे भी हैं। उस इलाके के अन्दर जो गरीब आबाद हैं उन सब काश्तकारों पर इस टैक्स से असर पडा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आप इस प्रकार टैक्सेज को वापिस लें अगर आप नहीं लेंगे तो आपको राज्य करने का अधिकार नहीं है हंसराज जी को मैं दो साल से लगातार सुन रहा हूं वे विरोध तो करते हैं लेकिन बाद में जब समय आता है वे चुप बैठ जाते हैं। आज गंगानगर से कांग्रेस के सात प्रतिनिधि चुन कर आये हैं वहां की जनता ने इसलिये उनको चुनकर भेजा कि वे सरकार में जाकर हमारी बात रखेंगे लेकिन आज जनता निराश है जनता उनको भेजकर पछता रही है। आप इन गरीबों पर टैक्स माफ कर जितने रुपये की कमी रहती है वह आप मालदार लोगों से वसूल करिये। उनसे तो आप वसूल नहीं कर सकते क्योंकि उनसे तो हिस्सा मिलता है। गरीब के पास वह हिस्सा देने के लिये नहीं इसलिये उसकी मांग को सुनते भी नहीं हैं। जिनके बच्चों का पेट नहीं भरता वे आपसे किस तरह से लडाई कर सकते हैं। आपको भय है कि बड़े

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आदमियों से वसूल करेंगे तो बड़े आदमी हमारी तरफ नहीं रहेंगे इसलिये आप गरीबों का ही गला घोटना उचित समझते हैं। इससे ज्यादा लज्जा ग्रौर शर्म की बात ग्रौ क्या हो सकती है।

मैं चाहूंगा कि गंगानगर में कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये खाद का कारखाना खुलना चाहिये। कोटा से रासायनिक खाद लाने में दिक्कत है जब कि रा मेटेरियल हमारे यहां से जाता है। हनुमानगढ में खाद के कारखाने को खोलने की योजना थी उसको क्यों समाप्त कर दिया गया। आज वहां बहुत बेकारी है खादी के कारखाने के लिये गरीबों से जमीन छुडवा ली गई लेकिन खाद का कारखाना नहीं लगाया उससे बीस हजार मजदूरों को मजदूरी मिलती वह योजना आपने केन्सिल कर दी। आपकी अक्ल ठिकाने आनी चाहिये गंगानगर के इलाके में खाद का कारखाना स्थापित करना चाहिये। गंगानगर इलाके में सूरतगढ में मेकेनाइज्ड फार्म है। वहां कृषि अनुसन्धान के लिये बहुत स्थान है वहां कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिये लेकिन कृषि विश्वविद्यालय भी आपने उदयपुर में खोला है। हमारे यहां हजारों एकड़ जमीन है, वहां अनुसन्धान हो सकता है आखिर उदयपुर में पहाडों के अलावा है क्या, क्या वहां खोलकर पहाडों से टक्कर लेंगे। गंगानगर में कृषि कोलेज खोलना चाहिये ताकि काश्तकारों के लडके वहां पर पढकर निकल सके और देश के अन्य उत्पादन में अपना सहयोग दे सकें ग्रौर देश के संकट निवारण में पूरी मदद कर सकें।

इसके अलावा गंगानगर क्षेत्र में कोई उद्योग धंधे भी आप नहीं खोलना चाहते, वहां से जितना भी कच्चा माल पैदा होता है वह दूसरी जगह जाता है। आपको चाहिये कि वह माल वहीं पर खपत हो जाय इसके लिये वहां उद्योग धंधे स्थापित किये जाने चाहियें। उद्योग वहां स्थापित किये जाने चाहिये ताकि वहां के रहने वाले गरीबों को रोजगार मिल सके। उदयपुर में आखिर आप क्या करना चाहते हैं उदयपुर वाले इस बात को पसन्द नहीं करते वहां पर ट्रेनिंग सेन्टर खोल दिया कृषि विश्वविद्यालय कायम कर दिया हरेक चीज उदयपुर ले जाकर रख दी यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। आपको क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठाकर गंगानगर के साथ न्यायपूर्ण तरीके से सोचना चाहिये। आपको गंगानगर के लोगों की उपेक्षा नही करनी चाहिये गंगानगर इस प्रान्त का प्राण है। गंगानगर अगर राजस्थान के साथ नहीं रहेगा तो केवल पहाड ग्रौर रेगिस्तान ही आपके पास रहेंगे। गंगानगर जैसा सरसब्ज इलाका ग्रौर कोई नहीं रहेगा। आज गंगानगर जिले के लोग इस बात को सोच रहे हैं कि हमारे साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है क्या राजस्थान के साथ रहते हुए हमारे हित सुरक्षित हैं या नहीं, कहीं वे यह न सोच लें कि हमें राजस्थान से सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिये। कोई भी जनता इस बात को हमेशा के लिए बरदाश्त नहीं कर सकती जनता के प्रतिनिधि भी इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकते। आम जनता ने यह सोच कर जहां गंगानगर से पहले कोई कांग्रेसी नहीं था वहां पर जनता ने सात कांग्रेस के प्रतिनिधि चुन कर भेजे हैं,

(श्री रामचन्द्र आर्य)
ताकि वहां के जनहित के कार्य हो सकें। लेकिन सरकार का जिस प्रकार का बरताव गंगानगर जिले के साथ हो रहा है उसमें वहां की जनता यह ख्याल करने लगी है कि हमने कांग्रेस के सदस्यों को जिताकर गलती की है। आज उनमें हिम्मत नहीं कि वे गंगानगर जिले के हित के लिए सरकार से लड सकें। हंसराज जी जरा इस बारे में सतर्क हैं लेकिन वे भी इस बारे में कुछ नहीं कहते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फेमिली प्लानिंग कार्य में आपने लूप का इस्तेमाल करना शुरू किया है अच्छा होता वह लूप सरकार को लगा देते इससे मंत्रियों की संख्या में कमी होती और इससे उनके वेतन भत्ते के खर्चे में बचत होती। आपने इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम के लिए जीपें लगा रखी है, लोगों की नसबन्दी कर रहे हैं जीपें दौड़ा रहे हैं।

अब मैं शराबबन्दी के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह गान्धी की सरकार, गान्धी की दुहाई देने वाली, गान्धी का चेला अपने आपको मानती है। अपने आपको पवित्र कहती है। कहते हैं हम गान्धी जी के चेले हैं। लेकिन जीपों में भरकर घर घर में शराब भेजी जाती है। लेकिन यहां यह बताते हैं कि हम मंजूर शुदा जो ठेके हैं, वहां भेजते हैं। लेकिन वहां घरघर में शराब भेज कर बेचते हैं। यह गलत नहीं है। आपको कम से कम मंजूर शुदा ठेके हैं, उन को तो कम करें। लेकिन आप को यह नहीं मालूम है कि आप शराब बेच कर खर्च करते हैं। यह अत्याचार की कमाई है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह भी डूबेंगे और हम को भी ले डूबेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य: ये गान्धी जी के चेले शराब पीते हैं। सुखाडिया जी सिनेमा का उद्घाटन करते हैं। गान्धी जी के चित्रों का उद्घाटन करते हैं यह भ्रष्टाचारी शासन हमेशा चल नहीं सकता है। इस शराब से ही खून खराबी होती है।

श्री मनोहर सिंह मेहता: बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप दाद तो दो। सही बात है बिलकुल।

श्री रामचन्द्र आर्य: इस बुरे काम को आप बन्द करें। आप गान्धी शताब्दी से पहले शराबबन्दी को लागू करें। जब तो समझेंगे कि यह गान्धी की सरकार है। नहीं तो यह X X X की सरकार है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ये एक्सपंज किये जायें।

श्री उपाध्यक्ष: एक्सपंज किया जाये।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: यह गलत समझा गया।

श्री उपाध्यक्ष: एक्सपंज कर दिया।

श्री रामचन्द्र आर्य: राजस्थान में शराब का धन्धा चलाने के लिए, मेरा आरोप है, मैं आरोप लगाता हूं कि सभी X X X हैं।

एक माननीय सदस्य : गलत, गलत।

(शोर गुल)

श्री उपाध्यक्ष: एक्सपंज किया जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : कौन नहीं X X X? वह बताये?

श्री अमृतलाल यादव : मैं नहीं X X X

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(शोर गुल)

श्री **रामचन्द्र आर्य**: बात बिल्कुल सही है। यहां मन्त्रि-मंडल में बैठने वाले काफी सदस्य X X X

श्री **गिरधारीलाल व्यास**: उपाध्यक्ष महोदय, इनको मना किया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष**: एक्सपंज किया जाये।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: गंगानगर में कृषि जमीन को बस्तियों में कन्वर्ट करने का वित्त मन्त्री ने ऐलान किया है। क्या गंगानगर में और जयपुर में जमीन की एक ही कीमत है? वहां खेती करने के अलावा और कोई साधन नहीं है। गंगानगर और जयपुर की जमीन के बराबर लगाकर बराबर रेट रखे हैं। यह उचित नहीं है। क्योंकि आपको विचार करना चाहिये। और गंगानगर के लोग बोलते नहीं हैं उसका मतलब यह नहीं है कि गंगानगर की सारी जनता आपको समर्थन देती है। गंगानगर के लोग आपके साथ बैठे हैं। आपकी पार्टी कांग्रेस के अन्दर बैठे हैं। कोई कुछ बना बैठा है, कोई डिप्टी मिनिस्टर बना बैठा है। उनके इलाके में कुछ होना चाहिये? लेकिन वह नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि गंगानगर में ही नहीं आप को सारे राजस्थान की जनता के साथ मानवीय दृष्टि से व्यवहार करना होगा। सब लोगों को बराबर मजदूरी मिलनी चाहिए। अनाज मिलना चाहिए। जो भूख व बीमारी से मर रहे हैं उनको इलाज कराना चाहिए। लोग भूख से मर रहे हैं उनका इलाज होना चाहिए।

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा**: गलत बात है।

एक माननीय सदस्य: कैसे बोलते हैं आप।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। एक स्वास्थ्य विभाग है, उसके अन्दर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पुलिस के साथ में मिल कर डाक्टर झूठे सर्टिफिकेट देते हैं।

श्री **वृद्धिचन्द जैन**: यह बात सही है

श्री **रामचन्द्र आर्य**: एक फैक्ट की बात में आपको दिखाऊंगा वह भी है हमारे पास। दूसरा बिजली विभाग है, वह रिश्वत दिये बिना कनेक्शन नहीं देता है इस तरफ भी आपको नजर डालनी चाहिए। आप क्या नजर डालेंगे। नीचे वाले हुक्म नहीं मानते हैं। सरकार नौकरशाही की है। उनको इतना पावर दे दिया है कि सरकार की परवाह ही नहीं करते हैं। वह परवाह क्यों करेंगे। आप उनसे बेईमानी करवायें। उनके सहारे आप कुर्सी पर बठे रहना चाहते हैं मैं न्यायपालिका के बारे में कहता हूं। खूनी लोग रिश्वत लेकर छोड दिये जाते हैं। आप एक कमीशन बैठायें तो मैं बता दूंगा 100 में से पांच आदमियों को सजा नहीं मिलती है। आप इसका थोडा ध्यान दें।

एक माननीय सदस्य: (कुछ बोलने पर)

श्री **रामचन्द्र आर्य**: आप कुछ सुनने की आदत डालें।

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि भेड ऊन विभाग में कितना गड़बड घोटाला हुआ है, उतना शायद ही किसी विभाग में हुआ हो। मैं यह कहूंगा कि पहले वाले मन्त्रियों के काबू में नहीं आये हैं तो इनके काबू में क्या आयेंगे।

श्री **मनफूलसिंह** : आप तो आये हैं।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : आप कर लीजिए, लिख कर देता हूं। नहीं कर सकेंगे।

(4.30 म. प.)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

पंचायत समितियों के बारे में कहना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में करोडों रुपयों का घोटाला हुआ है। उसकी कमीशन बैठा कर इन्क्वायरी करनी चाहिए। एक एक चीज के 100 रु. लगाये हैं। एक विकास अधिकारी ने सामान खरीदा एक फर्स्ट एड बाक्स जो 30 रु. में आता है, उसका 385 रु. लिखा।

उसका नतीजा यह हुआ, मैंने गवर्नमेंट को लिख कर भेजा तो प्रधान को प्रधान पद से पृथक् कर दिया गया कि तुम्हारे खिलाफ बी. डी. ओ. को पीटने का चार्ज है इसलिए पृथक् किया जाता है। उसका मामला चला, भाग दौड हुई तब वह पक्ष में फैसला 6 माह पहले दिया। तब तक उसका पैसा जो पेमेन्ट करना था उसका पेमेन्ट रुका रहा और रिपोर्ट बनाई गई और कार्यवाही हुई लेकिन तब तक बी. डी. ओ. वहां पर बैठा रहा घोटाले का यह इस प्रकार का नमूना है कि किस प्रकार पंचायत समितियों में घोटाले होते रहते हैं। यहां तक होता है कि एक जाली फर्म बनी हुई है वह फर्म 5–5 नाम से टेन्डर दे देती है। इस प्रकार सरकारी खजाने के पैसों का दुरुपयोग होता है। मेरा निवेदन है कि इसके सम्बन्ध में कमीशन बैठा कर इन्कवारी करायें ...

श्री **वृद्धिचन्द जैन** : कितनी इन्कवारी बैठायेंगे।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : एक बैठा दें, जो सब अधिकारियों और मंत्रियों की इन्कवारी कर ले अधिकारियों की भी कर ले और पब्लिक के लोगों की भी कर लें-ऐसा एक ही कमीशन बैठा दें। अलग अलग कमीशन बैठाने की जरूरत नहीं है। उसके द्वारा इन्कवारी हो और जो दोषी हों उसको सजा मिले। इसमें आपको आपत्ति किस बात की है। आप तो दूध के धोये हुए हैं।

अब मैं आपको उपनिवेशन के सबन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान कैनाल और भाखरा कैनाल क्षेत्र के लिए उप निवेशन विभाग राजस्थान सरकार की ओर से कायम किया हुआ है। मेरी तहसील के 23 गांव राजस्थान कैनाल में हैं लेकिन उनके मामलों की सुनवाई हनुमानगढ और रावतसर आदि में होती है। इससे काश्तकारों को बडा नुकसान है। मेरे क्षेत्र के तेईस गांव जो है, उनमें काश्तकारों के घर के आगे तहसील है लेकिन दूसरे चक के सम्बन्ध में उसे रावतसर जाना पडता है। हनुमानगढ जाना पडता है। इससे काश्तकारों को बडा नुकसान होता है। इस प्रकार

(श्री रामचन्द्र आर्य)

की अव्यवस्था से भूमिहीन काश्तकारों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है। आखिर हर प्रधान पंचायत की हर मीटिंग में नहीं जा सकता, एम. एल.ए. भी हर मीटिंग में नहीं जा सकता। इसलिए अगर आप व्यवस्था करना चाहते हैं तो उनकी सुनवाई गांव के पास ही होनी चाहिये।

मैं काश्तकारों के लिए जो तावान की समस्या है उसके बारे में भी कह देना चाहता हूं। रावतसर में बारह तेरह साल पहले भूमिहीन लोगों को भूमि एलाट की गई। उनका सारा रिकार्ड मेन्टेन किया लेकिन वह आज भी मारे 2 फिरते रहते हैं। फी व्यक्ति दो मुरब्बा, एक मुरब्बा तो किसी को तीस बीघा जमीन एलाट हुई। लोगों ने बंजर को तोड दिया और उस पर काश्त की लेकिन 1967 में नये नियम बना कर उन सब लोगों को बेदखल कर दिया गया और उनके ऊपर तावान लगाने के लिए पटवारियों को कह दिया गया। उन पर तावान लगाया गया और यह मजबूरी जाहिर की कि हमारे पास काश्त के लिये दूसरी जमीन नहीं है। लोगों ने कहा कि किसी तरह से काश्त करने लायक जमीन सरकार को हमें देनी चाहिए लेकिन इसमें सरकार की दुर्भावना झलकती है वह एक तो किसी को जमीन नहीं देना चाहती। अगर देती भी है तो नये कानून ऐसे बनाये है, नियम ऐसे सख्त बनाये हैं कि जिनके अनुसार किसी को जमीन नहीं मिल सकती। आज जिन लोगों को जमीन दी है उनसे जमीन को छुडाकर जमीन किसी दूसरे लोगों को बेच देना चाहते हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं उपनिवेशन विभाग के अन्दर जो काश्तकारों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। गलत नियमों के कारण उन नियमों में सुधार करके उनको राहत पहुंचाई जाय।

अब मैं पंचायतों के बारे में उपनिवेशन विभाग का रवैया बताना चाहता हूं। कुछ पंचायतों को जमीन एलाट की गई वह पायतान जोहड की जमीन एलाट की गई, ऐसी जमीन तेतीस पर्सेन्ट अधिक कीमत पर एलाट की गई। मेरी खुद की पंचायत की पन्द्रह बीघा जमीन ऐसी थी जो एक काश्तकारों को ठेके पर दी। उस जमीन को नीलाम किया लेकिन जो काश्तकारों के पास पंचायत की भूमि ठेके पर दी हुई थी उस पर 3132) रुपये तावान और तीन साल का कायम किया। इससे पंचायतों को नुकसान हुआ और काश्तकारों को भी नुकसान हुआ। बीकानेर में इसके केस कमीशन के लिए दफ्तर हैं वहां पर मारे मारे फिरते हैं। इस प्रकार जो पंचायत की जमीन है, जो पंचायत के कब्जे में है उस पर कब्जा कायम किया है। इस प्रकार सरकार की नीति है पंचायतों के बारे में। सरकार पंचायतों को जमीन नहीं देना चाहती। अगर पंचायत जमीन खरीदने कि स्थिति में हो तो दूसरी जमीन को खरीद सकती है। लेकिन जो पन्द्रह बीघा उनको जमीन दी गई है उसको भी वापिस छीना गया है। इसी प्रकार जो पायतान तोड की जमीन थी उस पर जयपुर के आदमियों और पुष्कर के आदमियों के दो दो मुरब्बा कायम किये गये हैं और वह जमीन भूमि हीनों को नहीं दी गई है। इस प्रकार की जो सरकार की नीति है उसके बारे में

(श्री रामचन्द्र आर्य)
मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन नियमों में सुधार करें और पंचायत को पन्द्रह बीघा नहीं, पच्चीस बीघा जमीन देनी चाहिए।

इसी प्रकार पंचायत को जमीन को बेचने के अधिकार थे वह वापिस छीन लिये हैं उनके पास आमदनी के साधन नहीं हैं। सेक्रटरी और चपरासी के वेतन को चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं हैं, कागज खरीदने के लिए पैसा नहीं है।

मैं, जो सरकार ने पंचायत के खिलाफ तावान कायम किया गया है उसके सम्बन्ध में जो एप्लीकेशन व नोटिस है उनको सदन की मेज पर रखता हूं····

श्री **अध्यक्ष**: इनको आप अपने पास रखिये। सदन की मेज पर क्यों रखते हैं।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: मेरे पास जो तार आये हैं, अजमेर से तार आये हैं, जैसलमेर से तार आये हैं, वह अभी मुझे मिले हैं, उसमें लिखा है कि उस इलाके में लोगों की मजदूरी की कटौती की गई है। इस सम्बन्ध में 51 आदमियों ने भूख हड़ताल कर रखी है

श्री **अध्यक्ष**: उसकी नकल मेरे पास आ गई है।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: लेकिन सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं होता है। इसलिए मैं इन्हें सदन की मेज पर रखता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि जो विचार हमने रखे हैं उन पर विचार करें। आज जनता के साथ मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर न्याय नहीं है, आप अन्याय कर रहे हैं। आपकी व्यवस्था गंगानगर जिले के लिए बिल्कुल निकम्मी है और इस बजट में भी गंगानगर जिले के लिए कुछ नहीं रखा है उसकी उपेक्षा की है। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री **जगन्नाथ**: अध्यक्ष महोदय, पांच मिनिट।

श्री **अध्यक्ष**: श्री विजय सिंह:

श्री **जगन्नाथ**: पांच मिनिट मुझे दे दीजिये।

श्री **विजय सिंह**: मैं उठा हूं पहले।

श्री **अध्यक्ष**: आप पांच मिनट में समाप्त कर दें। उसके बाद आपको समय दे दूंगा।

श्री **विजयसिंह** (मकराना): अध्यक्ष महोदय आज बजट भाषण के ऊपर वाद-विवाद के ऊपर मुझे कान्ता जी की याद आ गई। पिछले बजट के ऊपर वादविवाद के समय माननीय सदस्या कान्ताजी ने फर्माया था कि हमारे वित्त मंत्री जी जो हैं। वह आशावादी हैं। बरसात आयेगी, खेत लहलहा जायेंगे। बाढ़ नहीं आयेगी, लाखों रुपये हो जायेंगे। फेमिन नहीं पड़ेगा। यह हो जायगा, वह हो जाएगा हमारे उद्योग पनप जायेंगे, इतना रुपया कमा लेंगे। फिर भी क्या हो रहा है हर साल बजट में····

श्री **मूलचन्द डागा**: आशा पर तो दुनिया जीती है। आशा पर ही जीयेंगे।

श्री **विजयसिंह**: आशा पर जीयेंगे तो फिर यह घाटा क्यों हो रहा है?

(श्री विजयसिंह)

अध्यक्ष महोदय, यही कारण था कि हमने सरकार नहीं बनाई। हम सरकार बना सकते थे और सरकार को अच्छी तरह से चला सकते थे अच्छी तरह से काम कर सकते थे पर हमको एक बात नजर आ रही थी और वह यह बात नजर आ रही थी कि 37 मिनिस्टर बेकार हो जायेंगे, उनको कहां लगायेंगे, उनको लगाने की जगह नहीं थी। अगर ये 37 मिनिस्टर बेकार हो जायं तो गांवों में इनको आज 2।। आने भी नहीं मिलें, एक कप चाय भी नहीं मिले, क्योंकि ये लोग एक मासा भर भी काम नहीं कर सकते। लम्बे चौड़े मिनिस्टर, इतना लम्बा मिनिस्टरों का दल किस लिये है। जैसे पुलिस थानों के सामने लिखा होता है "मेरे योग्य सेवा"। माफ कीजिये आपके योग्य कोई सेवा नहीं, वहां चले गये सेवा के अन्दर तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह मिनिस्टर कहते हैं कि सेवा के लिये कैसी सेवा? . . .

श्री अध्यक्ष : आपसे इस बजट पर मार्ग दर्शन की अपेक्षा है।

श्री विजयसिंह : लाखों रुपया मिनिस्टरों पर खर्च हो रहा है, कोई व्यक्ति जनता की सेवा के लिये मिनिस्टर नहीं बना है, यदि कोई जनता की सेवा के लिये मिनिस्टर बना हो तो उसको इतना रुपया नहीं लेना चाहिये। साधारण भत्ता और साधारण सेलेरी पर उनको काम करना चाहिये। तो हम मान सकते हैं कि इनमें सेवा भाव है, फिर किसी को मिनिस्टरी का लालच नहीं पड़ेगा और कांग्रेस के अन्दर आज जो भ्रष्टचार चल रहा है वह नहीं चलेगा . .

श्री मूलचन्द डागा : स्वतन्त्र पार्टी की ऐसी मिनिस्टरी किस जगह बनी है?

श्री विजयसिंह : स्वतन्त्र पार्टी का मैं मन्त्री हूं, मैं सेवा करता हूं . . .

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल जयपुर) : आपके जितनी लम्बी चौडी टीम कहीं नहीं है, यह आप ध्यान रखिये।

श्री विजयसिंह : अभी हमारे माननीय सदस्य फरमा रहे थे . .

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : स्वतन्त्र पार्टी तो खत्म हो गई।

श्री विजयसिंह : उन्होंने बिलकुल सही कहा था शराब पीते हैं। पीते नहीं, कोई मिनिस्टर पीता नहीं, कैसे पीते हैं, शराब की बोतल कभी इन लोगों ने देखी नहीं, शराब मिनिस्टर पीते नहीं, सरकार शराब पीती है, लाखों रुपया शराब की आमदनी सरकार लेती है, वह शराब पीना नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है?

श्री अध्यक्ष : हां, यह दृष्टिकोण ठीक है

श्री विजयसिंह : मेरा उसूल है।

पीता नहीं हूं, पिलाता नहीं हूं।
और पीने वाले को, बुलाता नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : पीने वाले को बुलाते नहीं?

श्री विजयसिंह : कभी नहीं बुलाता पीने वाले को।

तो मैं कहना चाहता था कि सरकार कहती है, गांधीजी के विचारों पर चलते हैं।

(श्री विजयसिंह)
गांधीजी का मतलब समझो, मैं आपको समझाता हूं गांधीजी का अर्थ ।

श्री **अध्यक्ष** : सावधान ।

श्री **विजयसिंह** : जी ए एन डी एच आई गांधी । आई फोर इन्डियन, ही शुड बी फर्स्ट इन्डियन ।

हिन्दी में कह देता हूं, उसको सबसे पहले हिन्दुस्तानी होना चाहिये, जो भारत की सत्ता को सहालता है उसको महसूस करना चाहिये कि मैं भारतीय हूं । अगर आप अपने आपको भारतीय महसूस करते हैं तो आज जो हमारी जमीन पाकिस्तान के नीचे पडी हुई है, उसको क्यों नहीं छुडाते और यहां बंगलों में रेशमी गद्दों पर बैठ कर ऐश करते हैं ।

तो फर्स्ट ही शुड बी इन्डियन । उसके बाद आता है एच· · ·

श्री **अध्यक्ष** : जी ए एन रह गये ।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : ये उल्टे हैं ।

श्री **विजयसिंह** : यह सरकार उल्टी चलती है इसलिये इसको उल्टे में ही समझाता हूं ।

श्री **अध्यक्ष** : लेकिन आपको अभ्यास हो जायगा उल्टा चलने का ।

श्री **विजयसिंह** : मेरा अभ्यास उल्टा चलने का नहीं होगा । एच का अर्थ है ओनेस्ट भारतीय है तो उसको ओनेस्ट होना चाहिये । ईमानदार होना चाहिये । ईमानदारी कहां है, अभी बताऊंगा कि भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है ।

ओनेस्ट के बाद आता है डी . डी . का मतलब है ड्यूटीफुल होना चाहिये । और जो ड्यूटीफुल हुआ, ओनेस्ट हुआ और इन्डियन हुआ तो उसकी डिक्सनेरी में एन . का नोट नहीं आयेगा । पर आज मंत्रीजी को कहते हैं कि यह काम हमारे यहां होना चाहिये तो वे कहते हैं नोट ।

ए . से एक्टिव । देन ही शुड बी एक्टिव । एक्टिव होने से ही हिन्दुस्तान का भला हो सकता है । इन्डियन हुआ, ओनेस्ट हुआ, एक्टिव हुआ तो जी फोर जनरस, उसको जनरस भी होना चाहिये· ·

श्री **मनोहरसिंह मेहता** : इधर से ही शुरू करते ।

श्री **विजयसिंह** : गांधीजी ने सोचा था कि मेरे मरने के बाद न जाने क्या होगा इसलिये वे तीन बन्दर छोड कर गये । आपको सब को पता है जापान तक महात्मा गांधी के तीन बन्दर प्रसिद्ध हैं, जापान वाले भी मानते हैं कि गांधीजी के बन्दर हैं । वे बन्दर कानों में मुंह पर अंगुली लगाये हुए हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : समझे हुए हैं पहले ही ।

श्री विजयसिंह : ये समझते नहीं हैं उल्टे चलते हैं । इन्होंने उसका अर्थ उल्टा समझ लिया है यह **मैं** बता रहा हूं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उल्टा क्यों विश्लेषण किया ?

श्री विजयसिंह : आप उल्टे हैं, उल्टे में ही समझते हैं ।

जो एक बन्दर मुंह पर अंगुली लगाये बैठा है उसके लिये ये कहते हैं कि बोलना क्या

(श्री विजयसिंह)
है, जो कुछ दे दे वही ले लो, खाओ पीओ, ऐश करो। आंखों पर अंगुलियां रखे हुए हैं ...

श्री अध्यक्ष : बहुत पुरानी बात हो गई, कई बार कह दिया गया।

श्री विजयसिंह : पुरानी को नई कर देता हूं। ये कहते हैं कि आंख मींच कर लिये ही जाओ, छोडो मत, तो कोई कहता है कि लोग गालियां निकालेंगे तो ये कहते हैं कि सुनते ही क्यों हो, कानों में अंगुलियां डाल लो।

अब बताता हूं बजट का सवाल, आपको बजट में फायदा चाहिये। लाखों रुपयों का सरकार को राजस्थान के अन्दर फायदा चाहिये तो दो चार छोटी छोटी बातें बताता हूं जिनसे राजस्थान में फायदा हो सकता है। राजस्थान में फायदा कैसे हो सकता है ? बिजली की स्कीम चालू है पर जिस प्रकार कांग्रेस आज डगमगा रही है वैसे ही आपकी बिजली राजस्थान में चल रही है। इस बिजली से फायदा उठाओ। 40 पैसा पर यूनिट और ड्यूटी ऊपर से इस प्रकार 49 पैसा पर यूनिट आप वसूल करते हैं और इस पर आपको खर्चा कितना आता है, फिर भी घाटे में चल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बिजली के कनेक्शन्स दो, जहां बिजली पहुंची हुई है वहां उस बिजली को मजबूत करो, इस बिजली से पैसा कमाओ और व्यापारी की तरह पैसा कमाओ, जिस प्रकार की कांग्रेस सरकार है वैसे मत कमाओ। अगर यह उद्योग किसी व्यापारी के पास होता तो मैं सही कहता हूं करोडों रुपया कमा लेता। जो व्यक्ति सिंध से पाकिस्तान से आये थे उन लोगों ने मीठी गोलियां बेच बेच कर, पापड बेच बेच कर बडी बडी दुकानें खडी कर लीं, बिल्डिगें खडी कर लीं। पर बडे आश्चर्य की बात है कि करोडों रुपयों का राजस्थान सरकार इन्वेस्टमेन्ट करे और उसे फायदा नहीं हो, यह कितनी शर्म की बात है ?

बिजली के द्वारा हम करोडों रुपया कमा सकते हैं। सही ढंग से काम करें। पर इस के लिये अक्ल की आवश्यकता है, अक्ल कांग्रेस वालों में है ही नहीं, पता नहीं कहां बेच कर आ गये, अगर अक्ल हो तो करोडों रुपया कमा सकते हैं और राजस्थान का भला हो सकता है, मैं सही कहता हूं, अक्ल से काम लें, पैसा कमाने की नीति सही ढंग से रखें। अगर आप राजस्थान का उद्धार चाहते है, भला चाहते है तो जैसे कलकत्ता में वहां के लोग खिलाफ हैं; उनको यहां बुलाइये, उनको यहां पर सैटल कीजिये, जैसलमेर में सैटल करिये और जैसलमेर का काश्मीर बना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सीधे जैसलमेर भेज दिया जाय उनको कलकत्ता से ?

श्री मदनसिंह : मैं माननीय सदस्य को सुझाव दूंगा जैसलमेर में इन मन्त्रियों को बसाओ।

श्री अध्यक्ष : बिजली का हो गया, अब सिचाई पर आ जाएं।

श्री विजयसिंह : सिचाई मेरे एरिया में कम है।

अब सवाल आता है माइन्स का। माइन्स के अन्दर पत्थरों का ढेर पडा है, मकराने के आस पास, पर निकालने वाला नहीं, निकालने वाले हैं तो यह सरकार नहीं निकालने देती। सैकडों अर्जियां पडी हैं, परन्तु हमारी सरकार

(श्री विजयसिंह)

उनको प्रोत्साहन नहीं देती और जो माइन्स हैं दो दो तीन तीन लोगों को इकट्ठा कर देते हैं ताकि आपस में मारपीट करते रहें और सरकार के लोग अपना उल्लू सीधा करते रहें और वे पैसा कमाते रहें। इस प्रकार से सरकार को फायदा नहीं होने वाला है। सरकार ढंग से काम करेगी तो फायदा होगा। आप माइन्स को डवलप करें। मकराना के चारों ओर सडकें बनायें। बिजली के अन्दर स्थिरता लायें, पानी की समस्या जल्दी से जल्दी हल करें। अकेला मकराना ही आपको लाखों रुपए देगा, वह कम से कम आपको 50 लाख रुपया देगा। आपको तरीका नहीं आता है। आप कहते हैं कि उद्योग पनप रहे हैं, उद्योगों को आप नहीं पनपाना चाहते। जो जानकार हैं उनको विदेश भेजें ताकि मशीनों के बारे में वे स्टेडी करें। जो सैकडों वर्ष पुरानी प्रथा है वह अभी तक चल रही है। एक एक दिन ढाई इंच के पत्थर की चढाई में लग जाता है जबकि 4 गुना लाभ हो सकता है।

इसके अलावा आज तहसीलों में क्लर्कों की कमी है। काम तो बढ गया है और क्लर्क कम। तो क्या होता है, वे काम नहीं कर पाते ह और फिर पैसा खाते हैं। दूसरी तरफ पंचायत समितियों में काम नहीं है, क्लर्क फालतू बैठे रहते हैं, आपने ज्यादा क्लर्क दे दिए। आज ग्राम सेवक के पास काम नहीं। कांग्रेस फिजूल पैसा खराब करती है, कुछ भला नहीं कर पाती। यह जो बजट भाषण वित्त मंत्री ने बनाया है उसको कम से कम एक हफ्ता तो बनाने में लगा होगा, यह जो किताब लिखी है यह बेकार में क्यों जाती है, यह बजट बेकार में नहीं जाना चाहिए। जहां तहसीलों में क्लर्कों की जरूरत है वहां बढाइए और सुविधायें दें और इस प्रकार का ऐलान कर दें कि इतने दिन के अन्दर यह काम कर पायेंगे, फिर देखो कितने कागज निकलते हैं, ज्यादा कागज निकलेंगे। जब पैसा जमा होगा अपने आप बजट घाटे में नहीं रहेगा। पैसा जमा होता जायगा।

आपको वसूल करने का तरीका नहीं आता। एक रुपया वसूल करने पर 14 आना खर्च करते हो। इस प्रकार से वसूल करते हो। इससे अच्छा तो बैंक में खाता रख दो, पोस्ट आफिस में खाता खोल दो। एक आदमी बैठ जाय उसकी तनख्वाह दे दो, कम से कम तीन चार खर्च करने से आपका काम बन जायगा। अगर मैं राजस्थान का वित्त मंत्री होता, बिल्कुल सही निवेदन कर रहा हूं···

श्री मदनसिंह : सारे राजस्थान में मकराने के रोड्स बनवा देते।

श्री विजयसिंह : दो साल से कीमतें बढती जा रही हैं। जब किसी चीज की कीमत बढती है तो व्यापारी उसका ज्यादा भाव बढाने की कोशिश करते हैं। चीनी पर नियंत्रण कर दिया, उसको ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं, आप फ्री कर दो, कोई नहीं खाएगा। यह काला बाजार अपने आप खत्म हो जायगा और राज्य सरकार···

श्री अध्यक्ष : सब चीज फ्री कर देनी चाहिए ?

श्री विजयसिंह : बिल्कुल। हम सब हिन्दुस्तानी हैं। हम पर भरोसा रखना चाहिए। यह बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ !

श्री मदनसिंह (श्री मोहनलाल मोदी के खड़े होने पर) : कांग्रेस की तरफ से फौजी भाई का भाषण होना चाहिए।

श्री मोहनलाल मोदी : अपने भाषण में माननीय सदस्य ने कहा कि एक एक माइन दो दो तीन तीन आदमियों को दी जाती है और फिर आपस में लड़ाते हैं। अगर मिसाल हो तो बता दें।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मंत्री के भाषण को अच्छी तरह से ध्यान से सुना है और उसको पढ़ा भी है लेकिन उसके अन्दर पैरा 84 में मुझे उसका सारांश मिला। उसके लिए मैं वित्तमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं। वित्तमंत्रीजी ने पानी पीकर किसानों का गला घोटा है और जैसे एक माननीय सदस्य अभी कह रहे थे चूड़ियों और चूनरियों पर कर लगा दिया। इससे राजस्थान की स्त्रियों पर कर लगाया है। वित्तमंत्राणी पर भी लगा है। हमारी तरफ जब गुड़ पड़ता है तो एक आदमी आया और चर्खी चलाने वाले के घर बैठना शुरू कर दिया। उनको कहा अच्छा आदमी है, मीठा खिला दिया। इस तरह वित्तमंत्री कहते हैं कि चुंगी समाप्त कर दी और किसानों को थोड़ी थोड़ी भेली लेकर मार दिया।

अध्यक्षः जो···

श्री अध्यक्ष : हां जी।

श्री जगन्नाथ : भू-राजस्व पर अधिभार जहां कुछ नहीं था वहां 50 रुपया कर दिया। 50 पैसा प्रति रुपया कर दिया जिनका भू-राजस्व 50 रुपए से ज्यादा है और 50 से 75 हो गया डेढ़ा हो गया। फिर क्या फरमाते हैं 100) से 150) तक 75 पैसा। तो उससे यह रुपया बनता है। 149 रुपए काश्तकार से·······

श्री अध्यक्ष : सदन का समय सदन की अनुमति से 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। मेमोरेंडम भी प्रस्तुत करना है।

श्री जगन्नाथ : वित्त मंत्रीजी ने किसानों के ऊपर एक बड़ा भारी कर लगाया जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। जिसका 150 रुपया है तो 199 रुपया होगा। उसका तो बिलकुल ही सफाया कर दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 30 स्टेन्डर्ड एकड़ से अधिक जोतों (होल्डिंग्स) पर अधिभार की दर भू-राजस्व का 150 प्रतिशत होगा। मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि मेरे इस प्रस्ताव का वजन छोटे जोत वाले किसानों पर न पड़े··

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं या वित्त मंत्री ?

श्री जगन्नाथ : और इसलिये 10 एकड़ से कम जोतें अधिभार से मुक्त रहेंगी। दस एकड़ जमीन अधिभार से मुक्त रखी है। 16 बीघा हो गयी चाहीं। 20-25 बीघा जमीन किसी के पास हुई तो दस रुपया बीघा भी हुआ तो 160 रुपया लगा दिया। सारे भाषण में, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जाता क्यों कि माननीय सदस्य महारथीजी उधर विराजे हुए हैं डंडा लगा कर छुडावेंगे। आपने किसानों का गला घोटा है इसलिये मैं हाथ नहीं उठाऊंगा।

कई माननीय सदस्य : (श्री पृथ्वीराज के बोलने के लिए खड़े होने पर) इनको बोलने दीजिये।

Page No 116

श्री अध्यक्ष : मैं अभी समय दे दूंगा।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो मेमोरेन्डम पांचवें वित्त कमीशन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसकी प्रति सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री पृथ्वीराज पटेल : अध्यक्ष महोदय, 125 रुपया तो टैक्स का लगा दिया। 15 रुपया रोजाना मजूरी का होवे। पानी नहीं कुआ में। एक बीघा पर कितनी पैदावार समझो ? चवदह पीढ़ी हो गयी खेती करतां। राजा महाराजा का समय सूं खेती करता आया। घास फूस का घर है। किसानों पर टैक्स लगाओ यो कश्यो प्रजातन्त्र है ? किसानों का फटा कपडा लत्ता होवे। छोरा छोरी किस तरह पालेगा ? सारा टैक्स किसानों पर आ रहा है। मैं तो इसके विरोध में हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5-7 म. प. पर गुरुवार दिनांक 13-3-69 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 259 की सूची)

वर्ष 59-60 से वर्ष 68-69 तक दिये गये पशु मेले के ठेके की सूची :-

1.	वर्ष 59-60	श्री गणपत सिह जहूर मोहम्मद
2.	वर्ष 60-61	श्री ग्यारसीलाल पुत्र शिवसहाय
3.	वर्ष 61-62	श्री ग्यारसीलाल पुत्र शिवसहाय
4.	वर्ष 62-63	श्री ग्यारसीलाल पुत्र शिवसहाय
5.	वर्ष 63-64	श्री नसीर अहमद
6.	वर्ष 64-65	श्री जहूर मोहम्मद
7.	वर्ष 65-66	श्री अब्दुल लतीफ अब्दुल करीम
8.	वर्ष 66-67	श्री अम्मु हबीब
9.	वर्ष 67-68	श्री दीनमोहम्मद अब्दुल शकूर
10.	वर्ष 68-69	श्री दीनमोहम्मद अब्दुल शकूर

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 261 की सूची)

थाना पीलवा, तहसील परबतसर में 1967 व 1968 में हुई चोरियां, कत्ल व डकैती की ग्रामवार सूची।

क्र. सं.	नाम गांव	1967 नतीजा चोरी हुई	1967 नतीजा चोरी गया	1967 नतीजा बरामद हुआ	1967 कत्ल	1967 डकैती	1968 नतीजा चोरी हुई	1968 नतीजा चोरी गया	1968 नतीजा बरामद हुआ	1968 कत्ल	1968 डकैती
1.	बस्सी	1	..	..	..	..	1	20)	20)	..	..
2.	जंजीला	1	1100)	..	..	..	..	..	..	..	..
3.	खोखरीया	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..
4.	मानपुरा	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5.	हुन्डीया	1	12)	12)	..	..	1	500)	500)	..	..
6.	पवालिया	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7.	खेडीखिवस	1	100)	100)	..	..	..	..	..	..	..
8.	मकरी	1	512)	100)	..	..	..	..	..	..	..
9.	जावला	..	..	..	..	..	1	80)	..	..	..
10.	मालास	..	..	..	..	..	1	150)	25)	..	..
11.	पीह	..	..	..	..	..	1	10)	10)	..	..
12.	खानपुर	..	..	..	..	..	1	150)	..	..	..
13.	बाजवास	..	..	..	..	..	1	1200)	..	..	..
14.	वान्डेडा	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
15.	पीलवा	..	..	..	..	..	2	80)	..	..	..
16.	थोलिया	..	..	..	..	..	1	600)	..	..	..

17.	रावडियाद	..	..	..	..	..	..	1	1000)	300)	..	..
18.	वयाल ..	..	..	..	..	..	..	2	300)	30)	..	..
19.	हथेली ..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
20.	मेहवाल ..	..	..	..	..	..	..	1	200)	300)	..	..
21.	रिड ..	..	..	..	..	..	..	1	60)	60)	..	..
22.	चारणवास	..	..	..	..	..	..	1	4240)	4240)	..	..
23.	सिटावट ..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
24.	लखीयास	..	..	..	..	..	..	1	75)	..	..	..
25.	नरमा ..	..	..	..	..	..	..	1	150)	150)	..	..

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 269 की सूची)

निवाई के पहाड़ में दी हुई लीजों का वर्णन

स्टेटमेन्ट

नाम पट्टाधारी	खनिज	मयाद पट्टा	वार्षिक डेडरेन्ट	एक्सेज रायल्टी	राज्य सरकार को वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6
प्रधान खनिज:—					
श्री सत्यनारायण	सोप स्टोन	20 वर्ष दिनांक 11-12-63 से	रु. 4046.75	63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 900-34 निल 1471-87 निल निल निल	लगभग रु. 4500)
सागरमल मोदी श्री हरिश व्यास	(घीया पत्थर) आइरन ग्रोर (लौहर धातु) तथा सिलिका सेंन्ड	30 वर्ष दिनांक 10-2-65 से	रु. 2158.25		निल लगभग रु. 2158)
अप्रधान खनिज:—					
श्री नंद किशोर शर्राफ	कंकर एवं मौरम	वर्ष 5 दिनांक 18-3-67	रु. 501.00	67-68 149.40	लगभग रु. 650)
बेजा पत्थर पर रायल्टी:—					लगभग रु 4000)
विभाग द्वारा वसूल की जा रही है जो 1-5-68 से 31-12-68 तक रु. 2718.57 हुई जिसके आधार पर औसत सालाना आय लगभग रु. 4000) बनती है।					
				योग : रु.	11308.00

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 270 की सूची)

विभिन्न जिलों से सम्बन्धित सैनिकों से भू-आवन्टन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का विवरण।

क्र. सं.	जिलों का नाम	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	कुल संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जयपुर	3	1	1	7	18	171	182	277	370	
2.	नागौर	..	..	..	5	30	22	15	25	97	
3.	सीकर	..	..	1	2	28	26	28	35	120	
4.	झुन्झुनू	..	..	..	2	37	56	28	38	161	
5.	अलवर	..	..	..	..	15	27	13	29	84	
6.	बीकानेर	..	..	..	..	13	6	2	3	24	
7.	अजमेर	..	..	..	..	5	12	12	5	34	
8.	कोटा	..	..	..	..	1	11	4	3	19	
9.	उदयपुर	..	..	..	..	..	8	1	1	10	
10.	पाली	..	..	..	..	2	2	1	6	11	
11.	टोंक	..	..	..	..	2	3	1	5	11	
12.	भरतपुर	..	..	..	..	9	2	9	6	26	
13.	सवाई माधोपुर	..	..	..	..	3	3	1	5	12	
14.	चूरू	..	..	..	..	9	11	3	4	27	
15.	जोधपुर	..	..	..	..	12	13	9	13	47	
16.	गंगानगर	..	..	..	..	6	7	4	9	26	
17.	जैसलमेर	..	..	..	..	..	2	..	..	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	बाडमेर	..	..	..	..	..	2	..	1	3	
19.	पंजाब	..	..	..	..	9	13	9	10	41	
20.	चित्तौडगढ	..	..	..	..	1	1	1	4	7	
21.	दिल्ली	..	..	..	..	1	4	4	6	15	
22.	पूना	..	..	..	..	1	..	..	1	2	
23.	बेंगलौर	..	..	..	..	..	1	..	..	1	
24.	भीलवाडा	..	..	..	2	..	1	1	..	4	
25.	बांसवाडा	..	..	..	..	..	..	2	..	2	
26.	बून्दी	..	..	..	..	..	1	..	..	1	
27.	कानपुर	..	..	..	..	..	..	..	2	2	
28.	विभिन्न	..	..	5	3	29	74	58	85	254	
									योग	1734	

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न सं. 271 की सूची)

सूची मालिकान मवेशी माल मशरूका मुकदमा नं. 80 ता. 12-11-67 धारा 406, 420, 381, 414 पुलिस थाना सरवाना मण्डल जालौर।

क्र.सं. 1	नाम 2	जाति 3	गांव 4
1.	कायम पुत्र सुभरा	मुसलमान	मीठाखागला बचल पुत्र मोहम्मद हींगोला सिन्धी 26 गायें ले गया।
2.	लतीफ पुत्र तैया	मुसलमान	पीपराला बचल 13 गायें ले गया।
3.	भीमाराम पुत्र कायराम	ब्राह्मण	खेजडीयाली बचल 2 बैल ले गया।
4.	दलपतसिंह पुत्र सरूपसिंह	राजपूत	खेजडीयाली बचल 2 गायें ले गया।
5.	अचल पुत्र साहर	मुसलमान	मीठाखागला सुलेमान पुत्र अबदुला सा. मीठाखागला 1 घोडी 2 बैल ले गया।
6.	कालूडा पुत्र कोजा	भांबी	रडका बचल 2 गायें ले गया।
7.	आलम पुत्र कादू	मुसलमान	रडका बचल 1 गाय 1 टोगडा ले गया।
8.	रूपसी पुत्र कासीराम	ब्राह्मण	मीठाखागला सायना पुत्र सावन 6 गायें 2 टोगडी ले गया।
9.	मोहबत पुत्र बच्चु	मुसलमान	रडका बचल 1 गाय ले गया।
10.	भेरा पुत्र मूला	राजपूत	वाखासर सुलेमान 5 गायें ले गया।
11.	माना पुत्र बीरा	रेबारी	जोडादर हुसैन 2 गायें ले गया।
12.	नारायण पुत्र खेडा	भील	भीडा बचल 5 गायें ले गया।
13.	सतीया पुत्र सोना	सीहानीया	भीडा बचल 5 गायें ले गया।
14.	पीया पुत्र भीमा	भील सा. भीडा	भीडा बचल 2 गायें ले गया।
15.	हरलाल पुत्र गंगाराम	रेबारी	मडादिया लाल पुत्र पीरबक्स 14 बकरीयें ले गया।
16.	सवा पुत्र जगसी	,,	मोरठीवा सुलेमान 8 गायें ले गया।
17.	राता पुत्र लखा	,,	जोडीयाली हुसैन 11 गायें 2 भैंसें ले गया।
18.	गणपतसिंह पुत्र राणासिंह	राजपूत	खेजडीयाली सावन पुत्र अलीम 1 गाय ले गया।
19.	भवाराम पुत्र लीखमा	ब्राह्मण	नेसडा (गुजरात) बचल 5 गायें ले गया।
20.	हेमरा पुत्र बीरा	रेबारी	बारदु (गुजरात) 2 गायें हनीफ ले गया।
21.	मोहम्मद पुत्र बचल	मुसलमान	मीठाखागला 1 घोडी हनीफ ले गया।
22.	काना पुत्र भगवाना	मोरल	मीठाखागला 3 गायें अमल ले गया।
23.	मनरूपा मूला कलजी	,,	मीठाखागला 1 गाय अमल ले गया।

1	2	3	4
24.	मल्ला पुत्र हुकमा	मोरल	मीठाखागला 4 गायें अमल ले गया।
25.	गंगदा पुत्र नारायण	कलबी	मीठाखागला 1 हनीफ ले गया।
26.	लाधा पुत्र कल्ला	कोली	गीडा 1 गाय बचल ले गया।
27.	मेंघराज पुत्र मीरा	रेबारी	चोटी 7 गायें हुसेन ले गया।
28.	किशना पुत्र मांगीजागरी	भवातडा	चोटी 2 गायें हनीफ ले गया।
29.	केसरा पुत्र रुगनाथ जी	राजपूत	मेरल 2 गायें हनीफ ले गया।
30.	करमसी पुत्र बीरा	रेबारी	मोरल 2 ,,
31.	हेमा पुत्र परागा	कलबी	मोरल 1 ,,
32.	राजा पुत्र लाला	,,	मोरल 3 ,,
33.	ललगतीरा पुत्र हेमा	रेबारी	मोरल 3 ,,
34.	आम्बा पुत्र नरसींग	,,	भोरल 2 ,,
35.	अण्दा पुत्र सदा	कलबी	चोटील 4 ,,
36.	लालू पुत्र गांधी	रेबारी	कीतलवाडा 50 गायें अमल ले गया।
37.	सेदा पुत्र जीता	,,	रेब 44 दोलू ले गया।
38.	रूगा पुत्र नरसिंहगा	रेबारी	भारेल 1 गाय हनीफ ले गया।
39.	वस्सी पुत्र डूगरा	,,	भोरल 1 ,,
40.	हाजी पुत्र इस्क	मुसलमान	इटादू 2 गायें लाईना ले गया।
41.	मानसिंह पुत्र करना	दर्जी सो.	ईटादू 1 ,,
42.	मोती पुत्र फूला	कोली	कोतखेडा 6 गायें सुलेमान ले गया।
43.	तुलछा आदू	जाट	गीडा 4 बचल ले गया।

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची)

सूची

क्र. सं.	नाम	नाम तहसील व ग्राम	खसरा नं.	रकवा
1.	श्री नवलबिहारी शर्मा, निवासी मालपुरा	त. झालरापाटन ग्राम गोकुलपुरा	6	31।।।) 4
2.	श्री प्रभुलाल लोधा	त. झालरापाटन, ग्राम गोविन्दपुरा		14) 2

परिशिष्ट 7

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

बांसवाडा जिले के छात्रावास

274. श्री नाथूराम (बागीडोरा सु.): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बांसवाडा जिले में कितने विभाग के एवं कितने सहायता प्राप्त गैर सरकारी आदिवासी छात्रावास हैं तथा कहां 2 व कब-कब आरम्भ हुए हैं और प्रत्येक की स्वीकृती क्षमता कितनी–कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि आदिवासी छात्रावास गढ़ी पुराना छात्रावास है, गढी में सेकण्ड्री स्कूल में विज्ञान की पढाई होती है बहसंख्या आदिवासियों की है, छात्रावास के आदिवासियों की संख्या में वृद्धि के लिए बराबर प्रार्थनाएं आने पर भी सिवाय दस की वृद्धि के कोई कार्यवाही नहीं की गई जब कि पीछे खुलने वाले छात्रावासों में अधिक संख्या स्वीकृत हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिले के विभागीय एवं सहायता प्राप्त गैर सरकारी आदिवासी छात्रावासों का आन्तरिक निरीक्षण नहीं किया जाता है ? यदि नहीं, तो किस छात्रावास का कब-कब आन्तरिक निरीक्षण किया गया व उसके परिणाम क्या रहे ?

उत्तर

(1) बांसवाडा जिले में 6 राजकीय तथा 12 अनुदानित आदिवासी छात्रवास चलाये जा रहे हैं जिनके स्थान, प्रारम्भ होने की तिथि, स्वीकृत छात्र संख्या की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) यह सही नहीं है कि गढी ही पुराना छात्रावास है बल्कि बांसवाडा जिले में सज्जनगढ व घांटोल गढी से कहीं ज्यादा पुराने छात्रावास हैं । छात्रावासों में संख्या वृद्धि, आवश्यकता, मांग, भवन की पर्याप्तता व वित्तीय प्रावधानों के आधार पर की जाती है न कि नये व पुराने के आधार पर । वित्तीय वर्ष 68-69 में घांटोल को छोडकर बांसवाडा के किसी भी छात्रावास में गढी के मुकाबले की संख्या वृद्धि नहीं की गई ।

(3) जी नहीं । राजकीय छात्रावासों का निरीक्षण जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारियों एवं विभागीय आडिट पार्टी द्वारा किये जाते रहे हैं । अनुदानित छात्रावासों का निरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के द्वारा किया जाता है और उनके जांच प्रमाण-पत्र के अनुसार विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है । बांसवाडा जिले के राजकीय छात्रावासों का निरीक्षण विभागीय आडिट पार्टी द्वारा निम्न प्रकार किया गया:–

(1) राजकीय कन्या छात्रावास बांसवाडा माह दिसम्बर 63 व जनवरी, 64

(2) राजकीय बालक छात्रावास सज्जनगढ माह दिसम्बर 63 व जनवरी, 64

(3) राजकीय बालक छात्रावास गढी, माह दिसम्बर, 63 व जनवरी, 64

(4) राजकीय बालक छात्रावास घांटोल माह दिसम्बर, 63 व जनवरी, 64

निरीक्षण रिपोर्ट में जो कमियां पाई गई हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है ।

बांसवाडा जिले में 6 राजकीय छात्रावास तथा 12 अनुदानित छात्रावास चलाए जारहे हैं उनकी सूची (अ)

क्रमांक	नाम छात्रावास	स्थान	प्रारम्भ करने की तिथि	स्वीकृत छात्र संख्या
1	2	3	4	5
1.	अनुसूचित जनजाति छात्रावास बांसवाडा	बांसवाडा	12-2-52	50
2.	अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास	बांसवाडा	10-1-56	35
3.	अनुसूचित जनजाति छात्रावास	सज्जनगढ	26-2-56	35
4.	अनुसूचित जनजाति छात्रावास	गढी	9-1-58	40
5.	अनुसूचित जनजाति छात्रावास	घाटोल	10-8-59	90
6.	अनुसूचित जनजाति छात्रावास	कुशलगढ	2-7-64	40

अनुदानित छात्रावास

1.	गांधी आश्रम छात्रावास	भरतापुर	52-53	50
2.	गांधी आश्रम छात्रावास	खमेरा	54-55	25
3.	आदिवासी छात्रावास	जोलाना	54-55	25
4.	आदिवासी छात्रावास	वागी डोरा	54-55	25
5.	आदिवासी छात्रावास	अर्थूना	55-56	25
6.	आदिवासी छात्रावास	बडी सरेडी	57-58	25
7.	आदिवासी छात्रावास	चादरवाडा	57-58	25
8.	गांधी आश्रम छात्रावास	कुशलगढ़	64-65	25
9.	आदिवासी छात्रावास	भूखिया	65-66	25
10.	आदिवासी छात्रावास	खोडन	66-67	25
11.	आदिवासी छात्रावास	मूंगडा	68-69	25
12.	आदिवासी छात्रावास,	खोडन	66-67	20

राजकीय प्राथमिक शाला सरदार शहर के भवन का किराया

275. श्री **दौलत राम सारण** (डूंगरगढ़) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक शाला नं. 8 सरदार शहर के भवन का किराया 1-1-1966 से आज तक नहीं दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक किराया न देने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि भवन का अप्राप्य प्रमाण-पत्र और फेयर रेण्ट सर्टिफिकेट अधिकृत अधिकारियों द्वारा समय पर प्राप्त कर लिये गये थे । यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह सही है कि निरीक्षक शिक्षा विभाग, चुरू द्वारा मनमानी गलत सूचनाओं और लगातार उपेक्षा के कारण इस स्कूल भवन का किराया चुकाने में इतना विलम्ब हुआ है ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) मकान मालिक के सरदार शहर में तीन मकान हैं । पहले यह शाला मकान नं. 1 में 15 रु. माहवार पर चलती थी। मकान मालिक ने प्रधानाध्यापक से मिलकर इस शाला को मकान नं. 2 में बिना विभाग की इजाजत के बदला, जिसका किराया 37) रु. महावार अदा किया गया। फिर मकान मालिक ने इस नं. 2 के मकान में मरम्मत के बहाने से इसे भवन नं. 3 में प्रधानाध्यापक से मिलकर बिना विभाग की इजाजत के थोडे समय का लिखित आश्वासन देकर बदला । फिर इसी भवन का किराया 71) रु. महावार बिना विभाग की सहमति से कूंत करवाकर भुगतान की मांग की जो उचित नहीं थी। प्रथम तो विभाग मकान नं. 2 का जो किराया था, वह मालिक द्वारा वाउचर पेश करने पर दे सकता है । दूसरे मकान नं. 3 के थोडे नीचे के भाग में ही शाला चली जब कि किराया पूरे भवन का कूंत करवा लिया गया अत: जो भाग शाला के काम ही नहीं आया उसका किराया नही दिया जा सकता ।

(3) भवन अप्राप्य प्रमाण-पत्र तो जिलाधीश चुरू से दिनांक 1-11-66 को प्राप्त किया लेकिन फेयर रेन्ट सर्टीफिकेट बिना न. व तारीख का प्राप्त हुआ और मालिक ने स्वयं उपस्थित होकर प्रेषित किये ।

(4) जी नहीं । मकान मालिक द्वारा वाउचर देने पर 37) रु. माहवार किराया दिया जा सकता है । 71) रु. माहवार किराया नहीं दिया जा सकता है ।

बीकानेर में उस्तों की बारी के बाहर चोरियां

276. श्री **केदारनाथ** (गंगानगर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर में उस्तों की बारी के बाहर गत 4 माह में कितनी चोरियां हुई और उसमें कितनी बरामद की गई ?

(2) क्या यह सही ह कि चोरी की रिपोर्ट करवाने पर भी थानेदार कभी मौके

(श्री केदारनाथ)
पर नहीं आते ग्रौर रिपोर्ट करने वाले को ही घबरा देते हैं।

उत्तर

(1) बीकानेर में उस्तों की बारी में गत 4 माह में केवल 1 चोरी का अभियोग पंजिबद्ध हुआ। इस अभियोग में 2000) रु. के जेवरात चोरी गये। अभियोग अनुसंधानाधीन है और अभी तक कोई बरामदगी नहीं हो सकी है।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई बात वरिष्ठ अधिकारियों व राज्य सरकार के नोटिस में नहीं आई है। इस केस में भी एस. एच. ग्रो. कोतवाली, बीकानेर व अपर अधीक्षक सिटी, बीकानेर ने स्वयं घटना पर जाकर निरीक्षण किया था।

राजगढ़-सांगोद सड़क में ग्राई भूमि का मुग्रावजा

277. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी)–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजगढ-सांगोद सडक जिला कोटा में सांगोद से राजगढ तक कुल कितनी बीघा जमीन कब से सडक के नीचे ले ली गई है और उसका कितना मुआवजा आंका गया है।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने सडकों के नीचे आई हुई जमीन का शीघ्र मुआवजा चुकाने का आश्वासन दिया हुआ है ग्रौर इस कार्य को जल्द निपटाने हेतु एक विशेष तहसीलदार की भी नियुक्ति की हुई है?

(3) उपरोक्त सडक का अभी तक मुआवजा नहीं देने का क्या कारण है ग्रौर अब मुआवजा कब तक चुका दिया जायगा?

उत्तर

(1) वर्ष 64-65 तथा 65-66 में 401 बीघा 7 बिस्वा भूमि सडक के नीचे ली गई तथा 54,695.74 पैसा मुआवजा का आंका है।

(2) जी हां।

(3) अवार्ड दे दिया गया है आशा है अप्रेल 69 तक मुआवजा भुगतान हो सकेगा।

गन्ने की खरीद ग्रौर उसका मुग्रावजा

278. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौडगढ)–क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मेवाड शुगर मिल, भूपाल सागर द्वारा सन् 1967-68 में जो गन्ना खरीदा गया था उसका माह दिसम्बर सन् 1968 तक पेमेन्ट नहीं किया गया? यदि हां, तो कितनी धनराशि माह दिसम्बर, 1968 तक बाकी रही ग्रौर अब तक कितनी धन राशि दवाया है। बकाया धनराशि दिलाने की राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

(2) शुगर मिल भपाल सागर द्वारा गत वर्ष कितना गन्ना चित्तौडगढ जिले का किस-किस सेन्टर से खरीदा गया? वह कितने मूल्य का था ग्रौर इसका चुकारा किस तारीख को किया गया? सूची मदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने किसानों को एक आदेश द्वारा पाबन्द किया है कि गुड की चर्खियां नहीं चलावें और शुगर मिल को गन्ना बेचें। यदि हां, तो क्यों तथा उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार यह व्यवस्था करने का विचार रखती है कि किसानों के गन्ने का मूल्य कांटे पर तोलते वक्त उसी दिन पेमेन्ट कर दिया जावे।

उत्तर

(1) शुगर फेक्ट्री भूपालसागर ने सूचना दी है कि दिसम्बर, 1968 तक सिर्फ 6,179.25 रु. देना बाकी था। दिनांक 26-2-69 तक कुल 4,413 रु. बाकी देने रहे। मिल चुकारा करने में कोई आपत्ति नहीं कर रही हैं। काश्तकार आपसी झगड़े के कारण पैसा नहीं उठा रहे हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। किन्तु अब उस क्षेत्र के खन्डसारी युनिटों को भी अपने पास के इलाके से गन्ना खरीदने की इजाजत देने का निर्णय ले लिया गया है। और हर एक यूनिट से उनकी आवश्यकता एवं क्षेत्र के बारे में जानकारी मांगी गई है।

(4) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा मशीनों की खरीद

279. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा सन् 1962 से लेकर अब तक किस-किस प्रकार की मशीनरी कितने-कितने मूल्य में किस-किस वर्ष में, किस-किस प्रक्रिया से खरीदी गई है? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन मशीनों का किस-किस वर्ष में कितना-कितना उपयोग हुआ है और कितने-कितने समय तक ये मशीनें बेकार पडी रहीं?

(3). इन मशीनों को आपरेट करने के लिये जो स्टाफ लगाया हुआ है उस पर प्रति वर्ष कितना-कितना खर्चा आया है?

(4) इन मशीनों के क्रय करने का अधिकार किस-किस अधिकारी को है क्या यह सही है कि कई मशीनें बिना उपयुक्त अधिकारी की स्वीकृति के ही क्रय करली गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी और कब कब?

उत्तर

(1) नगर आयोजना विभाग में जो मशीनरी खरीदी गई, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन मशीनों का उसी वर्ष से जिसमें ये खरीदी गई, उपयोग हो रहा है। 1963 में खरीदी गई मशीनों का

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)
पूरा उपयोग बिजली का वोल्टेज कुछ समय ज्यादा आने की वजह से नहीं हो रहा है।

(3) मशीनों को आपरेट करने के लिये नया स्टाफ नहीं लगाया है। जो फोरमैन फेरो-फेम पर कार्य कर रहे हैं, वे ही व्यक्ति इन मशीनों पर कार्य कर रहे हैं।

(4) विभाग के अध्यक्ष को क्रय करने का अधिकार है। सब मशीनें विभागीय अध्यक्ष द्वारा क्रय की गई हैं।

सूची

(1) 1963 में अमोनिया फेरो प्रिन्टिंग मशीन नग 2 दर 7,125-00 रु. प्रति मशीन यह डी. जी. एस. डी. रेट से खरीदी थी।

(2) 1968 में अमोनिया फेरो प्रिन्टिंग मशीन नग 5 दर 4,240,00 रु. प्रति मशीन। यह टेन्डर मांग कर खरीदी गई थी।

ग्राम बामसीण की गोचर भूमि

280. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर):– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम बामसीण, तहसील सिवाना में सेटलमेंट रिकार्ड में कितनी गोचर जमीन दर्ज है ?

(2) क्या ग्राम पंचायत बामसीण ने गैर मुमकिन जमीन को गोचर करार करने के लिये तहसीलदार सिवाना एवं एस. डी. ग्रो. बालोतरा उप-खन्ड को प्रस्ताव भेजा ?

(3) उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाया गया ?

(4) राजस्व विभाग उक्त जमीन को कब तक गोचर करार देगा ?

(5) क्या उक्त जमीन पर इस वर्ष किसी ने नाजायज काश्त किया ?

(6) उस सम्बन्ध में रेवेन्यू विभाग के किस अधिकारी ने क्या कदम उठाया ?

(7) अगर कोई कदम नहीं उठाया तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम बामसीण में सेटलमेंट रिकार्ड में कोई गोचर भूमि दर्ज नहीं है ?

(2) ग्राम पंचायत बामसीण ने 28-4-65 को यह निर्णय लिया कि ग्राम में गोचर नहीं होने से, ग्राम के आसपास की भूमि गोचर घोषित की जाय। इस प्रस्ताव की एक प्रति तहसील सिवाना में भी भेजी गई। इस प्रस्ताव में किसी विशेष खसरा नम्बर की मांग नहीं की गई थी।

(3) इस प्रस्ताव के संबंध में खसरा नं. 62, 62, 3121353 क्षेत्रफल 670 बीघा को गोचर घोषित करने के लिये तहसीलदार सीवाना ने पत्रावली एस. डी. ग्रो. बालोतरा को भेजी। उक्त खसरा नम्बरों में से ख. नं. 62, 621353 श्री सुमेरसिह द्वारा अपने खातेदारी के खेत बताने से एस. डी. ग्रो. बालोतरा ने कागजात दुबारा जांच व रिपोर्ट के लिये तहसीलदार सिवाना को भेजे।

(राजस्व मंत्री)

(4) इसके सम्बन्धी कागजात अभी तहसीलदार सिवाना के पास विचाराधीन हैं जिन्हें शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

(5) उक्त कथित भूमि पर नाजायज काश्त के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

(7) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासियों तथा हरिजनों के होस्टल

281. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान में कितनी जगह आदिवासियों के तथा हरिजनों के होस्टल चल रहे हैं?

(2) क्या सरकार इन होस्टलस को बन्द करके अन्य चलने वाले होस्टलस में भर्ती कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो क्या इसी वर्ष के जुलाई माह से अलग चलने वाले होस्टलस को बन्द करके जितनी भी मदद दे सकती है, बालकों के अनुपात से उन होस्टलस को देगी, जिनमें आदिवासी तथा हरिजनों के बच्चों को प्रवेश मिल सकता हो तथा ऐसे होस्टलस को जो मेहतरों के बच्चों को लेने से मना करते हों, बन्द कर देगी?

उत्तर

(1) राजस्थान में आदिवासियों के 44 स्थानों पर राजकीय छात्रावास एवं 69 स्थानों पर अनुदानित छात्रावास चलाये जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के 42 स्थानों पर राजकीय छात्रावास एवं 40 स्थानों पर अनुदानित छात्रावास चलाये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। राजस्थान के विभिन्न भागों में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में 8113 छात्रों के रहन-सहन की व्यवस्था है। इन सबको न तो सामान्य छात्रावासों में प्रवेश देना ही सम्भव है और न ही राजकीय दूरवर्ती इलाकों में सामान्य छात्रावासों की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य के सामान्य छात्रावासों में 5 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रविष्ट करने के नियम पहले से ही विद्यमान हैं। अस्पृश्यता अपराध निरोधक कानून के अनुसार छूआ-छूत के आधार पर किसी भी छात्रावास में मेहतरों के बच्चों को प्रवेश करने से मना करना कानूनी अपराध है। वर्तमान व्यवस्था ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के बालकों के हित में श्रेष्ठ है। अतः किसी भी छात्रावास को बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता है।

पुस्तकों की खरीद के नियम एवं समिति का गठन

282. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा)-क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक एवं शिक्षा विभाग में पुस्तकों की केन्द्रीय

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
खरीद के लिये कोई समिति बनी हुई है ? अगर हां, तो कब से व इसके कौन-कौन सदस्य कब कब से हैं ?

(2) अब तक इस समिति द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें कब-कब कितनी-कितनी संख्या में किस-किस मूल्य पर खरीदी गई ?

(3) इन पुस्तकों के लेखक व प्रकाशक कौन-कौन हैं ?

(4) क्या पुस्तकों की खरीद के लिए कोई नियम बने हुए हैं ? अगर हां, तो प्रतिलिपि देने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां। आज्ञा दिनांक 19-7-65 के आधार पर समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. शिक्षा संचालक, अध्यक्ष,
2. अध्यक्ष, राज. साहित्य अकादमी, सदस्य
3. अधिकारी, साहित्यक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियां सदस्य
4. सचिव, राज. संगीत नाटक अकादमी, सदस्य
5. उप संचालक, शिक्षा विभाग उदयपुर कोटा मंडल, सदस्य
6. प्रोफेसर केदारनाथ एम. एल. ए., सदस्य
7. संचालक, जन सम्पर्क, कार्यालय या उनके प्रतिनिधि सदस्य
8. उप संचालक, समाज शिक्षा, बीकानेर । सदस्य

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सूचना भी उपरोक्त सूची में अंकित है ।

(4) खरीद के कोई नियम नहीं बने हुये हैं, परन्तु सरकार द्वारा गठित समिति के निर्णयानुसार पुस्तकों का क्रय किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

ग्राम बागडोली का बन्धा

283. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम बागडोली (तहसील बोंली) में कोई बन्धा सिवाय चक मकबूजा ठिकाना ईसरदा वाके है ? यदि हां, तो इसका क्या खसरा नम्बर एवं क्षेत्रफल है ।

(2) क्या राज्य सरकार की यह घोषित नीति है कि 50 एकड़ अथवा इससे कम क्षेत्र वाले बन्धों को ग्राम पंचायत को दे दिये जायं ? यदि हां, तो यह नीति राज्य सरकार ने किस वर्ष से अपनाई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बन्धा काश्त होता है ? यदि हां, तो इसके काश्तकारों से लगान वसूल हुआ है या नहीं ? यदि नहीं हुआ तो कब से और क्यों ?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(4) क्या यह सही है कि इस बन्धे को लेने के लिये पंचायत कई वर्षों से मांग कर रही है और इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत बागडोली ने जिलाधीश महोदय एवं तहसील को कई पत्र लिखे हैं? यदि हां, तो इसकी मांग ग्राम पंचायत कब से कर रही है ?

(5) यह बन्धा ग्राम पंचायत को दिये जाने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है ?

उत्तर

(1) जी हां, बन्धा सिवाय चक है व रिकार्ड में इसकी किस्म तालनी सरकारी भी दर्ज है। पेटा बन्ध में 657, 569, 573, 583 584 खसरा नम्बरान हैं और इसका क्षेत्रफल 60 एकड है।

(2) जी हां, यह नीति सरकार ने सन् 1956 से अपनाई है।

(3) जी हां, कोई लगान बकाया नहीं है।

(4) ग्राम पंचायत तहसील से इस बन्धे की मांग जुलाई, 68 से कर रहा है।

(5) राज्य सरकार के आदेश अनुसार ग्राम पंचायतों को 50 एकड या इससे कम पिलाई के क्षेत्रवाले तालाब को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाने हेतु अवाप्त भूमि और उसका मुआवजा

284. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रावतसर हनुमान गढ तक सडक के दोनों तरफ वृक्ष लगाए जा रहे हैं ? यदि हां, तो सडक के दोनों तरफ कितने फुट का क्षेत्र निश्चित किया गया है और क्या सडक के एरिया से बाहर भी वृक्ष लगाए गए हैं ? यदि हां, तो वह भूमि किसकी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सडक के दोनों तरफ काश्तकारों के खेत हैं ? यदि हां, तो उन काश्तकारों की कितनी भूमि से दोनों तरफ से बगैर एक्वायर किए ही वृक्ष लगाए जा रहे हैं और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों की भूमि जबरन कब्जा करके वृक्ष लगाए जा रहे हैं उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है। यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि भूमि पी. डब्ल्यू. डी. महकमा द्वारा कब्जा करने से पहले उन काश्तकारों को नोटिस तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा किस नियम से किया ?

(5) क्या यह सही है कि रावतसर से हनुमानगढ तक 23 मील का फासला है ? यदि हां, तो कुल कितने काश्तकार सडक के दोनों तरफ की भूमि में काश्त करते हैं और उनकी कितनी भूमि सडक के क्षेत्र में जबरन मिलाई जाकर उनमें वृक्ष लगाए जा रहे हैं ? भूमि कितनी कीमत की है ?

उत्तर

(1) जीहां, सडक के दोनों तरफ मध्य रेखा से 40 फुट की सीमा निर्धारित की है इस सीमा में आने वाले लोगों की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अभी सम्पूर्ण सडकपर पूर्ण नहीं हुई है।

Page No 135

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(2) जी हां। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है।

(3) काश्तकारों की भूमि जबरन से नहीं ली जा रही है। भूमि के मुआवजा भुगतान की कार्यवाही चल रही है।

(4) नोटिस प्रकाशित हो चुके हैं।

(5) रावतसर से हनुमानगढ की दूरी 23 मील है काश्तकार की भूमि जबरन नहीं ली जा रही है। भूमि का मुआवजा अभी नहीं आंका है।

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी

285. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली)–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को सरकार से प्रति वर्ष कितना अनुदान दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस अकादमी की स्थापना से ही इसका आडिट नहीं हुआ है ?

(3) इस अकादमी के तत्वावधान में गत पांच वर्षों में कितने कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं और उन पर कितना खर्चा हुआ है ?

(4) क्या उक्त कार्यक्रमों से अकादमी को कोई आय भी हुई है। यदि हां, तो कितनी है ?

(5) इस अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं ?

उत्तर

(1) प्रतिवर्ष एक लाख रुपयों का अनुदान दिया जाता है।

(2) अकादमी के स्थापना से प्रतिवर्ष में तीन आडिट होते हैं:–

1. चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा।

2. शिक्षा विभाग की आडिट पार्टी द्वारा।

3. महालेखाकार की. ओ. ए. डी. पार्टी द्वारा।

(3) गत पांच वर्षों में 128 कार्यक्रम आयोजित हुए हैं उन पर कुल 1,39,900 रुपये खर्च हुआ है।

(4) अकादमी अपनी सम्बन्ध संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रमों का संचालन करवाती है। कार्यक्रमों से जो आय होती है उसे भी संस्थायें कार्यक्रम के निमित्त उपयोग में ले लिया करती हैं।

(5) वर्तमान में श्री देवीलाल सांभर अकादमी के अध्यक्ष है।

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 137 की सूची)

नगर पालिका कपासन द्वारा सन् 1963 में जो भूमि दी गई उसकी तफतील

क्रमांक	नाम जिनको भूमि दी गई	लम्बाई फीटों में चौडाई		
1	2	3		
1.	श्री भैरूलाल चास्टा	(35॥	--	14)
2.	श्री मथुरालाल विजयवर्गीय	(60	--	40)
3.	श्री भंवरलाल विजयवर्गीय	(60	--	30)
4.	श्री लालूराम आंचलिया	(60	--	40)
5.	श्री भारतभूषण जैन	(60	--	40)
6.	श्री गोर्धनलाल विजयवर्गीय	(75	--	60)
7.	श्री शान्तिलाल राठौड	(100	--	50)
8.	श्री मथुरालाल मदादा,	(100	--	50)
9.	श्री शान्तिलाल राठौड	(100	--	50)
10.	श्री हीरालाल दर्जी	(28	--	22)
11.	श्री शिवलाल विजयवर्गीय	(55	--	25)
12.	श्री हरकलाल सिरोया	(39	--	39)
13.	श्री भैरूलाल बलाई	(20	--	21)
14.	श्री रामसिंह गूजर	(50	--	27)
15.	श्री शान्तिलाल राठौड	(100	--	8)
16.	श्री भंवरलाल विजयवर्गीय	(60	--	10)
17.	श्री भैरूलाल ढोली	(50	--	30)
18.	श्री मोहनलाल ढोली	(50	--	30)
19.	श्री शिवलाल विजयवर्गीय	(150	--	10)

Page No 137

परिशिष्ट 9

तारांकित प्रश्न संख्या 165 की सूची

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	वर्ष	स्वीकृत धनराशि राशि	शीर्ष
1.	मैनेजर, ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत कॉलेज, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	1960-61	2,000.00	37 शिक्षा-ख-माध्यमिक (बी) गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सीधे अनुदान 2-संस्कृत विद्यालय
2.	महामंत्री, अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन, देहली	1960-61	10,000.00	37-शिक्षा ई-सामान्य-डी विविध-4-विविध साहित्य के प्रोत्साहन के लिये अनुदान
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	प्रतिवर्ष	10,000.00	28-शिक्षा-(क) विश्वविद्यालय (ए) विश्व विद्यालयों को अनुदान-2 बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय को अनुदान, आयोजना भिन्न।

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. स. 179 की सूची)

कोटा जिले में जिन व्यक्तियों व फर्मों को पावर लूम लगाने हेतु लाईसेंस दिये गये उनकी सूची ।

क्रम संख्या	नाम व्यक्ति व फर्म जिसे पावर लूम लगाने का लाईसेन्स दिया गया	वर्ष	पावरलूम की संख्या
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय शक्ति चलित एवं हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., कैथून	1964	10
2.	आदर्श शक्ति चलित वस्त्र उत्पादक स. समिति, कैथून	1967	6
3.	श्री सत्यप्रकाश शर्मा, मार्फत रामस्वरूप वकील, गुमानपुरा, कोटा	1967	4
4.	श्री ओमप्रकाशसिंह मार्फत गोपाल इण्डस्ट्रीज, कोटा ..	1967	4
5.	श्री पुष्पचन्द जैन मैसर्स गुडकीलाल घासीलाल, बजाज खाना, कोटा	1967	4
6.	श्री गौरीशंकर पुत्र गुडकीलाल मोमिन, बजाजखाना, कोटा	1968	6

Page No 139

परिशिष्ट 11

(अ. ता. प्र. सं. 181 की सूची)

समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को दिये गये अनुदान की सूची (अ)

क्रमांक 1	वर्ष 2	धनराशि 3
1.	1951-52	99968
2.	1952-53	163285
3.	1953-54	125875
4.	1954-55	233145
5.	1955-56	254109
6.	1956-57	457242
7.	1957-58	479805
8.	1958-59	629601
9.	1959-60	1057929
10.	1960-61	1122117
11.	1961-62	932649
12.	1962-63	1071515
13.	1963-64	1082855
14.	1964-65	1314023
15.	1965-66	894975
16.	1966-67	1492690
17.	1967-68	1756285
	योग ..	13168068

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 1969)

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2		अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	शीर्षक		कर्यवाही	कार्यवाही
2	अन्तिम से	3	ह	है
8	,,	6	श्री पी. क. चौधरो	श्री पी. के. चौधरी
,,	,,	4	थो	था
9	शीर्षक		12 माच	12 मार्च
11	अन्तिम से	10	श्री पी. क. चौधरी	श्री पी. के. चौधरी
12		12	म	में
21	शीर्ष		(श्री धीरसिंह)	(राव श्री धीरसिंह)
22	अन्तिम		रजिस्टार	रजिस्ट्रार
24		16	कितो	कतने
27		9	रेशान	परेशान
50	अन्तिम से	13	हूं	है
53		8	श्री प्रमसिंह सिंघवी	श्री प्रेमसिंह सिंघवी
54	शीर्षक		तारांकिन	तारांकित
56		15	श्री नाथराम	श्री नाथूराम
,,	अन्तिम से	6	डेम के लिए	डेम के लिए ××××
,,	,,	5	श्री अध्यक्ष:इसको	श्री अध्यक्ष: ×××× इसको
58	शीर्षक		प्रश्नोतर	प्रश्नोत्तर
61		3	अलाटनेंट	अलाटमेन्ट
69		19	—	(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)
83	शीर्षक		स्थ. प्रस्तावों पर–12 मार्च	स्थ. प्रस्तावों–12 मार्च
90		6	मुकान	मुकाम
101	अन्तिम से	11	निदेश	निर्देश
,,	,,	10	अविलम्भ	अविलम्ब

1	2		3	4
103	अन्तिम से	2	श्री लादूराम सुलाकियां	श्री लादूराम सुलानियां
104		9	यंग	युग
"		12	भो हम वह	भो हम वही
106 से 111	शीर्षक		विरोधी दल के नेता की अनुपस्थिति में सामान्ध वाद-विवाद	आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद
107	शीर्षक		विरोधी नल	विरोधी दल
"	अन्तिम से	16	नहीं नहीं	नहीं
"	"	13	बकार	बेकार
108		7	हो हो	हो
109	शीर्ष		(श्री फलचन्द वाफना)	(श्री फूलचन्द वाफना)
112		10	श्री बिम्म्भर नाथ जोशी	श्री बिशम्भर नाथ जोशी
"		15	बफदारी	बफादारी
"		17	ह	है
113		5	ोजी	रोजी
120		10	समझना	समझाना
132		20	काश्कारों	काश्तकारों
141	अन्तिम से	5	चतुथ	चतुर्थ
"	"	2	सकट	संकट
142		10	निभर	निर्भर
143		16	े सास	के विकास
"	अन्तिम से	5	बिछड़	पिछड़
145		11	लेगें	लें
153	अन्तिम से	13	करत	करते
155	"	7	–वित्त मंत्रीजो ने	श्री कृष्ण कुमार गोयल: वित्त मंत्री जी ने
160	"		परिषद	परिषद है
163	"	7	इससे	इसे
164		4	उस	उसे
173		2	ग्राथिक	आर्थिक
179	अन्तिम से	9	ग्नुवदित	अनुवादित
181	"	4	स	इस

1	2		3	4
183	शीर्षक		12 माच	12 मार्च
205		8	ग्राकड़े	ग्रांकड़े
209		5	ग्रौ	ग्रौर
221		13	माश्रा	माशा
224	ग्रन्तिम से	11	ग्रगुली	ग्रंगुली
,,	,,	8	सम्भ	समझ
,,	,,	2	मुह	मुंह
225	,,	13	ड्युटी	ड्यूटी
227	शीर्षक		ग्रयव्ययक	ग्रायव्ययक
252		3	तफतील	तफसील
253	शीर्षक		।रिशिष्ट	परिशिष्ट